सत्यमेव जयते

भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

मार्च 1999 को अंत होनेवाले वर्ष

का प्रतिवेदन

संख्या - 1

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

No - 1 (राजस्व प्राप्तियाँ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन : बिहार सरकार (1998 - 99)

राज्य विधान मंडल को
दिनांक........................को
प्रस्तुत किया गया

भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

मार्च 1999 को अंत होनेवाले वर्ष

का प्रतिवेदन

संख्या - 1

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ		iv
विहंगावलोकन		v
अध्याय - 1- सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.01	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	1.02	3
संग्रहण की लागत	1.03	4
बिक्री, व्यापार आदि पर कर निर्धारण के बकाये मामले	1.04	5
कर/शुल्क संबंधी छल और अपवंचन	1.05	5
संग्रहण का विश्लेषण	1.06	6
असंग्रहित राजस्व	1.07	6
लंबित अपील के मामले	1.08	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.09	9
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	1.10	9
अध्याय - 2 - विशेष महत्व के प्रकरण		
शहरी खास महल भूमि की बंदोबस्ती	2.01	12
राज्य के बाहर से लायी गयी वस्तुओं की प्राप्तियों में अनियमितताऐं	2.02	15
ब्याज राजस्व की हानि	2.03	19
अध्याय -3 - बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.01	24
बिक्री राशि का छिपाया जाना	3.02	24
प्रवेश कर कम लगाया जाना	3.03	25
अर्थदंड का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना	3.04	26
आस्थगित कर के किस्त एवं ब्याज की वसूली नहीं होना	3.05	26
केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत अवनिर्धारण	3.06	27
अतिरिक्त कर का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना	3.07	28
वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण अवनिर्धारण	3.08	28
गलत दर से कर लगाया जाना	3.09	30
अध्याय -4 - राज्य उत्पाद		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.01	31
उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	4.02	31
अनुज्ञाशुल्क की अंतर राशि की वसूली नहीं होना	4.03	32
देशी शराब की अधिक निकासी पर अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं होना	4.04	33
मसालेदार देशी शराब की क्षति पर शुल्क नहीं वसूली होना	4.05	33

अध्याय -5 - वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.01	35
प्रमाणपत्र मामलों के अंतर्गत कर की वसूली नहीं किया जाना	5.02	35
सरकारी वाहनों पर पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर नहीं लगाया जाना /नहीं वसूला जाना	5.03	36
अभ्यर्पित वाहनों पर से कर की वसूली नहीं होना	5.04	38
योग्यता प्रमाण पत्र की गलत स्वीकृति /नवीकरण	5.05	39
बिना अनुज्ञापत्र के वाहन का उपयोग करने के कारण राजस्व की हानि	5.06	39
अध्याय -6 - भू-राजस्व		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.01	41
लगान का निर्धारण/उद्ग्रहण नहीं होना	6.02	41
सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण का नहीं हटाया जाना/ बंदोबस्ती नहीं किया जाना	6.03	42
सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	6.04	43
भू-लगान से विमुक्त जमाबंदी पर उपकरों का नहीं लगाया जाना	6.05	44
अध्याय -7 - अन्य कर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.01	45
क. मुद्रांक एवं निबंधन फीस		
बंधक दस्तावेजों पर अनियमित छूट की स्वीकृति	7.02	45
ख. ईख पर कर		
ईख के क्रय पर कर का उद्ग्रहण नहीं/कम होना	7.03	46
ग. विद्युत शुल्क		
अधिभार का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना	7.04	47
अध्याय -8 - खनिज रियायत, शुल्क तथा रायल्टियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	8.01	48
क.वृहत् खनिज		
रॉयल्टी का नहीं/ कम लगाया जाना	8.02	48
ख. लघु खनिज		
खनिज के उत्पादन/प्रेषणों के छिपाव से रायल्टी का कम लगाया जाना	8.03	50
अर्थदंड का नहीं/कम लगाया जाना	8.04	51
ब्याज का नहीं लगाया जाना	8.05	54
पट्टों के नवीकरण नहीं होने से मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस का नहीं लगाया जाना	8.06	54

अध्याय -9 - अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	9.01	56
क. वन प्राप्तियाँ		
वन अपराध	9.02	57
राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना और वन भूमि का अनधिकृत विचलन	9.03	66
ख. जल दर		
सूदकर के देर से तैयार करने के कारण मांग का सृजन देर से किया जाना	9.04	67
जलशुल्को/दरों का गलत दरों से लागू होना	9.05	67
ग. पुलिस प्राप्तियाँ		
पुलिस प्राप्तियाँ	9.06	68

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 1999 को अंत हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य प्राप्तियों, जिनमें बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, शुल्क और रॉयल्टियाँ तथा अन्य कर-भिन्न प्राप्तियॉं समाविष्ट हैं, की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में वर्ष 1998-99 में तथा 1999-2000 के आरंभ में अभिलेखों की, की गयी नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये मामलों में से कुछ मामलों के साथ उन मामलों का भी उल्लेख किया गया है जो पूर्व के वर्षों में प्रकाश में तो आये पर पूर्ववर्त्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 414.07 करोड़ रुपये राजस्व प्रभाव के कर, ब्याज, अर्थदंड आदि के नहीं लगाने अथवा कम लगाने से संबद्ध 2 समीक्षाओं सहित 37 कंडिकायें सम्मिलित हैं।

1. सामान्य

- वर्ष 1997-98 की कुल प्राप्तियाँ 9478.92 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1998-99 में बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 9296.19 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व के 2681.35 करोड़ रुपये और कर भिन्न राजस्व 1146.29 करोड़ रुपये को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल 3827.64 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित किया। भारत सरकार से कुल 5468.55 करोड़ रुपये (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्साः 4441.23 करोड़ रुपये और सहायता अनुदानः 1027.32 करोड़ रुपये) प्राप्त हुए। इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 41 प्रतिशत ही संग्रहित कर सकी। वर्ष 1998-99 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (1821.85 करोड़ रुपये) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (740.92 करोड़ रुपये) क्रमशः कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे

[कंडिका 1.01(i) और (ii)]

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग, वाहनों पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, जल दर और राज्य उत्पाद से संबंधित असंग्रहित राजस्व की राशियाँ क्रमशः 1173.57 करोड़ रुपये 346.35 करोड़ रुपये 195.98 करोड़ रुपये 107.84 करोड़ रुपये, 77.72 करोड़ रुपये तथा 47.27 करोड़ रुपये मार्च 1999 के अंत में थी

[कंडिका 1.07]

- वाणिज्य कर, उत्पाद एवं मद्य-निषेध, परिवहन, भू-राजस्व, खान एवं भूतत्व तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 1998-99 की अवधि में की गई नमूना जाँच से 13658 मामलों में अंतग्रस्त 950.64 करोड़ रुपये राशि के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण प्रकाश में आये। संबद्ध विभागों ने 7511मामलों में अंतर्ग्रस्त 128.99 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ स्वीकार की, जिसमें 327 मामलों में अंतर्ग्रस्त 78.14 करोड़ रुपये वर्ष 1998-99 से तथा शेष पिछले वर्षों से संबंधित थे।

[कंडिका 1.09]

- दिसम्बर 1998 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निराकरण जून 1999 तक नहीं हो पाया था, क्रमशः 9537 एवं 41562 थीं जिनमें 3127.80 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त थे। 3186 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के अंदर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

[कंडिका 1.10]

2. विशेष महत्व के प्रकरण

- 7 राजस्व जिलों में 296 पट्टाधारियों ने पट्टाकृत संपत्तियों के बंधों और शर्तों का उल्लंघन किया और 6223 मामलोंमें पट्टाधारियों ने पट्टा के नवीकरण हेतु या तो आवेदन नहीं किया या आवेदन किया भी तो पट्टा समाप्ति के बाद। फलस्वरूप सलामी और लगान के रूप में 21697.95 लाख रुपये राशि के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 2.01(क)(ii)]

- सरकारी भूमि के अतिक्रमण से संबंधित 3 राजस्व जिलों में 1398.99 लाख रुपये राशि की सलामी और लगान निर्धारित/उद्ग्रहित नहीं हुआ।

[कंडिका 2.01(ख)]

- 42 वाणिज्यकर अंचलों में 90 व्यवसायियों द्वारा बाहर के राज्यों से प्राप्त सामानों को लेखापित नहीं करने/कम लेखापित करने के फलस्वरूप 12293.19 लाख रुपये के क्रय आवर्त को छिपाया गया और 5192.44 लाख रुपये राशि के कर का अपवंचन हुआ।

[कंडिका 2.02)(क)(i) और (ii)]

- 24 अंचलों में 97 व्यवसायियों ने 2686.15 लाख रुपये मूल्य के सामानों का क्रय चुराये गये/अमान्य घोषणा प्रपत्रों पर किया जिसके फलस्वरूप 1097.33 लाख रुपये (अर्थदंड सहित) राशि के कर का अपवंचन हुआ।

[कंडिका 2.02(ख)]

3. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

- 8 वाणिज्य-कर अंचलों में 20 व्यवसायियों द्वारा 3179.31 लाख रुपये के आवर्त को छिपाये जाने के फलस्वरूप 545.04 लाख रुपये (अर्थदंड सहित) राशि कर का अवनिर्धारण हुआ।

[कंडिका 3.02]

- 5 अंचलों के 5 व्यवसायियों द्वारा स्वीकृत कर के विलम्बित भुगतान पर 82.07 लाख रुपये का अर्थदंड राशि का नहीं/कम अरोपित हुआ।

[कंडिका 3.04]

- 8 अंचलों के 9 मामलों में 25.36 लाख रुपये का अतिरिक्त कर (अधिभार सहित) य तो. नहीं लगाया गया या कम लगाया गया।

[कंडिका 3.07]

- कर की गलत दर लगाने से 5 वाणिज्य कर अंचलों के 6 व्यवसायियों के मामलों में 16.53 लाख रुपये राशि का कर कम लगाया गया।

[कंडिका 3.09]

4. राज्य उत्पाद

- अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त 12 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुमानित खपत से अधिक 4.45 लाख एल.पी.लीटर शराब की खपत पर अनुज्ञा शुल्क की अन्तर राशि के रूप में 36.50 लाख रुपये देय था।

[कंडिका 4.03]

5. वाहनों पर कर

- एक जिला में 165 सरकारी वाहनों से कुल 101.50 लाख रुपये का कर अर्थदंड सहित नहीं लगाया/वसूला गया।

[कंडिका 5.03(i)]

- एक जिला में 151 वाहनों के मामलों में परमिट के बिना वाहनों के उपयोग के कारण 12.33 लाख रुपये के सरकारी राजस्व की क्षति हुई।

[कंडिका 5.06]

6. भू-राजस्व

- 53 राजस्व अंचलों में 1181 रैयतों द्वारा कृषियोग्य भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप 638.93 लाख रुपये राशि के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

[कंडिका 6.02]

- 16 राजस्व अंचलों में 766 व्यक्तियों द्वारा 68.1043 एकड़ भूमि के अतिक्रमण को नहीं हटाए जाने/नियमित नहीं किये जाने के फलस्वरूप सलामी और आवासीय लगान के रूप में 349.88 लाख रुपये की वूसली नहीं हुई।

[कंडिका 6.03]

7. अन्य कर प्राप्तियाँ

क. मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क

- 5 जिला अवर निबंधक एवं एक अवर निबंधक द्वारा 64 दस्तावेजों के संबंध में छूट की गलत स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप 10.30 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली नहीं हुई।

[कंडिका 7.02]

8 . खनिज रियायत शुल्क एवं रायल्टियाँ

- ईंट मौसम 1995-96 से 1997-98 के दौरान 3230 ईंट भट्ठों के अनधिकृत संचालन पर 718.51 लाख रुपये राशि का अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

[कंडिका 8.04 (क)]

9 .अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ

''वन अपराध'' पर समीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुआ :-

- 9 वन प्रमंडलों में, 413.41 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न वनोत्पादों की न तो बिक्री की गयी और न उन्हें सम्बन्धित राज्य व्यापार प्रमंडलों को हस्तान्तरित ही किया गया, जिसके फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

[कंडिका 9.02.05(क)(i)]

- 5 वन प्रमंडलों में 98.73 लाख रुपये मूल्य के टिम्बर, खंभों, जलावन की लकड़ी आदि जो 1991-92 एवं 1997-98 के मध्य जब्त किये गये थे वे अनिष्पादित रह गये जिसके फलस्वरूप 98.73 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

[कंडिका 9.02.05(क)(ii)]

- 7 वन प्रमंडलों में, विनष्ट होने वाले वनोत्पादों के निष्पादन नहीं होने के फलस्वरूप 57.90 लाख रुपये राशि के राजस्व की क्षति हुई।

[कंडिका 9.02.05(ख)]

- 5 वन प्रमंडलों में विभिन्न प्रजातियों के 82851 वृक्षों का अवैध रूप से गिराये जाने के फलस्वरूप 102.16 लाख रुपये के राजस्व की क्षति हुई।

[कंडिका 9.02.06(क)(i)]

- गैर-वन प्रयोजनों में उपयोग के लिये 26.6 हेक्टेयर वन भूमि के विचलन की क्षतिपूर्ति राशि 266 लाख रुपये हुई जबकि उपभोक्ता अभिकरण द्वारा मात्र 2 लाख रुपये का ही भुगतान किया गया। इस प्रकार 264 लाख रुपये का भुगतान नहीं हुआ।

[कंडिका 9.03]

''पुलिस प्राप्तियों'' पर समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :-

- वर्ष 1985-86 से 1997-98 तक विभिन्न रेलवे से सम्बन्धित सरकारी रेल पुलिस (जी.आर.पी.) की उद्ग्रहणीय लागत राशि 3922.70 लाख रुपये थी जिसकी वसूली नहीं हुई।

[कंडिका 9.06.06 (i)]

- 4 रेल आरक्षी अधीक्षक स्थापनाओं के संबंध में वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के लिये सरकारी रेल पुलिस (जी.आर.पी.) की लागत की 1427.53 लाख रुपये राशि की माँग सृजित नहीं की गयी।

[कंडिका 9.06.06 (ii)]

- उप आरक्षी महानिरीक्षक (रेलवे) एवं आरक्षी महानिरीक्षक (रेलवे) की स्थापनाओं के विरुद्ध सरकारी रेल पुलिस (जी.आर.पी) की लागत अंश के 49.69 लाख रुपये माँग सृजित नहीं की गयी।

[कंडिका 9.06.06 (iii)]

- 23 मई से 19 सितम्बर 1996 के दौरान बिहार मिलिटरी पुलिस (बी. एम.पी.) की 20 कम्पनियों की प्रति नियुक्ति के लिये उद्ग्रहणीय 315.60 लाख रुपये की पुलिस लागत असम सरकार से उद्ग्रहित नहीं हुई।

[कंडिका 9.06.07]

- 41 प्रतिष्ठानों को उपलब्ध कराये गये पुलिस कर्मियों की लागत के 343.78 लाख रुपये की राशि की माँग न तो विभाग द्वारा निर्धारित की गयी और न इन प्रतिष्ठानों से माँगी गयी।

[कंडिका 9.06.08 (i)(क)]

- मार्च 1993 से फरवरी 1998 के दौरान हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिये प्रतिनियुक्त 18 आरक्षी कर्मियों की पुलिस लागत के लिये 50.48 लाख रुपये की माँग सृजन एवं उद्ग्रहण के लिये बाकी रह गये।

[कंडिका 9.06.08 (i)(ख)]

- अनधिकृत व्यक्तियों (भू.पू. मंत्रियों/सांसदों/विधायकों/विधान पार्षदों आदि को सुरक्षा प्रहरियों के प्रावधान के लिये उद्ग्रहणीय पुलिस लागत जो 78.91 लाख रुपये संगणित की गयी उद्ग्रहित नहीं हुई।

[कंडिका 9.06.09]

अध्याय 1: सामान्य

1.01 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 1998-99 के दौरान बिहार सरकार द्वारा संग्रहित कर एवं कर -भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत 2 वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिये गये हैं :-

		1996-97	1997-98	1998-99
		(	करोड़ रुपये	में)
I.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व	3285.09	3624.33	3827.64
	(क) कर राजस्व	2251.10	2399.82	2681.35
	(ख) कर-भिन्न राजस्व	1033.99	1224.51	1146.29
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ	5122.96	5854.59	5468.55
	(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	4078.20	4074.30	4441.23
	(ख) सहायता अनुदान	1044.76	1780.29	1027.32
III.	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ * (i एवं ii)	8408.05	9478.92	9296.19
IV.	iii और i की प्रतिशतता	39	38	41

इस प्रकार राज्य सरकार कुल राजस्व (9296.19 करोड़ रुपये) का मात्र 41 प्रतिशत ही संग्रहित कर सकी एवं कुल प्राप्तियों में पूर्व वर्ष से 182.73 करोड़ रुपये का ह्रास हुआ।

(i) विगत 2 वर्षों के आँकड़ों के साथ-साथ वर्ष 1998-99 के दौरान संग्रहित कर राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	1996-97	1997-98	1998-99	1997-98 की अपेक्षा 1998-99 में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता
	(	करोड़	रुपये	में)
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1496.39	1567.64	1821.85	(+) 16
2. राज्य उत्पाद	218.74	226.36	239.51	(+) 6
3. स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	227.41	253.13	279.34	(+) 10

* पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 1998-99 के वित्त लेखे में विवरणी 11-लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। शीर्ष "0021 निगम कर से भिन्न आय पर कर-निवल प्राप्तियों में राज्यों को समनुदिष्ट हिस्सा" के अंतर्गत आँकड़े, जो वित्त लेखा में "क-कर राजस्व" में दिखाये गये हैं, को राज्य द्वारा संग्रहित राजस्व से हटाकर "विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश" में सम्मिलित कर उक्त विवरणी में दिखाया गया है।

	1996-97	1997-98	1998-99	1997-98 की अपेक्षा 1998-99 में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता
	(करोड़	रुपये	में)	
4. वाहनों पर कर	160.84	174.07	164.96	(-) 5
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	70.57	42.32	67.04	(+) 58
6. भू-राजस्व	24.86	23.48	24.60	(+) 5
7. वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	23.34	25.92	24.26	(-) 6
8. माल एवं यात्रियों पर कर - वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर	28.94	86.89	59.78	(-) 31
9. कृषि आय पर कर	0.01	0.01	0.01	-
कुल	**2251.10**	**2399.82**	**2681.35**	**(+) 12**

पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के लिए संबद्ध विभागों द्वारा निम्नांकित कारण दिये गये :-

(क) बिक्री, व्यापार आदि पर कर :- 16 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग के सकारात्मक प्रयास तथा कठोर प्रशासनिक उपायों को बताया गया।

(ख) विद्युत पर कर एवं शुल्क :- 58 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा बिहार राज्य विद्युत परिषद् से विद्युत शुल्क की वसूली बताया गया।

(ग) स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क :- 10 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण बताया गया।

(घ) माल एवं यात्रियों पर कर : -विभाग द्वारा 31 प्रतिशत ह्रास का कारण केवल चालू वर्ष के स्वीकृत कर की वसूली बताया गया।

(ii) वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

	1996-97	1997-98	1998-99	1997-98 की अपेक्षा 1998-99 में वृद्धि (+) या ह्रास (-) की प्रतिशतता
	(करोड़	रुपये	में)	
1.अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	820.28	808.55	740.92	(-) 8
2. वानिकी एवं वन्य जीवन	23.65	14.52	18.48	(+) 27
3. ब्याज प्राप्तियाँ	56.48	92.39	135.99	(+) 47
4. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	30.74	14.29	24.47	(+) 71
5. अन्य	102.84	255.69	226.43	(-) 11
कुल	**1033.99**	**1185.44**	**1146.29**	**(-) 3**

पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के लिए संबद्ध विभागों द्वारा निम्नांकित कारण दिये गये :-

(क) खनन एवं भूतत्व :- विभाग द्वारा 8 प्रतिशत ह्रास का कारण मुख्यतः कोयला, ताम्बा एवं पायराइट जैसे खनिजों को निम्नश्रेणीकृत करना बताया गया।

(ख) ब्याज प्राप्तियाँ :- विभाग द्वारा 47 प्रतिशत की वृद्धि का मुख्य कारण रोकड़ अवशेषों के निवेश पर उद्ग्रहित ब्याज था।

अन्य शीर्षों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण परिवर्तन/ह्रास के कारण संबद्ध विभागों से माँगे गये थे (मई 1999) परन्तु अनेक स्मार एवं व्यक्तिगत सम्पर्कों के बावजूद नहीं प्राप्त हुए (जनवरी 2000)। बजट आँकड़ों की सामान्य प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि बजट पूर्वानुमान अवास्तविक आधार पर किया जाता है।

1.02 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 1998-99 के दौरान राजस्व के मुख्य शीर्ष में बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच की भिन्नताएँ नीचे दी गयी हैं :-

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्ताएँ वृद्धि(+) ह्रास (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
	(करोड़	रुपये	में)	
1. बिक्री व्यापार आदि पर कर	2042.00	1821.85	(-) 220.15	(-) 11
2. राज्य उत्पाद	361.00	239.51	(-) 121.49	(-) 34
3. स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	325.00	279.34	(-) 45.66	(-) 14
4. वाहनों पर कर	220.00	164.96	(-) 55.04	(-) 25
5. विद्युत पर कर एवं शुल्क	48.00	67.04	(+) 19.04	(+) 40
6. भू-राजस्व	34.50	24.60	(-) 9.90	(-) 29
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	31.00	24.26	(-) 6.74	(-) 22
8. अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	1025.00	740.92	(-) 284.08	(-) 28
9. वानिकी एवं वन्य जीवन	42.30	18.48	(-) 23.82	(-) 56
10. ब्याज प्राप्तियाँ	309.60	135.99	(-) 173.61	(-) 56
11. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	13.07	24.47	(+) 11.40	(+) 87
12. माल एवं यात्रियों पर कर - वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर	60.00	59.78	(-) 0.22	(-) 0.36

बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता के कारण, जैसा कि संबद्ध विभागों द्वारा सूचित किये गये (अक्तूबर 1999), निम्नलिखित थे :-

(क) वाणिज्य कर विभाग ने जहाँ बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अन्तर्गत 220.15 करोड़ रुपये के ह्रास का कारण बाजार में सामान्य मंदी को बताया वहीं विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत

19.04 करोड़ रुपये की वृद्धि का कारण बिहार राज्य विद्युत परिषद् के द्वारा बकाये राशि का भुगतान होना बताया।

(ख) परिवहन विभाग ने 55.04 करोड़ रुपये के ह्रास का कारण वित्त विभाग द्वारा अधिक लक्ष्य निर्धारित होना बताया।

(ग) स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने 45.66 करोड़ रुपये के ह्रास का कारण राज्य के अराजपत्रित कर्मियों की लम्बी हड़ताल का होना बताया।

(घ) खान एवं भूतत्व विभाग ने 284.08 करोड़ रुपये के ह्रास का कारण खनिजों के प्रेषण में कमी तथा निम्न श्रेणीकृत होना बताया।

अन्य विभागों से यद्यपि सूचनाएँ माँगी गयी थीं (मई 1999), परन्तु अनेक स्मार तथा व्यक्तिगत सम्पर्कों के बावजूद प्राप्त नहीं हुईं (जनवरी 2000)। इस तरह बजट आँकड़ों की सामान्य प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि बजट पूर्वानुमान अवास्तविक आधार पर किया जाता है।

1.03 संग्रहण की लागत

वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ-साथ वर्ष 1997-98 के लिए सकल संग्रहण की तुलना में संग्रहण पर हुए व्यय से संबद्ध अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गयी है :-

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1997-98 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
		(करोड़	रुपये में)	(%)	(%)
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1996-97	1496.39	20.26	1.35	
	1997-98	1567.64	19.76	1.26	1.28
	1998-99	1821.85	22.24	1.22	
2. राज्य उत्पाद	1996-97	218.74	13.29	6.08	
	1997-98	226.36	14.85	6.56	3.20
	1998-99	239.51	15.72	6.56	
3. स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	1996-97	227.41	12.94	5.69	
	1997-98	253.13	14.47	5.71	3.14
	1998-99	279.34	18.10	6.48	
4. वाहनों पर कर	1996-97	160.84	3.70	2.30	
	1997-98	174.07	3.39	1.94	2.65
	1998-99	164.96	4.00	2.42	

उपर्युक्त आँकड़ों से यह देखा जा सकता है कि राज्य उत्पाद और स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क के संग्रहण पर किया गया व्यय वर्ष 1997-98 के अखिल भारतीय औसत से अधिक था।

1. 04 बिक्री, व्यापार आदि पर कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1994-95 से 1998-99 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री, व्यापार आदि पर कर निर्धारण संबंधित लंबित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये मामले एवं वर्ष के अंत में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या के विवरण, जैसा कि विभाग ने प्रस्तुत किया, नीचे दिये गये हैं:-

वर्ष	आरंभ शेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले	कुल	वर्ष के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 5 की 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1994-95	102108	87290	189398	83034	106364	44
1995-96	106364	83871	190235	85441	104794	45
1996-97	104794	93027	197821	114762	83059	58
1997-98	83059	96017	179076	83488	95588	47
1998-99	95588	103094	198682	127830	70852	64

बकाये मामलों को नियंत्रित रखने के लिए 1998-99 में किए गये प्रयासों को बनाए रखते हुए बकाये में और कमी लाने हेतु और उपाय करने की आवश्यकता है।

1.05 कर/शुल्क संबंधी छल और अपवंचन

वर्ष के प्रारंभ में लम्बित कर और शुल्क से संबंधित छल और अपवंचन के मामले, विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पता लगाये गये मामलों की सँख्या, वर्ष के दौरान कर निर्धारित/जाँच सम्पन्न हुए मामलों की सँख्या एवं व्यवसायियों के विरुद्ध की गयी कर/शुल्क की माँग (अर्थदंड आदि सहित) तथा मार्च 1999 के अंत में निष्पादन के लिये लंबित मामलों की सँख्या के विवरण, जैसा संबद्ध विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये, नीचे दिये जा रहे हैं:-

क्रमांक	विभाग	31 मार्च 1998 को लंबित मामले	1998-99 के दौरान पता लगाये गये मामले	निर्धारण/जाँच संपन्न हुए मामलों की संख्या तथा अर्थदंड आदि सहित की गई अतिरिक्त माँग		31 मार्च 1999 को निष्पादन के लिये लंबित मामले
				मामलों की सँख्या	माँग की राशि (लाख रुपये में)	
1.	वित्त (वाणिज्य कर)	409*	638	666	761.68	381
2.	परिवहन	1012**	123	254	30.80	881
3.	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	5***	शून्य	शून्य	शून्य	5

*विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1997-98 के प्रतिवेदन में दिखाये गये अंत शेष 631 से 222 का अंतर है।

** विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1997-98 के प्रतिवेदन में दिखाये गये अंत शेष 621 से 391 का अंतर है।

*** विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये और वर्ष 1997-98 के प्रतिवेदन में दिखाये गये अंतशेष शून्य से 5 का अंतर है।

सूचनायें अन्य विभागों से भी माँगे जाने (मई 1999) और मुख्य सचिव सहित विभागीय उच्च अधिकारियों को अनेक स्मार देने एवं व्यक्तिगत संपर्कों के बावजूद प्राप्त नहीं हुईं (जनवरी 2000)।

1.06 संग्रहण का विश्लेषण

वित्त (वाणिज्य कर) विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1998-99 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर का कुल संग्रहण (कर निर्धारण के पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद) तथा विगत 2 वर्षों के तत्संबंधी आँकड़ों के अलग-अलग ब्यौरे निम्नलिखित हैः-

वर्ष	निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित निर्धारण के बाद संग्रहित राशि		कर का कुल संग्रहण	वित्त लेखा के अनुसार कुल संग्रहण	कुल संग्रहण में निर्धारण पूर्व संग्रहण का प्रतिशत (कॉलम 2 की तुलना में 5)
		अतिरिक्त माँग	कर/शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिये अर्थदंड			
(		करोड़	रुपये	में	)	
1	2	3		4	5	6
1996-97	1445.82	31.05	0.88	1477.75	1496.39	98
1997-98	1504.30	31.96	0.72	1536.98	1567.64	98
1998-99	1743.34	50.63	0.75	1794.72	1821.85	98

इस प्रकार नियमित कर निर्धारण के पश्चात् अर्थदंड सहित अतिरिक्त कर संग्रहण कुल कर संग्रहण का निम्न अंश (2 से 3 प्रतिशत) था।

1.07 असंग्रहित राजस्व

संबद्ध विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षें के अंतर्गत 31 मार्च 1999 को बकाया राजस्व निम्नवत थाः-

राजस्व शीर्ष	बकाया	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया	अभ्युक्तियाँ
	(करोड़ रुपये में)		
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1173.57	221.00	1173.57 करोड़ रुपये में से 68.60 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाए पर भू-राजस्व की तरह प्रमाणपत्र दायर किये गये। 589.96 करोड़ रुपये एवं 49.83 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। शेष 465.18 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (जनवरी 2000) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 1999)।

2.अ. लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	346.35	75.22	346.35 करोड़ रुपये में से 114.14 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिये बकाये पर भू-राजस्व की तरह प्रमाणपत्र दायर किये गये। 222.41 करोड़ रुपये एवं 0.40 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। शेष 9.40 करोड़ रुपये के बकाये के सम्बद्ध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (जनवरी 2000) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 1999)
3.वाहनों पर कर	195.98	अप्राप्त	195.98 करोड़ रुपये में से 187.31 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाए पर भू-राजस्व की तरह प्रमाणपत्र दायर किये गये। 0.11 करोड़ रुपये एवं 0.06 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। 3.05 करोड़ रुपये माँग अपलेखन योग्य थी। शेष 5.45 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (जनवरी 2000) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 1999)।
4.विद्युत पर कर और शुल्क	107.84	20.26	107.84 करोड़ रुपये में से 9.09 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये पर भू-राजस्व की तरह प्रमाणपत्र दायर किये गये। न्यायालयों द्वारा 18.64 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक लगायी गयी। शेष 80.11 करोड़ रुपये के बकाये के बारे में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2000) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 1999)।
5.जल दर	77.72	अप्राप्त	77.72 करोड़ रुपये में से 1.32 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिये बकाये पर भू-राजस्व की तरह प्रमाणपत्र दायर किये गये। न्यायालयों द्वारा) 2.61 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक लगायी गयी। शेष 73.79 करोड़ रुपये के बकाये के बारे में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2000) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 1999)।
6.राज्य उत्पाद	47.27*	36.01	47.27 करोड़ रुपये में से 5.76 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिये बकाये पर भू-राजस्व की तरह प्रमाणपत्र दायर किये गये। 30.63 करोड़ रुपये एवं 0.85 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी।1.19 करोड़ रुपये एवं 0.11 करोड़ रुपये की वसूली क्रमशः भूल सुधार/पुनर्विचार और व्यवसायी/पार्टी का दिवालिया हो जाने के कारण रुकी रही। 0.23 करोड़ रुपये अपलेखन योग्य था। शेष 8.50 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (जनवरी 2000) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 1999)।

* गया और सीतामढ़ी जिला को छोड़ कर बकाये की राशि।

7.मनोरंजन कर	11.82	0.24	11.82 करोड़ रुपये में से 2.19 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिये बकाये पर भू-राजस्व की तरह प्रमाणपंत्र दायर किये गये। न्यायालयों द्वारा 0.07 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक लगायी गयी। शेष 9.56 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (जनवरी 2000) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 1999)।
8.प्रवेश कर	1.05	0.04	1.05 करोड़ रुपये में से 0.02 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिये बकाये पर भू-राजस्व की तरह प्रमाणपत्र दायर किये गये। शेष 1.03 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (जनवरी 2000) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 1999)।
9.माल एवं यात्रियों पर कर	0.91	0.91	0.91 करोड़ रुपये में से 0.11 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिये बकाये पर भू-राजस्व की तरह प्रमाणपत्र दायर किये गये। शेष 0.80 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी (जनवरी 2000) यद्यपि इसकी माँग की गयी थी (मई 1999)।

वर्ष 1998-99 के अंत में अन्य विभागों से संबंधित संग्रहण हेतु कुल बकाये राजस्व की राशि सरकार द्वारा सूचित नहीं की गयी (जनवरी 2000) यद्यपि, इसकी माँग की गयी थी (मई 1999)।

1.08 लंबित अपील के मामले

वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी गयी सूचना (सितम्बर 1999) के अनुसार उनके द्वारा प्रशासित बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं अन्य कराधान नियमों के अधीन दायर की गयी अपील के मामले, 1994-95 से 1998-99 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में निपटायी गयी अपील के मामलों की सँख्या तथा अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों की सँख्या निम्नवत् है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की सँख्या	कुल	वर्ष के दौरान निपटायी गयी अपीलों की सँख्या	वर्ष के अंत में शेष	कुल मामलों की सँख्या से निपटाये गये मामलों की प्रतिशतता
1994-95	12849	3801	16650	4572	12078	27
1995-96	12078	3794	15872	4691	11181	30
1996-97	11181	3666	14841	5233	9614	35
1997-98	9614	2498	12112	3406	8706	28
1998-99	8706	2641	11347	4356	6991	38

वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा अगस्त 1989 में निर्गत निर्देशों के अुनसार प्रत्येक संयुक्त आयुक्त (अपील) को हर महीने न्यूनतम 60 मामलों का निपटारा करना है। किन्तु निर्देशों के पालन नहीं होने के फलस्वरूप, जहाँ सभी 12 संयुक्त आयुक्तों (अपील) द्वारा 8640 अपीलों का निपटारा होना चाहिए था, वहाँ निपटाई गयी अपीलों की वास्तविक संख्या लक्ष्य से कम रही।

1.09 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998-99 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहन, भू-राजस्व, अ-लौह खनन और धातु कर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 13658 मामलों में विहित 950.64 करोड़ रुपये राशि के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि का पता चला। वर्ष 1998-99 के दौरान संबंधित विभागों ने 7511 मामलों में अंतर्ग्रस्त 128.99 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये जिनमें 78.14 करोड़ रुपये से अंतर्ग्रस्त 327 मामले 1998-99 की अवधि में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में बताये गये।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में 414.07 करोड़ रुपये के कर प्रबंधन के विभिन्न पक्षों की त्रुटियों को दर्शाते हुए 2 समीक्षाओं सहित 37 कंडिकायें सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में बताये गये अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं से संबंधित मामलों में, ये मामले महत्वपूर्ण मामलों को निरुपित करते हैं। इनमें से विभाग/सरकार ने 21.45 करोड़ रुपये अंतर्निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया और उसमें मात्र 0.91 करोड़ रुपये की वसूली जनवरी 2000 तक हुई। सरकार ने 4.41 करोड़ रुपये के राजस्व प्रभाव की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार नहीं की। तथापि, उनके द्वारा अस्वीकार करने के जो आधार बताये गये वे तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के विपरीत पाये जाने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार नहीं किये गये, जिनका उल्लेख संबद्ध कंडिकाओं/समीक्षाओं में किया गया है। अन्य मामलों में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

1.10 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

(क) स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रारंभिक अभिलेखों में त्रुटियों से संबद्ध लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जिनका निराकरण तत्काल नहीं हो पाता है, उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालयाध्यक्षों और उच्चतर विभागीय अधिकारियों के समक्ष कार्रवाई हेतु भेजा जाता है। अतिमहत्वपूर्ण अनियमितताओं की सूचना विभागाध्यक्ष एवं सरकार को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु दी जाती है। इसके अतिरिक्त 6 महीनों से अधिक लंबित ऐसी आपत्तियों का अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष शीघ्र निष्पादन के लिये अग्रसारित किया जाता है।

दिसम्बर 1998 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जिनका निष्पादन विभाग द्वारा 30 जून 1999 तक नहीं किया गया था, की सँख्या विगत 2 वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ों के साथ नीचे दी जा रही है:-

	जून के अंत तक		
	1997	1998	1999
1. लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की सँख्या	9216	9696	9537
2. लेखापरीक्षा आपत्तियों की सँख्या	37258	39912	41562
3. अंतर्ग्रस्त राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में)	2296.80	2497.80	3127.80

जून 1999 के अंत तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा आपत्तियाँ और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिये गये है :-

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की सँख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की सँख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये में)
1995-96 एवं इसके पूर्व	8182	33174	2047.70
1996-97	646	3598	227.46
1997-98	417	2791	283.16
1998-99	292	1999	569.48
कुल	**9537**	**41562**	**3127.80**

(ख) निम्नलिखित विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ विशेष रूप से अधिक थीं :-

विभाग	राजस्व शीर्ष	लंबित		अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित है	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये में)
		निरीक्षण प्रतिवेदनों की सँख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की सँख्या		
1. राजस्व	भू-राजस्व	5181	16019	1980-81	548.87
2. वित्त (वाणिज्य कर)	विक्री, व्यापार आदि पर कर	1169	9501	1982-83	595.98
3. उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	737	4668	1973-74	607.41
4. परिवहन	वाहनों पर कर	500	4161	1975-76	278.25
5. खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	607	4039	1980-81	297.10
6. जल संसाधन	जल दर	552	1668	1980-81	609.13
7. ईख	ईख पर कर	164	419	1981-82	80.06
8. वन एवं पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	205	478	1981-82	105.25

(ग) यद्यपि सरकार के निर्देशानुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों का प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक महीने के अन्दर विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, परन्तु दिसम्बर 1998 तक निर्गत 3186 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबद्ध प्रथम उत्तर निम्नलिखित विभागों से जून 1999 तक प्राप्त नहीं हुए थे :-

विभाग	राजस्व शीर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए	अधिकतम समय से लंबित प्रतिवेदन जिस वर्ष से सम्बन्धित है
1. राजस्व	भू-राजस्व	2508	1980-81
2. उत्पाद एवं मद्य-निषेध	राज्य उत्पाद	141	1980-81
3. परिवहन	वाहनों पर कर	147	1980-81
4. वित्त (वाणिज्य कर)	(i) विक्री, व्यापार आदि पर कर (ii)विद्युत शुल्क (iii)माल एवं यात्रियों पर कर (iv)मनोरंजन कर	49	1997-98
5. राजस्व (निबंधन विभाग)	स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	106	1980-81

6. खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	72	1980-81
7. ईख	ईख पर कर	57	1981-82
8. जल संसाधन	जल दर	7	1998-99
9. वन एवं पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	99	1981-82
	कुल	**3186**	

उपर्युक्त स्थिति से सरकार के मुख्य सचिव को सितम्बर 1999 में अवगत कराया गया; परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2000)। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुपालन संतोषप्रद नहीं होने के फलस्वरूप लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रवृत्ति बढ़ती हुई देखी गयी।

अध्याय 2 : विशेष महत्व के प्रकरण

2.01 शहरी 'खास महल' भूमि की बंदोबस्ती

(क) पट्टाकृत सम्पत्ति का नवीकरण नहीं होने/बंधों एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्व का अनुद्ग्रहण

बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमावली, 1953 और उसके अंतर्गत पट्टा स्वीकृत करने एवं पट्टा दस्तावेजों की शर्तों के लिए बने नियमों के अनुसार राज्य सरकार पट्टा की समाप्ति के छः माह पूर्व पट्टाधारियों को ऐसे पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए सूचनायें निर्गत करेगी जबकि पट्टाधारी के लिए आवश्यक है कि वह पट्टा समाप्त होने के तीन माह पूर्व ही नवीकरण हेतु आवेदन करे।

आवासीय प्रयोजनों के लिए नये पट्टों पर सलामी भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य पर आरोप्य है जबकि वाणिज्यिक पट्टों पर सलामी भूमि के बाजार मूल्य के साथ लगान के पूँजीकृत मूल्य पर (वार्षिक लगान का 25 गुणा) आरोप्य है। आवासीय पट्टा और वाणिज्यिक पट्टा के लिए वार्षिक लगान ऐसी सलामी का क्रमशः 50वाँ और 20वाँ भाग है।

मूल पट्टे में विहित लगान की दर पर वार्षिक लगान का भुगतान नहीं करने पर पट्टाधारी बकाये का दुगुना लगान देने के साथ ही 31 दिसम्बर 1974 तक 6.25 प्रतिशत एवं 1 जनवरी 1975 से 13 प्रतिशत की दर से सूद का भी देनदार है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1977-78, 1989-90, 1996-97 और 1997-98 (कंडिकाएँ क्रमशः5.1, 5.2, 2.2 और 2.4) के प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियाँ) में पट्टाकृत सम्पत्ति का नवीकरण नहीं होने/बंधों एवं शर्तों के उल्लंघन के कारण राजस्व की हानि/अनुद्ग्रहण का उल्लेख किया गया है।

4 अपर समाहर्त्ताओं*, 1 अपर उपायुक्त** और 2 खास महल पदाधिकारियों*** के वर्ष 1919-20 से 1998-99 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 1998 और मई 1999 के मध्य) के क्रम में देखा गया कि 1919 से 1965 की अवधि के दौरान की गयी 1179.35 एकड़ खास महल भूमि की बंदोबस्ती के मामले में या तो पट्टाधारियों ने पट्टा दस्तावेजों की बंधों एवं शर्तों का उल्लंघन किया या 31 मार्च 1999 तक पट्टे समाप्त हो गये। पट्टाधारी पट्टा लगान का भुगतान भी नहीं कर रहे थे। ब्यौरे नीचे दिये गये हैं -

(i) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये आवासीय पट्टे का रूपांतरण तथा पट्टाकृत सम्पत्ति की बिक्री/हस्तान्तरण

जिले के समाहर्त्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना खास महल सम्पत्ति का पट्टाधारी पट्टाकृत सम्पत्ति का हस्तान्तरण, अभ्यर्पण, शिकमी देने या स्वामित्व का परित्याग करने के लिये प्राधिकृत नहीं

* भागलपुर, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण), साहेबगंज और सीतामढ़ी।

** चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)।

*** मुंगेर और मुजफ्फरपुर।

है। पुनः समाहर्त्ता/उपायुक्त पट्टा के इकरारनामें को भंग या पालन न करने पर उक्त हस्तान्तरित परिसर में पुनः प्रवेश कर पट्टा समाप्त कर नया पट्टा निर्धारित कर सकता है।

18.10 एकड़ पट्टाकृत खास महल भूमि के मामले में 296 पट्टाधारियों ने आवासीय पट्टों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करके और पट्टाकृत सम्पत्ति का अनधिकृत विक्रय/हस्तांतरण कर पट्टे के बंधों और शर्तों का उल्लंघन किया जिसके फलस्वरूप 586.01 लाख रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्रम सं.	जिले का नाम	अवधि	पट्टा वस्तावेजों के बंधों और शर्तों का उल्लंघन करने वाले पट्टाधारियों की संख्या	निहित क्षेत्र (एकड़ में)	सलामी	वाणिज्यिक लगान	दुगुना लगान का बकाया	कुल निहित राशि
				(	लाख	रुपये	में)	
1.	साहेबगंज	1.4.1961 से 31.3.1991	169	14.43	472.41	23.62	0.15	496.18
2.	मुंगेर	31.3.1971 से 31.3.1992	77	2.01	61.13	3.05	--	64.18
3.	मुजफ्फरपुर	1989-90 तक	2	0.57	14.25	0.71	--	14.96
4.	चाईबासा (पश्चिमी सिंहभम)	1995-96 से 1998-99	48	1.09	10.18	0.51	--	10.69
	कुल		296	18.10	557.97	27.89	0.15	586.01

दृष्टांतस्वरूप अतिक्रामक पट्टाधारियों के 6 ऐसे मामले जिनमें प्रत्येक के यहाँ 10 लाख रुपये से अधिक का बकाया है और जिनमें 166.80 लाख रुपये निहित हैं, एक तालिका में परिशिष्ट 'क' पर दिये गये हैं।

(ii) पट्टा विलेखों का नवीकरण नहीं किया जाना

यदि कोई पट्टाधारी बिना लगान का भुगतान किये और पट्टा का नवीकरण कराये पट्टाकृत सम्पत्ति को रखता है तो उसे अतिक्रामक माना जायेगा और पिछले बंधों एवं शर्तों पर नवीकरण हेतु उसका कोई दावा नहीं रहेगा।

1161.26 एकड़ खास महल भूमि के पट्टे 1994-95 तक समाप्त हो गये थे। पट्टाधारियों ने पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन न तो पट्टे की समाप्ति की तिथि के पहले दिया न बाद में।इसके अतिरिक्त 3013 पट्टाधारी पट्टे के अनुबंध के अनुसार 115.19 लाख रुपये राशि के पट्टा लगान का भुगतान भी नहीं कर रहे थे जिसका ब्यौरा नीचे है :-

क्रम सं.	जिले का नाम	अवधि	समाप्त पट्टों की संख्या	निहित क्षेत्र (एकड़ में)	सलामी	आवासीय लगान	वाणिज्यिक लगान	दुगुना लगान का बकाया	ब्याज	कुल निहित राशि
						(	लाख	रुपये	में	)
1	भागलपुर	1.9.1948 से 31.8.1996	2	36.90	622.69	24.91	--	0.22	0.23	648.05

2	साहेबगंज	1.4.1959 से 31.3.1991	2841	506.90	11240.89	224.82	--	--	0.06	--	11465.77
3	मुंगेर	1.4.1992 से 31.3.1995	1554	131.05	3190.15	190.39	--	--	1.45	0.31	3382.30
4	मुजफ्फरपुर	1.2.1955 से 31.3.1993	3	14.71	367.75	4.65	--	6.75	230.16	--	609.31
5	सीतामढ़ी	1991-92 तक	105	28.50	324.91	6.51	--	--	---	--	331.42
6	मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	1.4.1971 से 31.3.1999	60	40.49	733.85	1.16	--	33.78	100.78	187.81	1057.38
7	चाईबासा (पश्चिमी सिंहभम)	1995-96 से 1998-99	1658	402.71	3545.14	70.90	--	--	1.32	0.35	3617.71
कुल			6223	1161.26	20025.38	523.34		40.53	333.99	188.70	21111.94

दृष्टांतस्वरूप 10 मामले जिनमें पट्टों का नवीकरण नहीं हुआ और प्रत्येक मामले में जहाँ 50 लाख रुपये से अधिक की राशि लम्बित थी परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं। इन 10 मामलों में निहित कुल राशि 2437.48 लाख रुपये थी।

तथापि, खास महल कार्यालय चाईबासा ने पट्टाधारियों की विस्तृत सूची को उपलब्ध नहीं कराया।

पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन और पट्टों का नवीकरण नहीं कराने के बावजूद सरकार ने 21697.95 लाख रुपये (सलामी : 20583.35 लाख रुपये, वाणिज्यिक लगान : 68.42 लाख रुपये, आवासीय लगान : 523.34 लाख रुपये, दुगुना लगान का बकाया : 334.14 लाख रुपये और ब्याज : 188.70 लाख रुपये) के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं किया ।

इन्हें बताये जाने पर (नवम्बर 1998 और मई 1999 के मध्य) अपर समाहर्त्ता भागलपुर, साहेबगंज, सीतामढ़ी, मोतिहारी और खास महल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने कहा (नवम्बर 1998 और मई 1999 के मध्य) कि आवश्यक कार्रवाई की जायेगी जबकि खास महल पदाधिकारी, मुंगेर और अपर उपायुक्त, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम) ने कहा (नवम्बर 1998 और मई 1999 के मध्य) कि मामले पट्टों के नवीकरण और सलामी, लगान आदि के निर्धारण की प्रक्रियाओं से सम्बंधित कतिपय स्पष्टीकरण/अनुदेशों के लिए सरकार के यहाँ लम्बित हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि सरकार द्वारा निर्मित नियमों और समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में सभी प्रावधान उपलब्ध है।

(ख) शहरी खास महल भूमि पर अतिक्रमण के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया हो या किसी अतिक्रमण को जारी रखने का उत्तरदायी हो तो बिहार सरकार भू-सम्पत्ति (खास महल) नियमावली, 1953 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अतिक्रमण को खाली करने या वैसी भूमि के उपयोग के लिये लगान और क्षति का भुगतान करने पर उस व्यक्ति को वैसी सार्वजनिक भूमि बंदोबस्त करने हेतु नोटिस तामील की जा सकती है। तदनुसार,

वाणिज्यिक, आवासीय प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक भूमि का उपयोग करने के कारण हुई क्षति के मामले में वैसी भूमि पर वर्त्तमान बाजार मूल्य के आधार पर सलामी के साथ उस सलामी का बीसवाँ/पचासवाँ भाग क्रमशः वार्षिक वाणिज्यिक/आवासीय लगान के रूप में भुगतेय है।

3* जिला खास महल कार्यालयों में यह देखा गया (जनवरी और मई 1999 के मध्य) कि आवासीय प्रयोजनों से मकानों का निर्माण या विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्थापित किये जाने के कारण 734 व्यक्तियों द्वारा 55.80 एकड़ की खास महल भूमि अतिक्रमण में थी। अतिक्रमित भूमि नियमित करने के लिये न तो खाली करायी गयी न बंदोबस्त की गयी। इसके परिणामस्वरूप 1398.99 लाख रुपये की सलामी, वाणिज्यिक लगान और आवासीय लगान का निर्धारण/उद्ग्रहण नहीं हुआ जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्रम सं.	जिले का नाम	निहित क्षेत्र (एकड़ में)	अतिक्रामकों की संख्या	अतिक्रमण का वर्ष	सलामी	आवासीय लगान	वाणिज्यिक लगान	कुल निहित राशि
					(	लाख	रुपये में	)
1	मुजफ्फरपुर	20.04	613	1996 के पूर्व	501.00	20.04	--	521.04
2	सीतामढ़ी	2.31	50	1987 के पूर्व	28.88	6.35	--	35.23
3	मोतिहारी	33.45	71	14.5.1992 के पूर्व	803.41	0.58	38.73	842.72
	कुल				1333.29	26.97	38.73	1398.99

दृष्टांतस्वरूप अतिक्रामकों के 7 ऐसे मामले जिसमें प्रत्येक में 25 लाख रुपये से अधिक की राशि का बकाया था और जिसमें कुल 735.66 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त है परिशिष्ट 'ग' में दिये गये हैं।

इसे बताये जाने पर (जनवरी और मई 1999 के मध्य), विभाग ने आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सहमति जताई।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (सितम्बर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

2.02 राज्य के बाहर से लायी गयी वस्तुओं की प्राप्तियों में अनियमिततायें

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के व्यवसायियों द्वारा राज्य के बाहर से या तो (i) घोषणा प्रपत्र 'सी' निर्गत कर अपने क्रय पर 4 प्रतिशत की दर से भुगतान के पश्चात् अथवा (ii) अपने अन्य किसी व्यापारिक स्थान या अपने अभिकर्त्ता या प्रधान या अन्य तरह से बिना कर भुगतान के भंडार अंतरण दावे के प्रमाणस्वरूप घोषणा प्रपत्र 'एफ'/बिक्री नोट निर्गत कर माल प्राप्त किया जाता है। तथापि, ऐसे माल की बिक्री पर राज्य के कानून के अंतर्गत निर्दिष्ट दर से बिहार में कर आरोप्य है यदि माल पर विशेष रूप से कर से छूट न दी गयी हो।

बिक्री कर का अपवंचन साधारणतया या तो वैसे व्यवसायी द्वारा जो कर भुगतान के लिए जिम्मेदार होते हुए भी अपने को अनिबंधित रख कर व्यवसाय करता है अथवा विक्रय/क्रय के

* मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और सीतामढ़ी।

छिपाव, माल का गलत वर्गीकरण जाली, चुराये गये और अवैध घोषणा प्रपत्रों आदि के उपयोग द्वारा किया जाता है।

ऐसे कर अपवंचन को रोकने हेतु उपर्युक्त अधिनियम के प्रावाधानों के अंतर्गत बने नियमों एवं फरवरी 1986 और अगस्त 1990 में निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के तहत क्रेता/हस्तान्तरिती व्यवसायी, विहित प्राधिकारी से केवल प्रपत्र 'सी' या 'एफ' प्राप्त करेगा यदि (i) व्यवसायी द्वारा प्रपत्र पूरी तरह से भरा और हस्ताक्षरित किया गया हो, (ii) माल की अधिकतम कीमत लाल स्याही से भरी गयी हो जो प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो, (iii) ऐसे अभिप्रमाणित प्रपत्र का ब्यौरा भंडार पंजी में हो जिसमें हस्तान्तरणकारी का नाम, पता, माल का नाम, वस्तुओं का मूल्य आदि हो। (iv) वस्तुओं की बिक्री और उद्ग्रहण से सम्बन्धित सूचनायें पंजी/कर निर्धारण अभिलेखों में अंकित हो। क्रेता/हस्तान्तरिती व्यवसायी ऐसे प्रपत्र की अधकट्टी अपने पास रखेगा और इन अधकट्टियों पर प्राप्त माल का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

बिहार के 38 अंचलों में* 6341 लाख रुपये आवर्त्त के धारक 195 व्यवसायियों से संबंधित घोषणाप्रपत्रों पर 1991-92 से 1997-98 की अवधि में राज्य के बाहर से प्राप्त हल्दी, पटाखे, दवा, खाद्य तेल, बिस्कुट, कागज, बैटरी, साबुन, पेन्ट, मोटर के पुर्जे, टायर, टयूब और फ्लैप आदि वस्तुओं से संबंधित {आंध्र प्रदेश (13), कर्नाटक (8), महाराष्ट्र (19), तामिलनाडु (25) और पश्चिम बंगाल (12)} के 77 विनिर्माता व्यवसायियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से निम्नलिखित उद्घटित हुआ :-

(क) विक्रय आवर्त का छिपाया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम, 1981, यथा संशोधित, के अंतर्गत प्रत्तेक निबंधित व्यवसायी अपने सभी लेन-देन से संबंधित एक सही और पूर्ण विवरणी दाखिल करेगा, जिसमें असफल होने पर एवं यदि विहित प्राधिकारी इससे संतुष्ट है और उसके पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी का कोई आवर्त कर निर्धारण से छूट गया है, तो उक्त प्राधिकारी कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण के आदेश की तिथि से आठ वर्षों के भीतर ऐसे आवर्त से संबंधित व्यवसायी से देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है। व्यवसायी छिपाये गये करारोपण आवर्त पर अधिकतम, निर्धारित कर की राशि की तिगुनी राशि तक, किंतु न्यूनतम, निर्धारित कर की समतुल्य राशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। व्यवसायी कारावास की सजा का भी भागी होगा जो छः महीने से कम नहीं किंतु जिसे एक वर्ष तक बढाया जा सकता है और/या अधिकतम एक हजार पाँच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित होगा।

(i) बिहार के 14 वाणिज्यकर अंचलों के 25 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों के साथ आन्ध्र प्रदेश (4), कर्नाटक (1), महाराष्ट्र (1), तामिलनाडु (10) और पश्चिम बंगाल (2) के 18 विनिर्माताओं के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि 1991-92 से 1996-97 की अवधि

* औरंगाबाद, आदित्यपुर, बोकारो, भागलपुर, बेगुसराय, छपरा, चिरकुंडा, चाईबासा, धनबाद नगरीय, गोपालगंज, गया, गोड्डा, गिरिडीह, हजारीबाग, झरिया, जमशेदपुर, जमशेदपुर नगरीय, कटिहार, कतरास, कोडरमा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पाटलिपुत्र, पटना विशेष, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, राँची विशेष, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी, सिवान, सासाराम, साहेबगंज, सिहभूम, समस्तीपुर और तेघरा।

में घोषणा प्रपत्र 'सी' के आधार पर खरीदे गये या घोषणा प्रपत्र 'एफ'/बिक्री नोटों/बीजकों के आधार पर हस्तांतरित 643.82 लाख रुपये मूल्य के माल की प्राप्ति को लेखापित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 268.14 लाख रुपये राशि के कर का अवनिर्धारण हुआ जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	वस्तु	व्यवसायी की संख्या	अंचल के नाम	छिपाया गया क्रय	कर (अर्थदण्ड सहित)
				(लाख रुपये	में)
1.	वनस्पति	8	चाईबासा, गया, जमशेदपुर नगरीय, लखीसराय, पटना सिटी पश्चिमी और सिंहभूम	304.18	125.80
2.	हल्दी	9	बोकारो, भागलपुर, गया, झरिया और कोडरमा	121.90	50.33
3.	रिफाईन तेल	1	सिंहभूम	136.79	56.59
4.	इलेक्ट्रॉनिक वस्तु	2	धनबाद नगरीय और कतरास	60.46	27.51
5.	बिस्कुट	1	पटना सिटी पश्चिमी	4.92	2.04
6.	फिल्टर	1	चिरकुण्डा	4.54	1.69
7.	ट्रैक्टर के अतिरिक्त पुर्जे	1	बेगुसराय	7.64	2.84
8.	एसिड तेल	1	जमशेदपुर नगरीय	1.89	0.78
9.	रसायन	1	सिंहभूम	1.50	0.56
	कुल	25		643.82	268.14

(ii) 28 वाणिज्यकर अंचलों में कर निर्धारण अभिलेखों से यह देखा गया कि घोषणा प्रपत्र 'सी' तथा एफ'/बिक्री नोट/बीजकों के विरुद्ध 65 व्यवसायियों ने 1991-92 से 1996-97 की अवधि से संबंधित क्रय/विक्रय आवर्त को अपने लेखा में, राज्य के बाहर से प्राप्त 11649.37 लाख रुपये मूल्य के माल को कम लेखापित कर छिपाया। इसके फलस्वरूप 3603.34 लाख रुपये के अर्थदण्ड सहित 4924.30 लाख रुपये राशि के कर का अवनिर्धारण हुआ, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्रम सं.	वस्तु के नाम	व्यवसायियों की संख्या	अंचल का नाम	छिपाया गया बिक्री आवर्त	कर (अर्थदण्ड सहित)
				(लाख रुपये	में)
1.	मोटर के पुर्जे	2	जमशेदपुर और पाटलिपुत्र	8186.87	3725.85
2.	टायर, ट्यूब और फ्लैप	2	जमशेदपुर और राँची पश्चिमी	848.35	350.95
3.	दवा	8	मुजफ्फरपुर, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, राँची पूर्वी और राँची पश्चिमी	1579.13	453.21
4.	वनस्पति	3	राँची विशेष और तेघरा	456.72	188.95
5.	पटाखे	29	औरंगाबाद,भागलपुर, धनबाद नगरीय, गोड्डा, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना सिटी पश्चिमी, राँची विशेष, सासाराम, साहेबगंज, सिंहभूम और समस्तीपुर	321.57	106.04
6.	पेंट	1	पटना दक्षिणी	4.02	2.16
7.	बैटरी	1	पटना विशेष	57.60	21.44
8.	खाद्य तेल	1	पटना दक्षिणी	45.56	18.85
9.	बिस्कुट	2	हजारीबाग और मुंगेर	4.04	1.65
10.	हल्दी	4	गया, झरिया, पटना सिटी पश्चिमी और राँची विशेष	31.63	13.08
11.	चेसिस	1	धनबाद नगरीय	24.99	4.10
12.	क्लिपस	1	जमशेदपुर	24.08	8.97
13.	बिजली के सामान	2	धनबाद नगरीय और मुजफ्फरपुर	15.35	8.83
14.	कागज	1	पटना पश्चिमी	0.99	0.40

15.	टेलिविजन	1	पाटलिपुत्र	11.56	5.26
16.	विस्फोटक	1	धनबाद नगरीय	11.22	4.18
17.	रंजक	1	राँची विशेष	9.55	3.55
18.	बी.आइ.पी.सूटकेस	1	राँची पूर्वी	9.32	4.24
19.	ताँबा तार	1	धनबाद नगरीय	5.53	2.06
20.	अगरबत्ती	1	सिंहभूम	0.59	0.24
21.	रसायन	1	आदित्यपुर	0.70	0.29
	कुल	65		11649.37	4924.30

(ख) चुराये गये/अनधिकृत घोषणा प्रपत्रों के उपयोग के कारण राजस्व की हानि

केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियम 1957 के अंतर्गत यदि कोई घोषणा प्रपत्र गुम, नष्ट या चोरी हो जाता है तो इस क्षति, बर्बादी या चोरी की सार्वजनिक सूचना निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी है। तदुपरांत, आयुक्त, अधिसूचना द्वारा इन प्रपत्रों को ऐसी तिथि से जो अधिसूचना में अंकित हो, अवैध घोषित कर सकता हैं। ऐसे घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध प्राप्त किये गये माल पर कर के अतिरिक्त छिपाये गये आवर्त पर न्यूनतम आरोप्य कर की समतुल्य राशि का अधिकतम तिगुना किंतु न्यूनतम कर की समतुल्य राशि तक अर्थदण्ड आरोप्य होगा। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय बिक्री-कर नियम (बिहार) 1957 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अंतर्गत व्यवसायी को अधिकतम एक हजार पाँच सौ रुपये जुर्माना के साथ न्यूनतम छः महीने का कारावास जिसे एक वर्ष तक बढाया जा सकता है, का दण्ड भी लगेगा।

24 अंचलों* में 97 व्यवसायियों ने आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिलनाडु और पश्चिमी बंगाल के विनिर्माताओं से 2686.15 लाख रुपये मूल्य के हल्दी, पटाखे, वनस्पति, बिस्कुट, बिजली के सामान, खाद्य तेल, एच. एल. दवा और रसायन घोषणा प्रपत्र 'सी' और 'एफ' के विरुद्ध प्राप्त किया जिन्हें या तो आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रमण्डलों द्वारा चोरी हुए प्रपत्रों की सूचना पर अवैध घोषित कर दिया गया था या जो व्यवसायी को, यहाँ तक कि अंचल को भी, निर्गत नहीं हुए थे। व्यवसायी 802.92 लाख रुपये के अर्थदण्ड सहित 1097.33 लाख रुपये राशि के कर के देनदार थे। इसके अतिरिक्त वे छः महीने/एक वर्ष तक के कारावास और एक हजार पाँच सौ रुपये तक के जुर्माना के भी देनदार थे।

(ग) अनिबंधित व्यवसायियों/फर्जी निबंधन संख्या वाले व्यवसायियों को की गयी बिक्री तथा बाजार सर्वेक्षण के अभाव के कारण परिणामी कर का नहीं लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रत्येक व्यवसायी, जो एक आयातक है, अपने सकल आवर्त की परिसीमा का ध्यान किये बिना कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आगे, कोई भी व्यवसायी जो कर का भुगतान करने का उत्तरदायी है, माल की खरीद-बिक्री तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसके पास एक स्वीकृत एवं बैध निबंधन प्रमाणपत्र न हो। निबंधन के लिए आवेदन नहीं करने पर उसे आरोप्य कर के अतिरिक्त निर्धारित कर की राशि के समतुल्य राशि या चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये की दर से, दोनों में जो कम हो, अर्थदण्ड देना है। अप्रैल 1983 और अप्रैल 1990 में निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून की

* भागलपुर, बिहार शरीफ, बोकारो, छपरा, चाईबासा, धनबाद, देवघर, गया, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर नगरीय, झरिया, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, राँची विशेष, सासाराम, सिवान, सिंहभूम और समस्तीपुर।

अवधि के दौरान प्रत्येक अंचल में अधिनियमों के अंतर्गत निबंधन करने हेतु अनिबंधित व्यवसायियों को खोज निकालने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवसायी कर की देयता से छूटा तो नहीं है, बाजार सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 6 अंचलों* के क्षेत्र में पड़ने वाले 8 अनिबंधित व्यवसायियों ने वर्ष 1991-92 से 1997-98 की अवधि में जाली घोषणा प्रपत्र 'सी'/बीजकों के विरुद्ध महाराष्ट्र, तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विनिर्माताओं से पटाखे, मोटर के पुर्जे, कागज, हल्दी और वनस्पति प्राप्त किया। विभाग द्वारा उचित बाजार सर्वेक्षण संचालित नहीं करने के फलस्वरूप 279.34 लाख रुपये का आवर्त कर निर्धारण से छूट गया और परिणामतः 5.53 लाख रुपये के अर्थदण्ड सहित 37.10 लाख रुपये के कर की राशि का अपवंचन हुआ।

उपर्युक्त निष्कर्ष 5 राज्यों के 77 विनिर्माताओं से संबंधित 374 अभिलेखों की तिर्यक जाँच पर आधारित है। 6341.04 लाख रुपये के आवर्त की अनियमिततायें 195 व्यवसायियों के मामलों में देखी गयीं।

यह स्पष्ट रूप से प्राप्तियों/बिक्री के लेन-देन को बाहर के राज्यों में स्थित विनिर्माता इकाइयों के संदर्भित अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच के लिये प्रभावी नियंत्रण तंत्र की कमियों को दर्शाता है। आंतरिक नियंत्रण एवं अनुदेशों के अनुपालन में कमी के फलस्वरूप हुए राजस्व के रिसाव को उपर्युक्त कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त निष्कर्षों के बताये जाने पर (अगस्त 1999) संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर (कराधान) ने कहा (अगस्त 1999) कि मामलों की समीक्षा हेतु संबंधित अंचलों के प्रभारी को निर्देश दिया जायेगा।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (सितम्बर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

2.03 ब्याज राजस्व की हानि

बिहार एवं उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (धारा 6), {बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (धारा 5) से प्रतिस्थापित} के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बने नियमों {बिहार मोटर वाहन करारोपण नियम, 1930 (नियम 4) और बिहार मोटर वाहन करारोपण नियम 1994 के नियम 5} के अनुसार मोटर वाहनों से संबंधित कर, शुल्क आदि वाहन मालिकों द्वारा भुगतान-पर्ची से राज्य के जिला मुख्यालयों में अवस्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखाओं में जमा होता है और ऐसे जमा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा, पटना में तार द्वारा प्रतिदिन हस्तांतरित किया जाना है। जहाँ कार्यालय कम्प्युटरीकृत हैं, वाहन मालिकों द्वारा ऐसे वाहन सहित अन्य वाहनों, जो आसन्न राज्यों के साथ द्विपक्षी अनुबंधों और राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र योजना के अंतर्गत राज्य में चलते है, के लिये कर तथा शुल्क जिला परिवहन कार्यालयों (जि.प.का.)/राज्य परिवहन आयुक्त (रा.प.आ.) की कम्प्यूटर खिड़कियों पर नगद, बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त किये जाते हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किये जाते हैं जिन्हें ऐसे संग्रहण को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा, पटना को हस्तांतरित करना

* भागलपुर, बेगुसराय, चाईबासा, हजारीबाग, सिंहभूम और समस्तीपुर।

है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा समेकित संग्रहण को चालान से लेखा शीर्ष '0041 मोटर वाहनों पर कर - प्राप्तियाँ के अंतर्गत कोषागार में जमा करता है। मार्च 1996 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार अप्रैल से फरवरी की अवधि में जमा की गयी राशि सरकारी खाते में इस प्रकार से हस्तांतरित करनी है कि पिछले महीने की कुल प्राप्तियाँ अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक हस्तांतरित हो जायँ। मार्च महीने में जमा की गयी राशि 31 मार्च तक निश्चित रूप से हस्तांतरित हो जानी चाहिए ताकि एक वित्तीय वर्ष में जमा की गयी पूरी राशि उसी वित्तीय वर्ष के भीतर सरकारी खाते में हस्तांतरित हो जाय।

(क) पटना में 20 बैंक* थे जहाँ 1998-99 की अवधि में गृह-राज्य सहित अन्य राज्यों से शुल्क/कर से संबंधित विभिन्न बैंक ड्राफ्ट एस.बी.आई, सचिवालय शाखा के माध्यम से सरकारी खाते में संप्रेषण हेतु प्राप्त किये गये थे।

यह देखा गया कि एस. बी.आई, राँची ने 7 अक्तूबर 1994 तक संग्रहण किये गये 20 लाख रुपये को रोक रखा जो 141 दिनों के बाद 4 मार्च 1995 को हस्तांतरित हुआ और एस.बी.आई., जमशेदपुर ने 12 अप्रैल 1993 तक उद्ग्रहित 21.66 लाख रुपये को रोके रखा जो 44 दिनों बाद 25 मई 1993 को हस्तांतरित हुआ।

(ख) एस.बी.आई, सचिवालय शाखा

एस.बी.आई. सचिवालय शाखा से राजस्व संग्रहण का सरकारी खाते में हस्तांतरण 6 से 31 दिनों के विलम्ब से हुआ। फरवरी 1999 में संग्रहित 1092.49 लाख रुपये का अतिशेष पटना सचिवालय कोषगार में 31 दिनों के बाद मार्च 1999 के अंत में जमा किया गया।

विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों में कठोर शर्त्तों का प्रावधान नहीं रहने से बैंकों को सरकारी राजस्व को लम्बे समय तक अपने पास रखने का अनुचित लाभ लेने में सुविधा मिली ।

---

* विजया बैंक, आन्ध्र बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन्डियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सेन्ट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मदुरा, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, सिंडिकेट बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।

परिशिष्ट -'क'

{ कंडिका 2.01 (क) (i) के संदर्भ में}

क्रम सं.	पट्टाधारियों के नाम और पता	जिले का नाम	बंदोबस्त किये गये क्षेत्र (एकड़ में)	उलंघन का वर्ष	सलामी	वाणिज्यिक लगान	कुल निहित राशि
					(लाख रुपये में)		
1.	पट्टाधारी-'क'	साहेबगंज	1.15	1985	48.79	2.44	51.23
2.	पट्टाधारी-'ख'	तथैव	0.93	1989	25.31	1.27	26.58
3.	पट्टाधारी-'ग'	तथैव	0.91	1972	24.69	1.23	25.92
4.	पट्टाधारी-'घ'	तथैव	0.58	1992	24.61	1.23	25.84
5.	पट्टाधारी-'ङ'	तथैव	0.79	1987	24.09	1.20	25.29
6.	पट्टाधारी-'च'	तथैव	0.38	1980	11.37	0.57	11.94
	कुल		4.74		158.86	7.94	166.80

परिशिष्ट -'ख'

{कंडिका 2.01 (क) (ii) के संदर्भ में}

क्रम	पट्टाधारियों के नाम और पता	जिले का नाम	बंदोबस्त किये गये क्षेत्र (एकड़ मे)	पट्टा समाप्त होने की तिथि /वर्ष	सलामी	आवासीय लगान	वाणिज्यिक लगान	दुगुना लगान का बकाया	ब्याज	कुल निहित राशि
							(लाख रुपये	में)		
1.	पट्टाधारी-'क'	मोतिहारी	32.87	1971	565.36	---	28.27	100.78	187.80	882.22
2.	पट्टाधारी-'ख'	भागलपुर	24.91	1948	420.36	16.81	--	0.15	0.16	437.48
3.	पट्टाधारी-'ग'	मुजफ्फरपुर	5.11	1.4.1993	127.75	---	6.38	229.40	--	363.53
4.	पट्टाधारी-'घ'	मुजफ्फरपुर	9.31	26.6.1975	232.75	4.66	--	--	--	237.41
5.	पट्टाधारी-'ङ'	भागलपुर	11.99	1948	202.33	8.09	--	0.07	0.07	210.56
6.	पट्टाधारी-'च'	मुंगेर	2.45	1.4.1992	74.63	4.48	--	0.01	0.01	79.13
7.	पट्टाधारी-'छ'	मुंगेर	1.85	1.4.1992	56.34	3.38	--	0.01	0.01	59.74
8.	पट्टाधारी-'ज'	मुंगेर	1.77	1.4.1962	53.93	3.24	--	0.01	0.01	57.18
9.	पट्टाधारी-'झ'	मुंगेर	1.76	1.4.1992	53.66	3.22	--	0.01	0.01	56.89
10.	पट्टाधारी-'ञ'	मुंगेर	1.65	1.4.1962	50.30	3.02	--	0.01	0.01	53.34
	कुल		93.67		1837.41	46.90	34.65	330.45	188.08	2437.48

परिशिष्ट - 'ग'

{ कंडिका 2.01 (ख) के संदर्भ में }

क्रम सं.	अतिक्रामको के नाम और पता	जिला का नाम	निहित क्षेत्र (एकड़ में)	अतिक्रमण की तिथि/वर्ष	सलामी	वाणिज्यिक लगान	कुल निहित राशि
					(लाख	रुपये	में)
1.	पट्टाधारी-'क'	मोतिहारी	11.43	1979	294.89	14.74	309.63
2.	पट्टाधारी-'ख'	तथैव	4.53	1996	116.87	5.84	122.71
3.	पट्टाधारी-'ग'	तथैव	4.93	1980 के पूर्व	84.80	4.24	89.04
4.	पट्टाधारी-'घ'	तथैव	2.90	1987	74.82	3.74	78.56
5.	पट्टाधारी-'ङ'	तथैव	3.00	1983	51.60	2.58	54.18
6.	पट्टाधारी-'च'	तथैव	2.00	1980 के पूर्व	51.60	2.58	54.18
7.	पट्टाधारी-'छ'	तथैव	1.01	1955 के पूर्व	26.06	1.30	27.36
	कुल		29.80		700.64	35.02	735.66

अध्याय 3ः बिक्री, व्यापार आदि पर कर

3.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न वाणिज्य कर अंचलों में कर निर्धारण एवं वापसी (रिफंड) संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच से 672 मामलों में 33889.23 लाख रुपये की राशि के अवनिर्धारण का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत हैं :-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	कर की अधिक उगाही पर अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	7	18122.44
2.	कर से अनियमित छूट	188	4298.63
3.	कर की रियायती दरों की अनियमित स्वीकृति	58	2123.56
4.	सकल बिक्री राशि के गलत निर्धारण के कारण कर का कम लगाया जाना	85	1166.57
5.	अर्थदंड का नहीं लगाया जाना (कर का कम भुगतान)	66	577.10
6.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना	96	501.20
7.	प्रवेश कर का कम लगाया जाना	3	207.54
8.	गलत दरों से कर का लगाया जाना	74	199.07
9.	अन्य मामले	95	6693.12
	कुल	672	33889.23

वर्ष 1998-99 के दौरान संबंधित विभाग ने 29 मामलों में अंतर्ग्रस्त 33.62 लाख रुपये के अवनिर्धारण को स्वीकार किया जिनमें सभी मामले पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में बताए गये थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 978.93 लाख रुपये का कर प्रभाव निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

3. 02 बिक्री राशि का छिपाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यापारी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जान बूझकर छिपाया, दर्शाने में विफल रहा है या गलत ब्यौरा प्रस्तुत किया है तो वह दंड का भागीदार होगा। दंड की राशि कर के तीन गुना से अधिक नहीं होगी लेकिन कर की राशि से कम नहीं होगी। अप्रैल 1983 में निर्गत अधिसूचना के द्वारा विहित घोषणाप्रपत्रों के अंतर्गत आवक एवं जावक वस्तुओं की आवाजाही एवं चयनित वस्तुओं की व्यापार-पद्धति का अध्ययन कर अपवंचन को रोकने हेतु एक अन्वेषण ब्यूरो (सम्पूर्ण राज्य के अधिकार क्षेत्र में एक केन्द्रीय आई.बी. एवं प्रत्येक ग्यारह प्रंमडलों में प्रमण्डलीय आई.बी.) की स्थापना की गई।

8 वाणिज्य कर अंचलों* के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (जून 1998 और फरवरी 1999 के मध्य) 20 व्यवसायियों द्वारा प्रपत्र 'सी' / 'एफ' (केन्द्रीय), रोड परमिट तथा प्रपत्र

* आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, जमशेदपुर नगरीय, पटना विशेष, पाटलिपुत्र, सिंहभूम एवं सासाराम।

'सी' (राज्य) जारी कर लाये मालों को अपने लेखा में नहीं दिखाकर 3179.31 लाख रुपये मूल्य की बिक्री राशि को छिपाया गया। खरीद/बिक्री के छिपाव को रोकने में विभाग की असफलता के कारण 545.04 लाख रुपये के कर (अतिरिक्त कर, अधिभार एवं न्यूनतम आरोप्य दंड सहित) का अवनिर्धारण हुआ। कुछ द्रष्टव्य मामले नीचे दिये गये हैं :-

क्रम सं.	अंचल का नाम	कराधान वर्ष	वस्तु	कराधान तिथि	खरीद का माध्यम	वास्तविक खरीद	लेखांकित खरीद	छिपायी गयी राशि	अधिरोप्य दर %	कर की राशि	दंड की राशि	कुल
										(लाख	रुपये में)	
1	आदित्यपुर	1993-94 1994-95 1995-96	स्टील	8.7.1996 30.4.1997 31.12.1997	रोड परमिट	477.59	91.93	385.66	4	15.43	15.42	30.85
2	आदित्यपुर	1995-96	बस / ट्रक बॉडी के फिटिंग पार्ट्स	25.2.1997	वही	162.23	75.38	86.85	10+1	10.61	9.64	20.25
3	बोकारो	1992-93	इलेक्ट्रीकल वस्तु	4.12.1996	प्रपत्र 'सी' केन्द्रीय	1532.48	247.16	1285.32	12+1	185.60	169.63	355.23
4 (i)	बोकारो	1993-94	आयरन एवं स्टील	6.6.1996	प्रपत्र 'सी' राज्य	392.67	30.10	362.57	4	14.51	14.50	29.01
4(ii)	बोकारो	1993-94	वही	27.3.1997	प्रपत्र 'सी' राज्य	186.21	20.00	166.21	4	6.65	6.65	13.30
5	पाटलिपुत्र अंचल	1996-97	दवाएँ	28.2.1998	प्रपत्र 'एफ' केन्द्रीय	349.75	303.85	45.90	7	3.53	3.21	6.74
	कुल					3100.93	768.42	2332.51		236.33	219.05	455.38

इन्हें बताए जाने पर (जून 1998 और फरवरी 1999 के मध्य) विभाग ने कहा (जून 1998 और फरवरी 1999 के मध्य) कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जुलाई 1998 और अप्रैल 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

3. 03 प्रवेश कर कम लगाया जाना

बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अंतर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र में खपत, उपयोग या उस क्षेत्र में बिक्री के लिये लायी गयी अनुसूचित वस्तुओं के प्रवेश पर, वैसी दर पर जो वैसी वस्तुओं के आयात मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, उत्पाद कर अधिरोपित एवं वसूलनीय होगा। फरवरी 1993 में निर्गत अधिसूचना के द्वारा ''तम्बाकू उत्पाद'' पर 3 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर अधिरोप्य है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पटना विशेष अंचल के एक व्यवसायी ने 1994-95 और 1995-96 के कर-निर्धारण आदेश के विवरणानुसार (मार्च 1998 में कर निर्धारित) 118.17 करोड़ रुपये मूल्य के सिगरेट का आयात किया परन्तु प्रवेश कर केवल 56.85 करोड़ रुपये पर लगाया गया। परिणामस्वरूप 2.03 करोड़ रुपये मूल्य के भंडार स्थानान्तरण और क्षतिग्रस्त वस्तुओं को छोड़कर शेष 59.29 करोड़ रुपये की राशि पर 3 प्रतिशत की दर से संगणित 177.86 लाख रुपये का कम कर लगाया गया।

इसे बताये जाने पर (अक्तूबर 1998), विभाग ने कहा (अक्तूबर 1998) कि मामले की समीक्षा की जायगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

3.04 अर्थदंड का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि एक निबंधित व्यवसायी देय स्वीकृत कर का भुगतान नियत तिथि तक यथा उस माह/तिमाही के अन्त में जिससे विवरणी सम्बन्धित है, के बाद वाले माह की 15वीं तारीख तक नहीं करता है तो प्राधिकारी नियत तिथि के बाद प्रथम तीन महीने/या उसकी आंशिक अवधि के लिए कर की राशि का न्यूनतम ढाई प्रतिशत एवं अधिकतम पाँच प्रतिशत एवं प्रत्येक अनुवर्ती महीना या उसकी आंशिक अवधि के लिए कम से कम पाँच प्रतिशत, किन्तु दस प्रतिशत से अधिक नहीं, का अर्थदंड लगायेगा।

5 अंचलों में 5 व्यवसायी मासिक/त्रैमासिक विवरणी के अनुसार निश्चित तिथि या उसके पूर्व स्वीकृत कर का भुगतान करने में असफल रहे और इस प्रकार वे दंड स्वरूप 82.07 लाख रुपये के देनदार थे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है .

क्रम सं.	अंचल का नाम	कर निर्धारण वर्ष	आदेश की तिथि	स्वीकृत कर की राशि (लाख रुपये में)	चूक की अवधि	आरोप्य दंड	आरोपित दंड	कम लगाया गया दंड
							(लाख रुपये में)	
1.	राँची पश्चिम	1993-94	31.3.1998	47.83	44 से 58 महीने	44.74	शून्य	44.74
2.	जमशेदपुर नगरीय	1990-91 1991-92	4.12.1996	16.06	4 दिन से 65 महीने	23.58	शून्य	23.58
3.	सासाराम	1993-94	12.3.1998	2.77	17 दिन से 55 महीने	6.95	0.28	6.67
4.	पटना विशेष	1994-95	30.8.1997	2.98	28 महीना एवं 24 दिन	4.29	0.03	4.26
5.	हजारीबाग	1994-95	18.2.1998	1.59	34 से 43 महीने	2.82	शून्य	2.82
	कुल					82.38	0.31	82.07

इन्हें बताए जाने पर (मई और अक्तूबर 1998 के मध्य), विभाग ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जाएगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1998 एवं फरवरी 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

3.05 आस्थगित कर के किस्त एवं ब्याज की वसूली नहीं होना

बिहार बिक्री कर पूरक (कर आस्थगन) नियमावली, 1990 के अन्तर्गत आस्थगित कर की राशि का भुगतान, उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से दस वर्षों की अवधि के भीतर, तीन या पाँच बराबर वार्षिक किस्तों में, जैसा लागू हो, वैधता अवधि के बीत जाने पर, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक करना है। चूक के मामले में भुगतान योग्य बकाए राशि पर उसके भुगतान किये जाने की तिथि तक के लिए प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

वाणिज्यकर अंचल, राँची पूर्व के एक विनिर्माता ने, जिसका कर आस्थगन स्वीकृत किया गया था (अगस्त 1989 से जुलाई 1994 की अवधि के लिए) 30.88 लाख रुपये प्रत्येक की 4 वार्षिक किस्तों की राशि, जो 31 मार्च 1995, 31 मार्च 1996, 31 मार्च 1997 एवं 31 मार्च 1998 को देय थी,

का भुगतान नहीं किया। व्यवसायी से भुगतेय तिथि से लेखापरीक्षा की तिथि (दिसम्बर 1998) तक की अवधि तक के लिए 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से 66.71 लाख रुपये के ब्याज के साथ 123.52 लाख रुपये के आस्थगित कर की राशि वसूलनीय थी।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 1999) विभाग ने कहा कि मामले की समीक्षा की जाएगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

3.06 केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत अवनिर्धारण

(क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वस्तुओं की अंतर्राज्य बिक्री पर (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) जो विहित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं है, दस प्रतिशत या राज्य में लागू दर, जो अधिक हो, कर आरोप्य है।

2 अंचलों (आदित्यपुर और हजारीबाग) में 3 व्यवसायियों द्वारा 1990-91 से 1992-93 की अवधि में की गई 1424.50 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं की बिक्री विहित घोषणाओं द्वारा समर्थित नहीं थी तथा कम दर से कर लगाया गया। इसके फलस्वरूप 25.22 लाख रुपये के केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण हुआ जैसा कि नीचे की तालिका में वर्णित है :-

क्रमांक	अंचल का नाम	वस्तु	कर निर्धारण वर्ष	आदेश की तिथि	वस्तु का मूल्य (लाख रुपये में)	आरोप्य कर दर (प्रतिशत)	आरोपित कर दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर (लाख रुपये में)
1.	हजारीबाग	टिम्बर	1990-91 से 1992-93	18.3.1997	429.32	12+1	10	12.88
2.	आदित्यपुर	सीमेंट	1991-92 से 1992-93	25.1.1997	137.88	11+1	10	2.91
3.	वही	मोटर यान के पूर्जे	1990-91 1991-92 1992-93	12.6.1996 13.6.1996 22.7.1997	857.30	10+1	10	9.43
	कुल							**25.22**

इन्हें बताए जाने पर (दिसम्बर 1995 और नवम्बर 1998 के मध्य) विभाग ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जाएगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1998 और जनवरी 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत यदि व्यवसायी एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं के संचलन, उनके स्वामित्व के कागजातों के हस्तान्तरण द्वारा किये गये अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य के क्रम में कर से छूट का दावा करता है तो वह कर निर्धारण पदाधिकारी के समक्ष विहित समय में ऐसी तदन्तर बिक्री के समर्थन में विहित घोषणाओं को प्रस्तुत करेगा। यदि व्यवसायी कराधान की तिथि तक घोषणा को प्रस्तुत

करने में असफल रहता है तो 10 प्रतिशत या संबंधित राज्य में उपयुक्त विक्री कर अधिनियम के अंतर्गत देय कर, जो अधिक हो, की दर से देय है।

जमशेदपुर नगरीय अंचल में 2 व्यवसायियों द्वारा 1990-91 से 1993-94 की अवधि में 336.02 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं के पारगमन विक्रय (ट्रांजिट सेल) मार्च 1997 को समाप्त कराधान की तिथि तक विहित घोषणाओं द्वारा समर्थित नहीं थे। इस बिक्री पर निश्चित दर के बदले बिक्री को बिहार राज्य के अन्तर्गत दो व्यवसायियों के बीच बिक्री मान कर 4 प्रतिशत की कम दर से कर लगाया गया। इसके फलस्वरूप 22.24 लाख रुपये (अतिरिक्त कर सहित) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इन्हें बताए जाने पर (मार्च और नवम्बर 1998 के मध्य) विभाग ने कहा (मार्च और नवम्बर 1998 के मध्य) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

3.07 अतिरिक्त कर का नहीं लगाया जाना/ कम लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी को उसकी सकल बिक्री राशि पर (अतिरिक्त कर के अधिरोपण से विशेषतः मुक्त वस्तुओं को छोड़कर) नवम्बर 1981 से शराब को छोड़कर जिसपर 2 प्रतिशत अतिरिक्त कर देय है, एक प्रतिशत अतिरिक्त कर देना है।

8 अंचलों* में जून 1996 से दिसम्बर 1998 के दौरान कर निर्धारण के 9 मामले में 2979.12 लाख के निर्धारित कर पर 25.36 लाख रुपये का अतिरिक्त कर (अधिभार सहित) या तो नहीं लगाया गया या कम लगाया गया।

इन्हें बताए जाने पर (नवम्बर 1998 और फरवरी 1999 के मध्य) विभाग ने एक मामले में अतिरिक्त माँग सृजित किया तथा 7 मामलों में कहा कि इनकी समीक्षा की जायेगी। एक मामले में कोई उत्तर नहीं दिया गया। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अक्तूबर 1998 और अप्रैल 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।

3. 08 वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण अवनिर्धारण

बिहार वित्त अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रिक मोटर, सैनिटरी गुड्स एवं फिटिंग्स तथा रिफ्रैक्टरी वस्तुओं पर बिहार में बिक्री के प्रथम बिंदु पर क्रमशः 9 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत की दर से कर अधिरोप्य है।

* भागलपुर, बगहा, जमशेदपुर नगरीय, पटना पश्चिम, पटना विशेष, पटना सिटी पश्चिम, राँची पूर्व तथा सिंहभूम।

(क) 3 वाणिज्य कर अंचलों में 3 मामलों में 9.07 लाख रुपये का कर (अतिरिक्त कर और अधिभार सहित) नहीं लगाया गया क्योंकि सम्बन्धित अधिकारियों ने भूल वश इन वस्तुओं पर बिहार में बिक्री के अंतिम बिंदु पर कर आरोप्य समझा। विवरण नीचे दिये गये है :

क्रमांक	अंचल का नाम	वस्तु का नाम	वर्ष	कर निर्धारण की तिथि	बिक्री राशि (लाख रुपये में)	आरोप्य कर की दर	नहीं लगाये कर की राशि (लाख रुपये में)
1.	राँची पूर्व	इलेक्ट्रिक मोटर	1994-95	21.12.96	15.50	9	1.55
2.	सिंहभूम	सैनिटरी गुड्स/फिटिंग्स	1995-96	18.8.97	40.36	10	4.48
3.	हजारीबाग	रिफ्रैक्टरी वस्तु (फायर क्ले)	1992-93 से 1994-95	30.6.95 एवं 26.8.97	34.58	8	3.04
	कुल				90.44		9.07

इन्हें बताए जाने पर (जून 1998 और जनवरी 1999 के मध्य) विभाग ने एक मामले में अतिरिक्त माँग सृजित किया (अक्तूबर 1999) तथा अन्य मामलों में कहा (जून 1998 और जनवरी 1999 के मध्य) कि उसकी समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1998 तथा फरवरी 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

(ख) न्यायिक निर्णय* के अनुसार यदि कास्ट आयरन को मशिनिंग, पालिसिंग या किसी और प्रक्रिया द्वारा भिन्न वस्तु का निर्माण होता है तो वैसी वस्तुऐं घोषित वस्तु नहीं कही जा सकती। अतः कास्ट आयरन फिंटिंग्स, मैन होल कवर्स तथा स्टील कम्पोनेन्ट्स घोषित वस्तुऐं नहीं है और बिहार में इनकी बिक्री के प्रथम बिंदु पर 8 प्रतिशत की दर से कर अधिरोप्य है।

मुजफ्फरपुर तथा राँची विशेष वाणिज्यकर अंचलों के 2 व्यापारियों ने वर्ष 1993-94 के दौरान (कर- निर्धारण मार्च 1998 में) 149.08 लाख रुपये मूल्य के स्टील कम्पोनेन्ट्स, कास्ट आयरन फिटिंग्स, कास्ट आयरन वाल्व्स तथा एम.एच. कवर्स का विक्रय किया तथा उन पर अधिरोप्य 8 प्रतिशत की सही दर के बदले 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया। इसके फलस्वरूप 8.83 लाख रुपये के कर (अतिरिक्त कर सहित) का अवनिर्धारण हुआ ।

इन्हें बताए जाने पर (अगस्त 1998) विभाग ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किए गये (दिसम्बर 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।

* वसन्थम फाउन्ड्री बनाम भारत सरकार (1995) 99 एस.टी.सी. 87 एस. सी. (1996) बी.आर.एल.जे.-9।

3.09 गलत दर से कर का लगाया जाना

5 वाणिज्य कर अंचलों में 6 व्यवसायियों के मामले में 558.82 लाख रुपये मूल्य के मालों की बिक्री पर गलत दर से कर लगाने के फलस्वरूप 16.53 लाख रुपये का कम कर (अतिरिक्त कर और अधिभार सहित) लगाया गया जैसा कि नीचे की तालिका में दिया गया है:-

क्रमांक	अंचल का नाम	वस्तु का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण की तिथि	बिक्री मूल्य	निर्धारित कर की राशि	कर दर का प्रतिशत		कर अवनिर्धारण की राशि
							अधिरोप्य	आरोपित	
1.	सासाराम	वर्क्स कनट्रैक्ट	1994-95 से 1996-97	7.4.1998	31.02	0.73	8	2	2.37
2.	जमशेदपुर नगरीय	निरमा डिटरजेन्ट तथा साबुन	1995-96	20.11.1996	62.86	10.07	10	8	0.50
3.	वही	एयर कंडीसनर तथा मोटर यान आदि	1995-96	27.1.1997	100.52	10.61	16 एवं 4	8	7.92
4.	आदित्यपुर	मोटर यान कम्पोनेन्ट्स	1990-91 और 1991-92	12.6.1996 और 13.6.1996	183.87	22.94	10	9	2.04
5.	राँची पश्चिम	आटो टायर्स तथा ट्यूबस	1995-96 और 1996-97	27.1.1997 और 3.2.1998	98.80	10.08	9	8	0.98
6.	दानापुर	पालीथीन फोम	1990-91 और 1991-92	16.8.1995	81.75	7.26	10	7	2.72
	कुल				558.82				16.53

इन्हें बताए जाने पर (जुलाई 1996 और अक्तूबर 1998 के मध्य) विभाग ने कहा (जुलाई 1996 और अक्तूबर 1998 के मध्य) कि मामलों की जाँच की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1996 और अप्रैल 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

अध्याय 4 : राज्य उत्पाद

4.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998-99 के दौरान उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 1216 मामलों में 1096.72 लाख रुपये की राशि के अवनिर्धारण एवं राजस्व की हानि का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना/विलंब से होना	456	577.52
2.	देशी शराब की अधिक निकासी पर अतिरिक्त राशि (अधिभार) वसूल नहीं होना	32	181.95
3.	अनुज्ञा शुल्क वसूल नहीं होना	171	90.14
4.	देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के अपव्यय की अनियमित स्वीकृति	41	15.62
5.	विदेशी शराब/विकृत सुषव सहित सुषव के अपव्यय से राजस्व की हानि	14	5.87
6.	अनधिकृत छूट के कारण अनुचित वित्तीय लाभ	7	2.25
7.	अन्य मामले	495	223.37
	कुल	**1216**	**1096.72**

वर्ष 1998-99 के दौरान संबंधित विभाग ने 432 मामलों में अंतर्ग्रस्त 67.04 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिनमें से 12.80 लाख रुपये से अतर्ग्रस्त 72 मामले वर्ष 1998-99 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो की लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये।

दृष्टान्तस्वरुप कुछ मामले, जिनमें 432.07 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त हैं, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं:-

4.02 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन देशी शराब/विदेशी शराब तथा मसालेदार देशी शराब की उत्पाद दुकानों से खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति समाहर्त्ता द्वारा नीलामी से वार्षिक रूप से बंदोबस्त की जाती है, जो उत्पाद आयुक्त द्वारा नियत रक्षित शुल्क या अनुमोदित अपसेट फीस से कम पर न हो। जब किसी मामले में नियत रक्षित शुल्क प्राप्त न हो तो समाहर्त्ता स्वविवेक से कम शुल्क स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि आयुक्त ने इसकी अनुमति दे दी हो। विभाग ने सभी समाहर्त्ता/उपायुक्तों को अबंदोबस्त दुकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने का निर्देश भी जारी किया (जून 1995)। यदि बाद में दुकानें बन्दोबस्त हो जाती हैं तो विभागीय संचालन समाप्त हो जायेगा।

9 उत्पाद जिलों में* 19 देशी शराब, 38 भारत निर्मित विदेशी शराब तथा 77 मसालेदार देशी शराब दुकानें वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान अबंदोबस्त रही। दुकानों को न

* बोकारो, बेतिया, बेगुसराय, गोपालगंज, गुमला, जमशेदपुर, जहानाबाद, रोहतास सह कैमूर (सासाराम) तथा सीवान।

ही रक्षित शुल्क से कम पर बंदोबस्त किया गया और न ही विभागीय स्तर पर चलाने का कोई प्रयास किया गया। इसके फलस्वरूप खुदरा दुकानों में शराब की आपूर्ति नहीं हुई जिसके कारण अनुज्ञा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा संचलन शुल्क आदि के रूप में 370.56 लाख रुपये के उत्पाद राजस्व की हानि हुई।

इन्हें बताए जाने पर (जुलाई 1998 और मार्च 1999 के मध्य), विभाग ने कहा (जुलाई 1998 और मार्च 1999 के मध्य) कि काफी प्रयासों के बावजूद डाककर्त्ताओं के अभाव में तथा अधिक रक्षित शुल्क नियत होने के कारण दुकानें बन्दोबस्त नहीं हो सकी। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डाककर्त्ताओं के अभाव में विभाग ने दुकानों का न ही विभागीय संचालन किया और न ही रक्षित शुल्क से कम पर बंदोबस्त करने का प्रयास किया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1998 और अप्रैल 1999 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

4.03 अनुज्ञा शुल्क की अन्तर राशि की वसूली नहीं होना

सरकार ने राज्य के सभी 9 प्रक्षेत्रों में देशी शराब की थोक आपूर्त्ति के अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञा शुल्क लगाया। अनुज्ञा शुल्क पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक खपत पर एक रुपया प्रति लंदन प्रूफ लीटर (एल.पी.एल.) की दर से प्रत्येक आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा देय था। पुनः यदि आपूर्त्ति उस वार्षिक खपत से अधिक हुई तो अनुज्ञा शुल्क उसी सीमा तक बढ़ा देना था।

6 प्रक्षेत्रों के 7 जिला उत्पाद कार्यालयों में* 12 आपूर्त्तिकर्त्ता वर्ष 1997-98 में 4.45 लाख एल.पी. लीटर देशी शराब की अधिक खपत होने पर 36.50 लाख रुपये के अनुज्ञा शुल्क की अंतर राशि जमा करने में असफल रहे।

इसे बताए जाने पर (अगस्त 1998 और मार्च 1999 के मध्य) उत्पाद अधीक्षक, नालन्दा ने कहा कि आपूर्त्तिकर्त्ताओं से राशि की वसूली अविलम्ब की जायेगा। धनबाद तथा रोहतास सह कैमूर (सासाराम में) के उत्पाद सहायक आयुक्तों ने और डाल्टनगंज, मुंगेर सह जमुई सह लखीसराय सह शेखपुरा (मुंगेर में), बेगुसराय तथा खगड़िया के उत्पाद अधीक्षकों ने कहा कि अभिलेखों के सम्यक जाँचोपरान्त उत्तर दिया जायेगा। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर बेगुसराय जिले के दो आपूत्तिकर्त्ताओं से कुल 1.69 लाख रुपये की वसूली की गई (अगस्त 1999)। शेष 34.81 लाख रुपये की वसूली के संबन्ध में अन्य जिला उत्पाद कार्यालयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1998 और अप्रैल 1999 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हआ है (जनवरी 2000)।

* बेगुसराय, धनबाद, खगरिया, मुंगेर सह जमुई सह लखीसराय सह शेखपुरा (मुंगेर), नालन्दा, पलामू तथा रोहतास सह कैमूर (सासाराम)।

4.04 देशी शराब की अधिक निकासी पर अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं होना

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 और उसके अधीन बने नियमों के साथ पठित बिक्री अधिसूचना की शर्त्त संख्या 19 सी के अन्तर्गत विक्रेताओं को उस माह के लिए अनुमत्य न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की 30 प्रतिशत से अधिक मात्रा की देशी शराब के निर्गमन की अनुमति नीलामी राशि के अनुपात में अतिरिक्त राशि प्राप्त करने पर दी जायेगी।

5 जिलों में* 81 खुदरा विक्रेताओं ने वर्ष 1997-98 के विभिन्न महीनों में अनुमोदित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की 30 प्रतिशत से अधिक 87909.4 लंदन प्रूफ लीटर (एल.पी.एल.) देशी शराब की निकासी ली परन्तु ऐसी मात्रा पर नीलामी राशि के अनुपात में देय राशि जमा नहीं की जिसके फलस्वरूप 15.65 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

इसे बताए जाने पर (अगस्त 1998 और मार्च 1999 के मध्य) सहायक आयुक्त उत्पाद, बोकारो ने कहा कि किसी खास महीने में देशी शराब की आपूर्त्ति में कठिनाईयों के कारण अनुवर्त्ती महीने में उसकी निकासी लेने की अनुमति दी गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार नीलामी राशि के अनुपात में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 30 प्रतिशत से अधिक मात्रा पर अतिरिक्त राशि की वसूली के पश्चात् ही खुदरा विक्रेताओं को देशी शराब की निकासी की अनुमति दी जानी है; परन्तु इस मामले में अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। उत्पाद अधीक्षक, नवादा ने कहा कि राशि की वसूली की जायेगी। नालन्दा, सीवान और खगड़िया के उत्पाद अधीक्षकों ने कहा कि आवश्यक जाँच के पश्चात् उत्तर दिया जायेगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1998 और अप्रैल 1999 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

4.05 मसालेदार देशी शराब की क्षति पर शुल्क नहीं वसूला जाना

बिहार मसालेदार देशी शराब (विनिर्माण एवं बिक्री) नियम, 1976 के अनुसार मसालेदार देशी शराब की बोतल बंदी के पश्चात् पारगमन के दौरान तथा भंडारण में क्षति पर छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान पश्चिम चम्पारण जिला में एक आसवन गृह और सीवान जिला में एक बंधित भंडागार को बोतलबंदी के पश्चात् पारगमन एवं भंडारण में 23402.28 एल.पी.लीटर की क्षति की अनुमति दी गई। क्षति पर गलत छूट दिये जाने के फलस्वरूप 9.36 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

इसे बताये जाने पर (जून 1998 और फरवरी 1999 के मध्य) विभाग ने कहा (जून 1998 और फरवरी 1999 के मध्य) कि राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जायगी। अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

---

* बोकारो, खगरिया, नालन्दा, नवादा और सीवान।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 1998 और मार्च 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

अध्याय 5: वाहनों पर कर

5.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998-99 की अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 4438 मामलों में 11103.40 लाख रुपये की राशि के मोटर वाहन कर, शुल्क, अंर्थदण्ड, जुर्माना आदि के नहीं लगाये जाने का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	करों का नहीं/ कम लगाया जाना	1417	4317.19
2.	शुल्क, जुर्माना तथा अर्थदण्ड आरोपित नहीं होना	942	55.57
3.	1998-99 की अवधि में 'माल एवं यात्रियों पर कर' शीर्ष के अन्तर्गत जमा सरकारी राजस्व में असंगति	11	15.43
4.	बैठान क्षमता/पंजीकृत लदान-भार के गलत निर्धारण के कारण कम कर लगाया जाना	31	1.63
5.	अन्य मामले	2037	6713.58
	कुल	4438	11103.40

वर्ष 1998-99 के दौरान संबंधित विभाग ने 6362 मामलों में अन्तर्ग्रस्त 4372.82 लाख रुपये का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएँ स्वीकार किया जिसमें 21.28 लाख रुपये से अन्तर्ग्रस्त 133 मामले 1998-99 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये।

दृष्टांतस्वरूप 196.93 लाख रुपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

5.02 प्रमाणपत्र के अंतर्गत कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित) के अनुसार अधियाचना अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र अधिकारी को अभियाचन भेजने पर प्रमाणपत्र की प्रक्रिया के अनुसार बकाया मोटर वाहन कर भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूलनीय है। बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम (पी.डी.आर एक्ट), 1914, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा राजस्व पर्षद के कार्यपालक निर्देशों के अनुसार प्रमाणपत्र मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये अधियाचना अधिकारी और प्रमाणपत्र अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के निराकरण के लिये अधियाचना अधिकारी को समुचित रूप से तत्पर रहना है अन्यथा प्रमाणपत्र समाप्त हो जायेगा।

राँची और जमशेदपुर जिला परिवहन कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान (अक्तूबर 1998 और जनवरी 1999 के बीच) देखा गया कि अप्रैल 1968 और मई 1993 के बीच की अवधि के देय कर की वसूली के लिये संबंधित प्रमाणपत्र कार्यालयों में 30 मोटर वाहनों के विरुद्ध प्रमाणपत्र दायर किये गये (1992-93 में 5, 1993-94 में 22 और 1994-95 में 3) जिन्हें प्रमाणपत्र अधिकारियों ने आपत्तियों के साथ निराकरण के लिये अधियाचना अधिकारियों को लौटा दिया (अगस्त 1996

और अक्तूबर 1997 के बीच)। किंतु, डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका निराकरण नहीं किया गया। इस तरह 45.52 लाख रुपये राशि का बकाया कर नहीं वसूला जा सका। दृष्टांतस्वरूप 2 लाख रुपये से अधिक राजस्व प्रभाव के 6 मामले निम्न तालिका में दिये गये हैं :-

क्रमांक	जि.प. कार्यालय का नाम	प्रमाणपत्र संख्या तथा वर्ष	प्रमाणपत्र की वापसी की अवधि	वाहन सं.	प्रकार	देय कर की अवधि	राशि (लाख रुपये में)
1.	राँची	91/ 1992-93	अगस्त 1996	बी एच एन 6016	बस	1.10.1977 से 28.2.1993	3.65
2.	तथैव	337/ 1992-93	तथैव	बी एच भी 5320	वस	1.1.1978 से 28.2.1993	3.57
3.	तथैव	378/ 1994-95	तथैव	बी आर भी 5210	बस	1.4.1981 से 31.1.1993	2.85
4.	तथैव	2633/ 1993-94	तथैव	बी आर भी 7899	बस	1.1.1981 से 31.1.1993	2.76
5.	तथैव	1218/ 1993-94	तथैव	बी पी एन 225	बस	1.7.1982 से 31.12.1992	2.62
6.	जमशेदपुर	27/ 1993-94	सितंबर 1996	बी पी एक्स 8611	ट्रक	1.4.1984 से 31.5.1993	2.18
	कुल						17.63

इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (अक्तूबर 1998 और जनवरी 1999 के बीच), जि.प.अ., जमशेदपुर ने कहा (जनवरी 1999) कि मामले की जाँच की जायेगी जबकि जि.प.अ., राँची ने कहा (नवम्बर 1998) कि आपत्तियों के निराकरण भेज दिये जायेंगे। तदन्तर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मार्च 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।

5.03 सरकारी वाहनों पर पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर नहीं लगाया जाना/नहीं वसूला जाना

(i) बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930, जिसे बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार पंजीकृत मोटर वाहन के प्रत्येक मालिक को वार्षिक या तिमाही, जैसा भी हो, विहित दर पर कर देना है। अधिनियम के अधीन निर्धारित अवधि के अन्दर यदि कोई कर दाता कर नहीं देता है तो उसे कर भुगतान के महीने तक संगणित कर की राशि पर अर्थदण्ड देना है।

जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला (दिसंबर 1998 और जनवरी 1999 के बीच) कि राज्य/केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 20 प्रतिष्ठानों के 165 सरकारी वाहनों से जनवरी 1989 और मई 1999 के बीच की अवधि के लिये

(मई 1998 में देय वार्षिक देय कर सहित) अर्थदण्ड सहित 101.50 लाख रुपये राशि के बकाया पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर की वसूली 29 दिसम्बर 1998 तक नहीं की गयी थी। विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :-

क्रमांक	कार्यालय/ विभाग के नाम	कुल वाहनों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	स्वर्णरेखा योजना	60	57.39
2.	पुलिस	20	11.85
3.	लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल	11	11.74
4.	बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति	9	5.98
5.	मुख्य संरक्षक, वन	2	3.42
6.	निदेशक, एन.एम.एल.वर्मा माइन्स	3	2.40
7.	सहकारी समिति	5	2.00
8.	बिहार राज्य आदिवासी निगम लिमिटेड	17	1.60
9.	अतिरिक्त निदेशक, कृषि	9	0.95
10.	असैनिक प्रशासन (उपायुक्त)	8	0.78
11.	खनन एवं भूतत्व	5	0.76
12.	अखिल भारतीय आकाशवाणी	1	0.62
13.	दक्षिण पूर्व रेलवे	3	0.56
14.	विमानन	2	0.54
15.	दामोदर घाटी निगम	2	0.37
16.	समाज कल्याण	2	0.20
17.	जीवन बीमा निगम	1	0.14
18.	स्वास्थ्य विभाग	2	0.08
19.	दूर-संचार	1	0.06
20.	वाणिज्य कर	2	0.06
	कुल	165	101.50

इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (जनवरी 1999) जिला परिवहन अधिकारी, जमशेदपुर ने कहा (जनवरी 1999) कि संबंधित विभाग को माँग-पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (जनवरी 2000)।

(ii) जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में देखा गया कि बिहार राज्य पथ परिवहन डिपो, मुजफ्फरपुर की एक बस (बी.पी.एफ. 8481) के लिये जनवरी 1987 से ही कर नहीं दिया गया। तथापि, वह बस सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी (5 जुलाई 1997)। जनवरी 1987 से दिसम्बर 1998 तक कर की नहीं वसूली गयी राशि 5.81 लाख रुपये थी।

इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (जनवरी 1999) विभाग ने कहा (अक्तूबर 1999) कि जनवरी 1999 में माँग-पत्र निर्गत किया गया। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

5.04 अभ्यर्पित वाहनों से कर की वसूली नहीं होना

बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930, जिसे बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, के अनुसार यदि अनुपयोग की अवधि में कर से छूट प्राप्त करने हेतु जिस वाहन के कागजात एक बार में, जबतक कि उसकी अवधि का विस्तार नहीं किया जाता, अधिकतम छः महीने तक अभ्यर्पित किये गये है, वह घोषणापत्र में निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पाया गया तो यह माना जायेगा कि प्रत्यर्पण की पूरी अवधि में उस वाहन का उपयोग किया गया और इस पूरी अवधि के लिये कर लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा निर्गत कार्यपालक निर्देशों (जून 1981 और दिसम्बर 1990) के अनुसार पंजीयन में किसी प्रकार की प्रवृष्टि करने और प्रत्यर्पण स्वीकार करने के पहले अद्यतन कर की वसूली करना एक पूर्वशर्त है।

(i) 3 जिला परिवहन कार्यालयों* में देखा गया (जुलाई 1997 और जनवरी 1999 के बीच) कि अनुपयोग के लिए 19 मोटर वाहनों के कागजात दिसंबर 1980 और जून 1995 के बीच अभ्यर्पित किये गये। इन सभी मामलों में घोषणापत्रों में निर्दिष्ट स्थानों पर प्रवर्तन द्वारा विशेष जाँच के दौरान वाहनों के नहीं पाये जाने पर प्रत्यर्पण रद्द कर दिये गये (मई 1995 और अक्तूबर 1996 के बीच)। किंतु जनवरी 1989 और जनवरी 1999 के बीच की विभिन्न अवधि के लिये 12.82 लाख रुपये राशि के कर न लगाये गये और न वसूले गये।

इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (जुलाई 1997 और जनवरी 1999 के बीच) संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (जुलाई 1997 और जनवरी 1999 के बीच) कि 15 मामलों में (10.98 लाख रुपये के कर प्रभाव) माँग-पत्र निर्गत किये जायेंगे, 2 मामलों में (0.90 लाख रुपये) जाँच की जायेगी और शेष 2 मामलों में (0.94 लाख रुपये) प्रमाणपत्र दायर किये गये। तदन्तर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 1998 और मार्च 1999 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

(ii) (क) 3 जिला परिवहन कार्यालयों (पूर्वी चम्पारण, हजारीबाग और पश्चिमी चम्पारण) में देखा गया (दिसंबर 1997 और अक्तूबर 1998 के बीच) कि नवम्बर 1994 और जून 1997 के बीच 18 वाहनों के प्रत्यर्पण की निर्धारित अवधि समाप्त हो गयी थी। किंतु, किसी भी वाहन मालिक से प्रत्यर्पण की अवधि विस्तार के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन के अभाव में दिसम्बर 1994 से अक्तूबर 1998 की अवधि के लिये वाहन मालिकों को 4.15 लाख रुपये का कर देना था।

(ख) जिला परिवहन कार्यालय, राँची में देखा गया (अक्तूबर और नवम्बर 1997 के बीच) कि प्रत्यर्पण स्वीकार करते समय अप्रैल 1988 से नवम्बर 1994 की अवधि के लिये 4 वाहनों से 1.17 लाख रुपये राशि के अद्यतन कर की वसूली नहीं की गयी।

* पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), सासाराम (रोहतास) और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)।

इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (अक्तूबर 1997 और अक्तूबर 1998 के बीच) संबंधित जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (अक्तूबर 1997 और अक्तूबर 1998 के बीच) कि मामलों की जाँच की जायेगी और माँग-पत्र निर्गत किये जायेंगे। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (फरवरी 1998 और मार्च 1999 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

5.05 योग्यता प्रमाण-पत्र की गलत स्वीकृति/नवीकरण

बिहार और उड़ीसा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1930 (बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 द्वारा प्रतिस्थापित) और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार बिना कर भुगतान किये या बिना विहित छूट प्राप्त किये वाहन का उपयोग करना, जैसा कि उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट हैं, जुर्माना सहित एक दण्डनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यपालक निर्देशों के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को वाहनों को योग्यता प्रमाण-पत्र स्वीकार/नवीकरण करते समय अद्यतन कर भुगतान से सुनिश्चित होना है और यदि कर बकाया है तो उसे करारोपण अधिकारी के ध्यान में लाना है और वैसे परिवहन वाहनों के लिये योग्यता प्रमाण-पत्र स्वीकार/नवीकरण करना वर्जित है जिसके विरुद्ध कर बकाया है।

6 जिला परिवहन कार्यालयों* में देखा गया (जून 1997 और जनवरी 1999 के बीच) कि 39 वाहनों के विरुद्ध विभिन्न अवधि के लिये (अक्तूबर 1981 और जून 1998 के बीच) 13.63 लाख रुपये राशि का पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर बकाया था किंतु कर भुगतान नहीं करने की अवधि में भी विहित अधिकारियों द्वारा उन्हें योग्यता प्रमाण-पत्र दिये गये।

इस ओर ध्यान आकृष्ट करने पर (जून 1997 और जनवरी 1999 के बीच) जिला परिवहन अधिकारियों ने कहा (जून 1997 और जनवरी 1999 के बीच) कि 11 मामलों में माँग-पत्र निर्गत किये जायेंगे और शेष मामलों में संबंधित मोटर वाहन निरीक्षकों से पूछा जायेगा। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 1998 और मार्च 1999 के बीच); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।

5.06 बिना अनुज्ञा-पत्र के वाहन का उपयोग करने के कारण राजस्व की हानि

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित), बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार सिवाय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (क्षे. प. प्रा) या राज्य परिवहन प्राधिकार या अन्य विहित अधिकारी द्वारा दिये गये अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के अनुसार कोई भी मोटर वाहन मालिक सार्वजनिक स्थान में स्वयं उस वाहन का उपयोग परिवहन वाहन के रूप में नहीं करेगा या उपयोग करने के लिये

* बोकारो, चाईबासा, छपरा, दुमका, जमशेदपुर और राँची।

अनुमति नहीं देगा चाहे उस वाहन में यात्री या माल हो या नहीं हो।अनुज्ञा-पत्र के लिये प्रत्येक आवेदन जिस क्षेत्र में वाहन का परिचालन प्रस्तावित है, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के यहाँ दिया जाना है। बिना अनुज्ञा-पत्र के सार्वजनिक स्थान में किसी भी मोटर वाहन का परिवहन वाहन के रूप में परिचालन नहीं किया जा सकता। अधिनियम के अधीन बिना अनुज्ञा-पत्र के परिवहन वाहन परिचालन के लिये उपभोक्ता को पाँच हजार रुपये तक का अर्थदण्ड आरोप्य है। जुलाई 1989 से अनुज्ञा-पत्र की कालावधि तीन वर्ष से पाँच वर्ष कर दी गयी। बिहार मोटर वाहन नियम, 1940 (बिहार मोटर वाहन नियम, 1992 द्वारा संशोधित) की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विहित दरों पर अनुज्ञा-पत्र शुल्क और आवेदन शुल्क का भुगतान करना है।

दिसंबर 1998 से जनवरी 1999 में जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 151 वाहनों के लिये जमशेदपुर में कर का भुगतान किया गया और योग्यता प्रामाण-पत्र लिया गया। जनवरी 1999 में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार , राँची के अभिलेखों की तिर्यक जाँच से पता चला कि निर्दिष्ट पथ पर वाहन परिचालन के लिये इन वाहनों के मालिकों ने अनुज्ञा-पत्र प्राप्त नहीं किया। यहाँ तक कि प्रर्वतन शाखा/चलन्त दस्ता भी अनुज्ञा-पत्र दोषी वाहनों का पथ पर अभिग्रहण करने में असफल रहा। दोषी वाहनों का अभिग्रहण करने में विभाग के आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की असफलता के कारण जनवरी 1975 और जनवरी 1999 के बीच की अवधि के लिये अनुज्ञा-पत्र और आवेदन शुल्क के रूप में 12.33 लाख रुपये (अर्थदण्ड सहित) की राशि की हानि हुई।

जनवरी 1999 में इसे बताये जाने पर उप परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, राँची ने कहा (फरवरी और सितम्बर 1999 के बीच) कि अभिलेखों पर कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि इन वाहनों के संबंध में अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत/प्रतिहस्ताक्षरित किये गये। तथापि, प्रवर्तन शाखा को ऐसे वाहनों का अभिग्रहण करके सूचित करने के लिये निर्देश दिया जा रहा है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

अध्याय 6 : भू-राजस्व

6.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998-99 के दौरान राजस्व अंचलों की लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जाँच से 30269.34 लाख रुपये के उपकरों के नहीं लगाये जाने/कम लगाये जाने, राजस्व की हानि आदि के 484 मामलों का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	178	4326.14
2.	सलामी और वाणिज्यिक लगान का निर्धारण नहीं होना	53	1840.70
3.	उपकरों और/या उपकरों के बकाये पर ब्याज का नहीं लगाया जाना और कम लगाया जाना	68	71.88
4.	सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होना	60	37.27
5.	अन्य मामले	125	23993.35
	कुल	484	30269.34

वर्ष 1998-99 के दौरान संबंधित विभाग ने 6455.70 लाख रुपये के अवनिर्धारण इत्यादि के 314 मामलों को स्वीकार किया जिनमें से 6057.95 लाख रुपये के 57 मामले वर्ष 1998-99 की लेखापरीक्षा में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे।

दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 1034.70 लाख रुपये अंतर्ग्रस्त हैं,निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

6.02 लगान का निर्धारण और उदग्रहण नहीं होना

26 अगस्त 1993 के प्रभाव से संशोधित बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई रैयत समाहर्त्ता की पूर्वानुमति से, मूल अधिनियम में विनिर्देशित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि का उपयोग कर सकता है। समाहर्त्ता को, ऐसी अनुमति देने से पहले, विहित तरीके से बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत तक लेकिन तीन प्रतिशत से कम नहीं, ऐसी भूमि के लगान का पुनर्निर्धारण करना है। इसके अतिरिक्त यदि किसी रैयत ने इस तरह से उपयोग के लिये पूर्वानुमति नहीं ली है तो उपयोग की तिथि या अधिनियम के लागू होने की तिथि और आवेदन या पता लगने की तिथि, जैसा भी मामला हो,समय पर आवेदन देने पर उसके द्वारा जो लगान भुगतेय होता उसकी दुगुनी राशि के भुगतान पर समाहर्त्ता द्वारा पूर्व के प्रभाव से अनुमति दी जा सकती है।

18 जिलों* के 53 राजस्व अंचलों में 1181 रैयतों ने जिनको अपनी भूमि पर खेती करने का काश्तकारी अधिकार प्राप्त था, 299.93 एकड़ भूमि को 26 अगस्त 1993 से 31 मार्च 1998 की

* अररिया, भागलपुर, भोजपुर, बेगुसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सारन, सुपौल और पश्चिमी चम्पारण।

अवधि के दौरान दुकान, पेट्रोल पम्प, आरा मशीन, सिनेमा हॉल और होटल आदि स्थापित कर भिन्न प्रयोजनों के लिए परिवर्तित कर दिया। इनमें से किसी भी मामले में, लागू नियमों के अंतर्गत, रैयतों को बेदखल करने या लगान पुनर्निर्धारित कर अधिभोग के अधिकार को नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी (मई 1995 और सितम्बर 1998 के मध्य) और रैयत कृषि योग्य लगान पर ही अपने काश्तकारी अधिकार को लगातार बनाये रहा। इसके परिणामस्वरूप 26 अगस्त 1993 से 31 मार्च 1998 की अवधि में 638.93 लाख रुपये राशि के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर (मई 1995 और सितम्बर 1998 के मध्य), सम्बद्ध राजस्व अंचल अधिकारियों ने कहा (मई 1995 और सितम्बर 1998 के मध्य) कि लगान की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (मार्च 1996 तथा दिसम्बर 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

6.03 सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण का नहीं हटाया जाना/बंदोबस्ती नहीं किया जाना

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है या उसके लिये उत्तरदायी है तो बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमावली,1953 में निर्धारित नियमों के अनुसार उसे अतिक्रमण से हटाने या ऐसी सार्वजनिक भूमि के उपयोग में हुई क्षति और लगान के भुगतान के बाद उस व्यक्ति को बंदोबस्ती करने हेतु सूचना दी जायेगी।

6 जिलों* के 16 राजस्व अंचलों** में यह देखा गया (नवम्बर 1996 और सितम्बर 1998 के मध्य) कि 766 व्यक्तियों ने 68.1043 एकड़ सार्वजनिक भूमि को आवासीय प्रयोजनों के लिए अतिक्रमित किया (1976-77 और 1997-98 के मध्य)। अतिक्रमण के ऐसे 6 मामलों में यह पाया गया कि प्रत्येक मामला में अतिक्रमित भूमि एक एकड़ से अधिक थी जिसमें कुल 201.72 लाख रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त थी, जैसा नीचे दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	जिला और अंचल का नाम	अतिक्रमित क्षेत्र		प्रयोजन	अतिक्रमण का वर्ष	भूमि का मूल्य	सलामी	आवासीय/ वाणिज्यिक लगान	कुल
		ए[1]	डी[2]				(लाख	रुपये	में)
1.	अंचल -बोधगया जिला -गया	10	99	आवासीय	1995-96	14843 प्रति डिसिमल	163.12	9.79	172.91
2.	अंचल -हरलाखी जिला -मधुबनी	2	81	तथैव	1992-93	44000 प्रति एकड़	1.23	0.15	1.38

* बोकारो, पूर्वी चम्पारण, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर तथा नवादा।

** बोध गया, बेलागंज, चकिया, छोड़ादानो, चिरैया, गया सदर, हरलाखी, हिसुआ, खिजरसराय, कसमार, मानपुर, पन्डौल, पकड़ीदयाल, पारू, रहिका तथा टेकारी।

[1] ए.-एकड़

[2] डी-डिसिमल.

3.	अंचल -पारू जिला -मुजफ्फरपुर	1	30	तदैव	1992-93	1250 प्रति डिसिमल	1.62	0.20	1.82
4.	तदैव	1	37	तदैव	1992-93	1500 प्रति डिसिमल	2.06	0.25	2.31
5.	तदैव	3	53	तदैव	1992-93	2000 प्रति डिसिमल	7.06	0.85	7.91
6.	अंचल -कसमार जिला -बोकारो	2	70	तदैव	1991-92	5000 प्रति डिसिमल	13.50	1.89	15.39
	कुल	22	70				188.59	13.13	201.72

तथापि, इन सभी 766 मामलों में अनधिकृत अधिभोग को खाली कराने या सलामी/आवासीय लगान के निर्धारण/उद्ग्रहण आदि द्वारा अतिक्रमित भूमि को नियमित करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी, फलस्वरूप वर्ष 1992-93 से 1997-98 के दौरान 349.88 लाख रुपये (सलामी : 330.85 लाख रुपये तथा आवासीय लगान : 19.03 लाख रुपये) के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर (नवम्बर 1996 से सितंबर 1998 तक) कहा गया (नवम्बर 1996 से सितंबर 1998 तक) कि अतिक्रमण हटाने के लिए विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (जनवरी 1997, नवम्बर तथा दिसम्बर 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

6.04 सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-मजरूआ खास* भूमि पर से बिचौलियों के अधिकार समाप्त कर दिये गये और इस प्रकार की सभी भूमि सरकार में सन्निहित हो गयी। सरकार ने समय-समय पर राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किये कि बंदोबस्त नहीं की गयी गैर-मजरूआ खास भूमि से संबंधित सभी मामलों की जाँच की जाय और इस प्रकार की भूमि को उपयुक्त श्रेणी के व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा भूमिहीनों के साथ बंदोबस्त किया जाय।

2** राजस्व अनुमंडलों (दरभंगा तथा खूँटी) तथा हजारीबाग, नालन्दा, रोहतास, पलामू और बेगुसराय जिलों के 5*** राजस्व अंचलों में 316772.897 एकड़ गैर-मजरूआ खास भूमि 1955-56 में सरकार में सन्निहित हो गयी, जिसमें से 174777.862 एकड़ बंदोबस्ती के योग्य थी तथा 141995.035 एकड़ भूमि बंदोबस्ती के लायक नहीं थी। मार्च 1998 तक मात्र 70171.34 एकड़ भूमि की ही बंदोबस्ती हो सकी। विभाग द्वारा बन्दोबस्ती के लिए अभी भी 104606.522 एकड़ भूमि शेष रह गयी। वर्ष 1991-92 से 1996-97 तक उचित और न्यायसंगत लगान पर इन भू-खंडों की बदोबस्ती नहीं करने से भू-लगान के रूप में 39.90 लाख रुपये का राजस्व प्रभावित हुआ।

* गैर-मजरूआ खास भूमि का अर्थ है कृषि योग्य भूमि जिसे पूर्व-बिचौलियों द्वारा रख लिया गया तथा रैयत को बंदोबस्त नहीं किया गया।

** भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, दरभंगा तथा खूँटी।

*** विष्णुगढ़, इस्लामपुर, कैमहर, मनातू तथा बरौनी।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 1995 से अक्तूबर 1997 तक), विभाग ने कहा (जुलाई 1995 और अक्तूबर 1997 के मध्य) कि बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1995 तथा दिसम्बर 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

6.05 भू-लगान से विमुक्त जमाबंदी पर उपकरों का नहीं लगाया जाना

बिहार भू-लगान (भुगतान से छूट) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सरकार ने छोटानागपुर और संथाल परगना के असैनिक (सिविल) प्रमंडलों के सात जिलों में 3 हेक्टेयर तक और राज्य के अन्य जिलों में 2 हेक्टेयर तक की छोटी जमाबंदी पर 1 अप्रैल 1978 से लगान से छूट दे दी। तथापि, उक्त अधिनियम के अनुसार, ऐसी जमाबंदी पर विभिन्न उपकरों, जैसे पथ उपकर, शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर और कृषि विकास उपकर जो संबद्ध उपकर अधिनियम के अंतर्गत आरोप्य हैं, से छूट नहीं दी गयी थी। सितम्बर 1982 में सरकार ने विभिन्न उपकरों की संशोधित दरों की सूचना के साथ बिहार के सभी राजस्व पदाधिकारियों को निदेशित किया कि भू-लगान से विमुक्त काश्तकारों सहित सभी काश्तकारों (रैयतों) पर उक्त उपकर लगायें और वसूल करें।

4 राजस्व अंचलों (दानापुर, महाराजगंज, फुलवारीशरीफ तथा वैशाली) में भू-लगान से विमुक्त जमाबंदियों पर उपकर नहीं लगाये गये थे। वर्ष 1994-95 से 1997-98 के लिए नहीं लगाये गये उपकर की कुल राशि 5.99 लाख रुपये संगणित की गयी।

इसे बताये जाने पर (अक्तूबर 1995 से सितम्बर 1998 तक), विभाग ने कहा (अक्तूबर 1995 से सितम्बर 1998 तक) कि माँग की जायेगी।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल 1996 से दिसम्बर 1998 तक); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

अध्याय 7: अन्य कर प्राप्तियाँ

7.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998-99 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में अधोलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से कर, फीस, शुल्क का अवनिर्धारण और राजस्व की हानि आदि का पता चला, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :-

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
क	मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस		
1.	अनियमित छूट की स्वीकृति	6	11.93
2.	अन्य मामले	95	55.26
	कुल	101	67.19
ख	ईख पर कर		
1.	बकाए कर पर ब्याज नहीं लगाया जाना	8	23.84
2.	अन्य मामले	15	98.27
	कुल	23	122.11
ग	विद्युत शुल्क		
1.	अधिभार कम लगाया जाना या नहीं लगाया जाना	4	70.58
2.	विद्युत शुल्क कम लगाया जाना	1	1.25
3.	संचरण हानि की अधिक अनुमति के कारण अवनिर्धारण	1	0.93
4.	अन्य मामले	2	507.26
	कुल	8	580.02
घ	मनोरंजन कर		
1.	मनोरंजन कर का कम लगाया जाना	4	24.68
	कुल	4	24.68

वर्ष 1998-99 के दौरान संबंधित विभागों ने 32 मामलों में 65.68 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जिनमें से 58.72 लाख रुपये से अंतर्ग्रस्त 12 मामले 1998-99 के दौरान लेखापरीक्षा में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बताए गए थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 152.32 लाख रुपये का कर-प्रभाव अन्तर्ग्रस्त है, अनुवर्ती कंडिकाओं में दिए जा रहे हैं :-

क. मुद्रांक और निबंधन फीस

7. 02 बंधक दस्तावेजों पर अनियमित छूट की स्वीकृति

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 तथा निबंधन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत सरकार ने किसी व्यक्ति को विशेष प्रयोजनों के व्यय के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक तथा भूमि विकास बैंक से दो लाख रुपये तक लिये गये ऋण के दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस लगाने से छूट दिया है। मुद्रांक शुल्क भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1(क) के अनुच्छेद 15 में लागू

दरों पर देय है। निबन्धन फीस निबन्धन अधिनियम के अनुच्छेद क (i) के अन्तर्गत फीस की तालिका में अंकित दरों पर आरोप्य है।

जिला अवर निबंधक गया, भागलपुर, गिरिडीह, लखीसराय, बांका तथा अवर निबंधक, हिलसा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1997 एवं अक्तूबर 1998 के मध्य) कि जनवरी 1996 तथा मार्च 1998 के मध्य राष्ट्रीयकृत तथा भूमि विकास बैंकों के अलावा अन्य बैंकों से ऋण लेने के लिए 117.05 लाख रुपये के 64 दस्तावेजों पर 10.30 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस के भुगतान से अनियमित छूट दी गयी थी।

इसे बताये जाने पर (सितम्बर 1997 तथा अक्तूबर 1998 के मध्य), सभी जिला अवर निबंधकों द्वारा यह बताया गया (सितम्बर 1997 तथा अक्तूबर 1998) कि राशि के उद्ग्रहण के लिए सूचना निर्गत की जा रही है।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1997 तथा दिसम्बर 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

ख.ईख पर कर

7.03 ईख के क्रय पर कर का उद्ग्रहण नहीं/कम होना

बिहार ईख (आपूर्त्ति और क्रय विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत ईख की खपत या उपयोग के लिए किसी निश्चित स्थानीय क्षेत्र में ईख के प्रवेश पर या वहाँ स्थित कारखाने में बिक्री करने पर या कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा या उसकी ओर से ईख की खरीद पर एक रुपया प्रति क्विंटल की दर से कर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी कारखाने के अधिष्ठाता द्वारा कारखाने से चीनी तब तक नहीं हटाई जा सकती है जब तक कि उसपर देय कर चुका नहीं दिया गया हो और संबंधित ईख पदाधिकारी से भुगतान संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया गया हो। अधिनियम में न तो कर से छूट का प्रावधान है और न ही आंशिक भुगतान की अनुमति है।

1997-98 के पेराई मौसम के दौरान राज्य में अवस्थित 11 चीनी मिलों और उत्तर प्रदेश के 6 चीनी मिलों ने क्रमशः 298.09 लाख क्विंटल तथा 15.02 लाख क्विंटल ईख की खरीद की थी। जून 1998 तक, इनमें से बिहार की 8 निजी मिलों* तथा उत्तर प्रदेश के 6 मिलों ने क्रमशः 266.22 लाख रुपये के बजाय 201.96 लाख रुपये तथा 15.02 लाख रुपये के बजाय 10.94 लाख रुपये के कर का भुगतान किया। इसके अलावे एक इकाई जो ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन समूह के अन्तर्गत थी, द्वारा उसपर बकाया 3.14 लाख रुपये के कर का भुगतान नहीं किया। इस प्रकार 71.48 लाख रुपये के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल 1999) सरकार द्वारा मिलों से 42.80 लाख रुपये की राशि की वसूली की गई (जुलाई 1999)। आगे यह बताया गया (जुलाई 1999) कि बी.आई.सी. के अन्तर्गत कम्पनी

* बगहा, गोपालगंज, हरिनगर, मझोलिया, मोतिहारी, नरकटियागंज, रीगा तथा सासामुसा।

को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद् द्वारा बीमार घोषित कर दिया गया। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

ग. विद्युत शुल्क

7. 04 अधिभार का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभुक्त या बेची गयी ऊर्जा पर दो पैसे प्रति इकाई की दर से अधिभार 1 अगस्त 1985 से लगाना है।

सिंहभूम वाणिज्य कर अंचल में लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (सितम्बर 1998) कि एवं अनुज्ञप्तिधारी (मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड-भारत सरकार का उपक्रम) ने वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान 3422.47 लाख इकाई ऊर्जा बेचा लेकिन कर निर्धारण पदाधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जनवरी 1998) 68.45 लाख रुपये का अधिभार नहीं लगाया। इसी तरह साहेबगंज वाणिज्य कर अंचल में, एक अनुज्ञप्तिधारी (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की एक इकाई) ने वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान 193.31 लाख इकाई ऊर्जा बेचा जिसमें से उसने 88.68 लाख इकाई पर अधिभार का भुगतान किया। कर निर्धारण पदाधिकारी ने मार्च 1998 में कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय 104.63 लाख इकाई पर 2.09 लाख रुपये का अधिभार लगाने से चूक गया। इस प्रकार कुल 70.54 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

इसे बताये जाने पर (सितम्बर तथा नवम्बर 1998 के मध्य) उप-आयुक्त वाणिज्यकर, सिंहभूम अंचल ने बताया (सितम्बर 1998) कि नोटिस निर्गत किया जायेगा जबकि सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, साहेबगंज अंचल ने कहा (नवम्बर 1998) कि मामले की समीक्षा की जायेगीं। तदन्तर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अप्रैल तथा मई 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

अध्याय 8 : खनिज रियायत, शुल्क तथा रॉयल्टियाँ

8.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998-99 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में खनन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से लगान, रॉयल्टी, शुल्क इत्यादि के 6632 मामलों में 3592.27 लाख रुपये के अवनिर्धारण तथा हानि का पता चला, जो सामान्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :-

	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	रॉयल्टी और उपकर का नहीं/ कम लगाया जाना	37	1195.18
2.	अर्थदंड/जुर्माना का नहीं लगाया जाना	3821	862.81
3.	नियत लगान/भूतल लगान का नहीं/ कम लगाया जाना	191	299.75
4.	मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन शुल्क का नहीं लगाया जाना	244	111.12
5.	बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं होने/ अनियमित बन्दोबस्ती होने के कारण नीलाम राशि का उद्ग्रहण नहीं/कम होना	91	58.47
6.	ब्याज का नहीं लगाया जाना	671	48.51
7.	प्रमाणपत्र की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किया जाना	47	27.89
8.	कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण रॉयल्टी का कम लगाया जाना	3	17.75
9.	कामगारों द्वारा उपभुक्त कोयले पर रॉयल्टी का नहीं लगाया जाना	1	0.82
10.	अन्य मामले	1526	969.97
	कुल	6632	3592.27

1998-99 के दौरान संबंधित विभाग ने 330 मामलों में निहित 10.82 लाख रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें 0.94 लाख रुपये के 46 मामले वर्ष 1998-99 की लेखापरीक्षा में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे।

दृष्टांन्तस्वरूप 916.44 लाख रुपये के राजस्व प्रभाव से अंतर्ग्रस्त कुछ मामले निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :-

क - वृहत् खनिज

8.02 (क) रॉयल्टी का नहीं/कम लगाया जाना

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत खनन पट्टाधारी को पट्टाक्षेत्र से हटाये गये या उपभुक्त किये गये किसी भी खनिज पर सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर रॉयल्टी का भुगतान करना है।

(i) लातेहार और हजारीबाग जिला में सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के 2 कोलियरी से संबंधित वर्ष 1997-98 की मासिक विवरणियों की लेखापरीक्षा के क्रम में यह पाया गया (अगस्त और सितम्बर 1998 के मध्य) कि भंडार के अंत शेष को आरंभिक शेष के रूप में लिये जाने के

दौरान दो भिन्न श्रेणी के कोयला भंडार को अप्रैल और नवम्बर 1997 के दौरान 20856.77 टन कम कर दिया गया जिस पर 23.47 लाख रुपये की रॉयल्टी आरोपित नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में इन्हें बताये जाने पर (अगस्त और सितम्बर 1998) जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग ने कहा (मई 1999) कि 18.42 लाख रुपये की माँग सृजित की गई थी (फरवरी 1999)। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार ने कहा (अगस्त 1998) कि मामले की जाँच की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

सरकार, जिन्हें इन मामलों को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी तथा फरवरी 1999), ने कहा (नवम्बर तथा दिसंबर 1999) कि जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा 5.05 लाख रुपये की माँग सृजित की गयी (जनवरी 1999) और जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के द्वारा 26.28 लाख रुपये (ब्याज सहित) की वसूली के लिये प्रमाणपत्र मुकदमा दायर किया गया (1999-2000)। वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

(ii) लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (सितम्बर 1998) कि मेसर्स सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स लिमिटेड ने अप्रैल 1997 के दोरान सौन्दा कोलियरी (बरकाकाना क्षेत्र) से 29682.87 टन ग्रेड 'बी कोयला का प्रेषण किया जिसमें 11893.260 टन रॉयल्टी प्रदत्त था और 1279.510 टन पर पट्टाधारी ने रॉयल्टी का सही भुगतान किया। तथापि शेष 16510.10 टन पर विभाग ने 22.28 लाख रुपये के बदले 7.87 लाख रुपये की गलत माँग सृजित की। इसके फलस्वरूप 14.41 लाख रुपये की कम माँग सृजित की गयी।

इसे बताये जाने पर (सितंबर 1998), जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार कर (सितम्बर 1998) निर्धारण को संशोधित किया तथा संपूर्ण राशि के लिए माँग सृजित किया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1999), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

(ख) अवैध खनन के लिए रॉयल्टी/अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के साथ पठित धारा 4 के अधीन, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में किसी तरह का खनन कार्य नहीं कर सकता है जो अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार स्वीकृत खनन-पट्टा तथा उसमें दिये गए बंधों और शर्तों के अनुरूप नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के किसी भूमि से खनिज का उत्खनन करता है तो सरकार उस व्यक्ति से उत्खनित खनिज या उसके मूल्य, यदि उस खनिज का निपटारा हो गया हो, की वसूली कर सकती है तथा उस व्यक्ति से बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के अधिभोग में भूमि को रखने की अवधि के लिये लगान, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो, की भी वसूली कर सकती है।

यह पाया गया (सितम्बर 1998) कि हजारीबाग जिले में प्लास्टिक क्ले (एक वृहत् खनिज) के लिए किसी खनिज पट्टा की स्वीकृति नहीं थी। जिले में अवस्थित सीमेंट कारखानों* के कच्चा माल से संबंधित प्राप्ति एवं खपत अभिलेखों से यह तथ्य प्रकट हुआ कि सीमेंट कारखानों ने वर्ष 1993-94 और 1997-98 के मध्य कच्चे माल के रूप में 17610.863 टन प्लास्टिक क्ले सीमेन्ट उत्पादन के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त की। चूंकि स्थानीय आपूर्तिकर्त्ता को प्लास्टिक क्ले के खनन के लिए किसी खनिज पट्टा की स्वीकृति नहीं दी गई थी, अतः खनिज का उत्खनन अवैध था और इसके फलस्वरूप 2.40 लाख रुपये की रॉयल्टी की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज के मूल्य के रूप में 21.13 लाख रुपये की राशि भी वसूलनीय थी।

इसे बताये जाने पर (मार्च 1998), विभाग ने कहा (सितम्बर 1998) कि माँग सह स्पष्टीकरण की सूचना सीमेंट कारखाना के मालिकों को निर्गत की जा चुकी है (मार्च 1999)। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

इसे सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

ख. लघु खनिज

8.03. (क) खनिज के उत्पादन/प्रेषणों के छिपाव से रॉयल्टी का कम लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के अंतगर्त लघु खनिजों के उत्खनन के लिए प्रत्येक पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक महीने विहित प्रपत्र में संबंधित माह के बाद के महीने के पन्द्रहवें दिन तक एक विवरणी प्रस्तुत करनी है। पट्टा क्षेत्र से हटाये गए खनिज की कुल मात्रा पर रॉयल्टी भुगतेय है।

(i) जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ की लेखापरीक्षा के क्रम में यह देखा गया (अगस्त और सितम्बर 1998) कि पत्थर के 16 पट्टाधारियों ने वर्ष 1997-98 से संबंधित मासिक विवरणियों में पट्टाक्षेत्र से 38.50 लाख घनफीट बड़े पत्थरों (बोल्डर) के बदले पट्टाक्षेत्र से बाहर स्थित क्रशर स्थान से 34.65 लाख घनफीट टुकड़े पत्थर (चिप्स) का प्रेषण दिखाया। इससे 3.85 लाख घनफीट बड़े पत्थर का छिपाव (धूल में परिवर्तित) हुआ और परिणामस्वरूप 2.58 लाख रुपये की रॉयल्टी की हानि हुई।

(ii) दूसरे मामले में, यह देखा गया (अगस्त 1998) कि एक पट्टाधारी ने पट्टाक्षेत्र में स्थित पत्थर क्रशर से जुलाई से दिसम्बर 1997 की अवधि के लिए अपनी मासिक विवरणियों में 0.93 लाख घन फीट पत्थर-धूल का उत्पादन दिखाया। तदनुसार, निर्धारित मानदंडों के अनुसार

---

* 1. श्री दुर्गा सीमेंट कम्पनी, हेसला, रामगढ (हजारीबाग)।
2. ऋषी सीमेंट कम्पनी, भरेचनगर, रामगढ (हजारीबाग)।
3. लक्ष्मी विजनेस एवं सीमेंट कम्पनी, मोरांगी (हजारीबाग)।
4. शिव शक्ति सीमेंट कम्पनी, डेमोटांड़ (हजारीबाग)।
5. प्रोग्रेसिव सीमेंट कम्पनी, पतरातु (हजारीबाग)।

उत्पादित पत्थर चिप्स की मात्रा 8.35 लाख घनफीट होती है, किन्तु पट्टाधारी ने 1.44 लाख घनफीट चिप्स का ही उत्पादन अपनी विवरणियों में दिखाया। इस प्रकार 6.91 लाख घनफीट चिप्स का कम उत्पादन हुआ और परिणामस्वरूप 4.89 लाख रुपये की कम रॉयल्टी लगायी गयी।

इन त्रुटियों के बताये जाने पर (अगस्त और सितम्बर 1998 के मध्य), जिला खनन पदाधिकारी ने बताया (सितम्बर 1998) कि मामले की जाँच की जायेगी तथा तदनुसार कार्रवाई की जायेगी। तदुपरान्त कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

सरकार, जिन्हें ये मामले प्रतिवेदित किये गये (फरवरी 1999), ने बताया (दिसम्बर 1999) कि 6.75 लाख रुपये की वसूली के लिये प्रमाणपत्र की कार्यवाही शुरू की गयी है (1999-2000)। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

(ख) बंगला भट्ठा की रॉयल्टी की दरों का संशोधन नहीं होने से राजस्व की हानि

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के अंतर्गत दिनांक 27 मार्च 1992 को निर्गत अधिसूचना के अनुसार बंगला भट्ठा* के लिए निर्धारित समेकित रॉयल्टी 2500 रुपये थी। अक्तूबर 1994 से ईंट मिट्टी पर रॉयल्टी की दर प्रति 400 मानक ईंटों के लिए 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर दी गई। तदनुसार, एक लाख ईंट पर समेकित रॉयल्टी 3750 रुपये होती है। अक्तूबर 1994 की अधिसूचना में बंगला भट्ठा के लिए समेकित रॉयल्टी की तत्समान बढ़ोत्तरी नहीं की गयी, जो रॉयल्टी के उद्देश्य से 1 लाख ईंट के लिए होती है।

2 जिला खनन कार्यालयों (धनबाद और गिरिडीह) में यह देखा गया (अगस्त 1998) कि 560 ईंट भट्ठा (बंगला भट्ठा) मालिकों ने ईंट भट्ठों का संचालन किया (ईंट मौसम 1994-95 से 1997-98)। बंगला भट्ठा के लिए रॉयल्टी की दरों का संशोधन नहीं होने से 560 बंगला भट्ठा के लिए 1250 रुपये प्रति भट्ठों की दर से रॉयल्टी की हानि की राशि 7 लाख रुपये संगणित की गयी।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 1998) जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद ने कहा (सितम्बर 1998) कि मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजा जायेगा जब कि जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह ने कहा (अगस्त 1998) कि सुझाव के अनुसार जाँचोपरान्त मामलों पर कार्रवाई की जायेगी।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (दिसम्बर 1998 और मार्च 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

8.04 (क) अर्थदंड का नहीं/कम लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 तथा उसके अधीन दिनांक 27 मार्च 1992 को सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के अन्तर्गत प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक/ईंट मिट्टी हटाने वाले व्यक्ति को अनुज्ञप्ति निर्गत होने से पहले ईंट भट्ठों की श्रेणियों के आधार पर विहित समेकित रॉयल्टी की राशि का भुगतान करना होगा। पुनः, नियम 40 (8) के अंतर्गत, जो कोई बिना वैध

* बंगला भट्ठा :-बिना चिमनी के ईंट भट्ठा को बंगला भट्ठा कहा जाता है।

पट्टा/अनुज्ञप्ति के लघु खनिज को हटायेगा उसे उसके मूल्य का भुगतान करना होगा तथा सरकार उस व्यक्ति से बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के अधिभोग में भूमि को रखने की अवधि के लिये लगान, रॉयल्टी या कर, जैसा भी मामला हो , की भी वसूली कर सकती है।

25 जिला खनन कार्यालयों* में यह पाया गया (अप्रैल और नवम्बर 1998 के मध्य) कि भट्ठा मालिकों ने बिना कोई वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त किये तथा बिना विहित समेकित रॉयल्टी का भुगतान किये 3230 ईंट भट्ठे (ईंट मौसम :1995-96 से 1997-98) संचालित किये। इनमें से 3058 मामलों में अर्थदंड के रूप में खनिज के मूल्य की वसूली की माँग नहीं की गई जबकि 5 जिला खनन कार्यालयों** से संबंधित 172 मामलों में अर्थदंड के रूप में खनिज के मूल्य के लिए 1000 रुपये से 16000 रुपये तक की माँग खनिज का मूल्य सन्दर्भित किये बिना की गई। न्यूनतम खनिज के मूल्य को रॉयल्टी के समरूप लेने पर तथा उस पर लगाये गये अर्थदंड की राशि को घटाने पर 718.51 लाख रुपये की राशि का अर्थदंड कम लगाया गया जैसा, कि नीचे की तालिका में दिखाया गया है :-

क्रम सं.	जिला खनन कार्यालयों के नाम	वर्ष	क्षेत्र की श्रेणियाँ	भट्ठों की संख्या	प्रतिभट्ठा समेकित रॉयल्टी की राशि	अरोप्य/ आरोपित रॉयल्टी की राशि	रॉयल्टी के समरूप आरोप्य अर्थदंड	आरोपित अर्थदंड	अर्थदण्ड नहीं/कम आरोपित
					(रुपये में)	(लाख	रुपये		में)
1.	बोकारो	1997-98	V	14	22,500	3.15	3.15	--	3.15
2.	भोजपुर (आरा)	1997-98	IV	36	30,000	10.80	10.80	--	10.80
			V	174	22,500	39.15	39.15	--	39.15
3.	भागलपुर	1996-97 से 1997-98	III	3	37,500	1.12	1.12	0.10	1.02
			IV	6	30,000	1.80	1.80	--	1.80
			V	50	22,500	11.25	11.25	0.90	10.35
4.	बेगुसराय	1996-97	IV	9	30,000	2.70	2.70	1.44	1.26
			V	61	22,500	13.73	13.73	7.32	6.41
5.	धनबाद	1997-98	IV	4	30,000	1.20	1.20	--	1.20
			V	28	22,500	6.30	6.30	--	6.30
6.	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	1995-96 से	IV	14	30,000	4.20	4.20	--	4.20
		1997-98	V	498	22,500	112.05	112.05	--	112.05
7.	गढ़वा	1995-96 से 1997-98	V	29	22,500	6.52	6.52	--	6.52
8.	गुमला	1996-97 से 1997-98	V	18	22,500	4.05	4.05	--	4.05
9.	गया	1997-98	IV	48	30,000	14.40	14.40	--	14.40
			V	340	22,500	76.50	76.50	--	76.50
10.	गिरिडीह	1997-98	V	2	22,500	0.45	0.45	--	0.45
			VI	32	2,500	0.80	0.80	--	0.80
11.	जमुई	1997-98	IV	18	30,000	5.40	5.40	--	5.40
			V	75	22,500	16.87	16.87	--	16.87
12.	लातेहार	1997-98	V	19	22,500	4.27	4.27	--	4.27

* बोकारो, भोजपुर (आरा), भागलपुर, बेगुसराय, धनबाद, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), गढवा, गुमला, गया, गिरिडीह, जमुई, लातेहार, लोहरदगा, मुंगेर, नालंदा (बिहारशरीफ), पलामु (डालटनगंज), पटना, पाकुर, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), सिवान, साहेबगंज, समस्तीपुर, पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) और पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

** भागलपुर, बेगुसराय, पटना, समस्तीपुर और पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

13.	लोहरदगा	1997-98	IV	6	30,000	1.80	1.80	--	1.80
			V	10	22,500	2.25	2.25	--	2.25
14.	मुंगेर	1997-98	IV	27	30,000	8.10	8.10	--	8.10
			V	14	22,500	3.15	3.15	--	3.15
15.	नालंदा (बिहारशरीफ)	1996-97 से	IV	18	30,000	5.40	5.40	--	5.40
			V	277	22,500	62.32	62.32	--	62.32
		1997-98	VI	14	2,500	0.35	0.35	--	0.35
16.	पलामु (डालटनगंज)	1997-98	IV	6	30,000	1.80	1.80	--	1.80
			V	14	22,500	3.15	3.15	--	3.15
17.	पटना	1997-98	II	17	45,000	7.65	7.65	0.16	7.49
			IV	9	30,000	2.70	2.70	--	2.70
			V	53	22,500	11.93	11.93	0.74	11.19
18.	पाकुर	1997-98	VI	37	2,500	0.92	0.92	--	0.92
19.	रोहतास (सासाराम)	1997-98	IV	3	30,000	0.90	0.90	--	0.90
			V	79	22,500	17.78	17.78	--	17.78
20.	सारण (छपरा)	1995-96 से	IV	45	30,000	13.50	13.50	--	13.50
		1997-98	V	384	22,500	86.40	86.40	--	86.40
21.	सिवान	1997-98	IV	3	30,000	0.90	0.90	--	0.90
			V	165	22,500	37.13	37.13	--	37.13
22.	साहेबगंज	1997-98	IV	5	30,000	1.50	1.50	--	1.50
23.	समस्तीपुर	1996-97	IV	10	30,000	3.00	3.00	--	3.00
			V	254	22,500	57.15	57.15	6.75	50.40
			VI	6	3,750	0.23	0.23	--	0.23
24.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	1997-98	III	2	37,500	0.75	0.75	--	0.75
			IV	3	30,000	0.90	0.90	--	0.90
			V	31	22,500	6.98	6.98	--	6.98
25.	पश्चिमी चम्पारण	1996-97 से	IV	44	30,000	13.20	13.20	0.32	12.88
	(बेतिया)	1997-98	V	216	22,500	48.60	48.60	0.91	47.69
	कुल			3230		737.15	737.15	18.64	718.51

त्रुटियों को विभाग को बताया गया (अप्रैल और नवम्बर 1998 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1998 और फरवरी 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।

(ख) मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने/विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के अंतर्गत लघु खनिजों के उत्खनन के लिए प्रत्येक पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक महीने विहित प्रपत्र में संबंधित माह के बाद के महीने के पन्द्रहवें दिन तक एक विवरणी प्रस्तुत करनी है। पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित विवरणी को विहित अवधि के अंदर प्रस्तुत करने में असफल होने पर विहित तिथि की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन के लिए 20 रुपये की दर से अर्थदण्ड के रूप में अधिकतम 2500 रुपये का भुगतान करना होगा।

13 जिला खनन कार्यालयों * में लघु खनिजों के पट्टाधारियों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला (अप्रैल और अक्तूबर 1998 के मध्य) कि 948 मामलों में 163 पट्टाधारियों ने या तो विहित तिथियों के अंदर विवरणी प्रस्तुत करने में चूक की या विवरणियों को लेखापरीक्षा की तिथि तक प्रस्तुत ही नहीं किया। नवम्बर 1995 और मार्च 1998 के मध्य के विभिन्न महीनों के लिए विवरणियों को प्रस्तुत करने में 33 से 884 दिनों का विलम्ब हुआ था। इन मामलों में निर्धारण

* पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), गढ़वा, गया, गिरिडीह, गुमला, जमुई, कोडरमा, लोहरदगा, मुंगेर, पाकुर, राँची, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)।

पदाधिकारियों द्वारा कोई अर्थदण्ड नहीं लगाया गया था। उद्ग्रहणीय अर्थदण्ड की कुल राशि 23.30 लाख रुपये संगणित की गई।

त्रुटि को विभाग को (अप्रैल और अक्तूबर 1998 के मध्य) तथा सरकार को (नवम्बर 1998 और फरवरी 1999 के मध्य) बताया गया। सरकार ने बताया कि जमुई, कोडरमा, लोहरदगा और पाकुर जिलों से संबंधित दो मामलों में 0.01 लाख रुपये का उद्ग्रहण किया गया (फरवरी 1999), 169 मामलों में 4.21 लाख रुपये की माँग सृजित की गयी (अक्तूबर 1998 और अक्तूबर 1999 के मध्य) तथा 33 मामलों में 0.83 लाख रुपये के उद्ग्रहण के लिये प्रमाणपत्र की कार्यवाही आरंभ की गयी (1999-2000)। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

8.05 ब्याज का नहीं लगाया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 43(क) के प्रावधानों के अंतर्गत, रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर सरकार प्रति वर्ष 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगा सकती है।

8 जिलों * के ईंट भट्ठा मालिकों के ईंट मौसम 1996-97 तथा 1997-98 से संबंधित अभिलेखों की मई से नवम्बर 1998 की अवधि में जाँच करने पर यह देखा गया कि 344 ईंट भट्ठा मालिकों ने पथाई कार्य शुरू करने से पहले समेकित रॉयल्टी की राशि का भुगतान नहीं किया। इस तरह पथाई कार्य शुरु करने/निरीक्षण करने की तिथि से प्रति वर्ष 24 प्रतिशत की दर से वे साधारण ब्याज भुगतान करने के लिये उत्तरदायी थे किंतु संबंधित खनन पदाधिकारियों के द्वारा ब्याज आरोपित नहीं किया गया। ईंट मौसम 1996-97 और 1997-98 के लिए 344 मामलों में आरोप्य ब्याज 5.34 लाख रुपये संगणित किया गया।

त्रुटि को विभाग को बताया गया (मई और नवम्बर 1998 के मध्य) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1998 और अप्रैल 1999 के मध्य)। सरकार ने कहा (नवम्बर और दिसम्बर 1999 के मध्य) कि भागलपुर, नालन्दा, राँची और रोहतास जिलों से संबंधित 37 मामलों में 0.49 लाख रुपये का उद्ग्रहण किया गया (जून 1997 और सितम्बर 1999 के मध्य), 83 मामलों में 0.98 लाख रुपये की माँग सृजित की गयी (मई और अगस्त 1999 के मध्य) और 63 मामलों में 1.04 लाख रुपये के उद्ग्रहण के लिये प्रमाणपत्र कार्यवाही आरंभ की गयी (1998-99 और 1999-2000)। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

8.06 (क) पट्टों के नवीकरण नहीं होने से मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क का नहीं लगाया जाना

पट्टा दस्तावेजों (नवीन तथा नवीकृत) का भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 17 के अन्तर्गत निष्पादन तथा निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 (घ) के अन्तर्गत निबंधन अपेक्षित है।

गढ़वा और सासाराम जिलों में यह देखा गया (मई 1998) कि चूना पत्थर के 5 पट्टे तथा डोलोमाइट के एक पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी थी (मार्च 1986 और अक्तूबर 1992 के मध्य)

* भोजपुर (आरा), भागलपुर, बेगुसराय, गया, नालन्दा, राँची, रोहतास (सासाराम) और समस्तीपुर।

किंतु खनन कार्य उसके बाद भी जारी रहा। पट्टा नवीकरण के लिये अनुमोदन पाँच से बारह वर्षों तक लंबित थे। पट्टा का नवीकरण नहीं होने से पट्टा दस्तावेजों का निष्पादन तथा निबंधन नहीं हो सका और उस पर विहित मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन शुल्क अनुद्ग्रहित रह गये। खनिजों के औसत वार्षिक प्रेषण के आधार पर मुद्रांक शुल्क के लिए रॉयल्टी 291.76 लाख रुपये संगणित की गई जिस पर आरोप्य मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन शुल्क क्रमशः42.89 लाख रुपये और 11.67 लाख रुपये हुए।

इन्हें बताये जाने पर (मई 1998), विभाग ने कहा (मई 1998) कि पट्टा नवीकरण में विलंब का कारण वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं देना था। तथापि, इस प्रक्रिया में 54.56 लाख रुपये का राजस्व उद्ग्रहित नहीं हो सका।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 1998 और जनवरी 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।

(ख) बंदोबस्ती के दस्तावेजों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के अन्तर्गत बालू की बंदोबस्ती जिला समाहर्त्ता द्वारा एक पंचांग वर्ष के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा उच्चतम डाककर्त्ता के पक्ष में की जाती है तथा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में निर्दिष्ट मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर बंदोबस्तीधारी के साथ बंदोबस्ती विलेख निष्पादित किया जाता है।

8 जिला खनन कार्यालयों * में 21 बालू क्षेत्रों को वर्ष 1997 और 1998 के लिए भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अंतर्गत बंदोबस्ती के समुचित विलेखों के निष्पादन के बिना 616.66 लाख रुपये पर बंदोबस्त किया गया। इस प्रकार, 38.85 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई।

त्रुटियों को विभाग को बताया गया (जून और अक्तूबर 1998 के मध्य) और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 1998 और फरवरी 1999 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

* भोजपुर (आरा), भागलपुर, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), गया, जमुई, नालन्दा (बिहार शरीफ), साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)

अध्याय 9: अन्य कर - भिन्न प्राप्तियाँ

9.01 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1998-99 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से राजस्व की हानि/वसूली नहीं होने आदि का पता चला जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

क. वन प्राप्तियाँ :

		मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपये में)
1.	वन अपराध के मामले/लम्बित मामलों का निष्पादन नहीं होना एवं बकाये का उद्ग्रहण नहीं होना	6	1558.04
2.	भूमि/वन उत्पाद/वनरोपण क्षतिपूरक की कीमत का भगतान नहीं होना	7	1873.91
3.	विभागीय चूकों के कारण राजस्व की हानि	11	300.07
4.	बिक्री कर के उद्ग्रहण नहीं होना/कत्था की बिक्री नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	2	13.88
5.	आरा मिलों की अनुभूति के नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	1	0.07
6.	अन्य मामले	5	1861.57
	कुल	**32**	**5607.54**

ख. जल दर :

1.	जल दरों के निर्धारण में विलम्ब	7	887.70
2.	सिंचाई के लक्ष्य की प्राप्ति नही होने के कारण राजस्व की हानि	11	70.42
3.	अन्य मामले	29	1155.53
	कुल	47	**2113.65**

ग. पुलिस प्राप्तियाँ :

1.	अन्य मामले	1	6598.19
	कुल	1	**6598.19**

वर्ष 1998-99 के दौरान सम्बंधित विभागों ने 12 मामलों में निहित 1893.75 लाख रुपये के राजस्व की हानि आदि केा स्वीकार किया जिसमें 1662.64 लाख रुपये के 7 मामले 1998-99 की अवधि की लेखा परीक्षा में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे।

दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले और "वन अपराधों" और "पुलिस प्राप्तियाँ" पर की गयी दो समीक्षाओं में, जिसमें 8271.48 लाख रुपये राजस्व प्रभाव निहित हैं, अनुवर्ती कण्डिकाओं में दिये गये हैं :-

क. वन प्राप्तियाँ

9.02 वन अपराध

9.02.01 प्रस्तावना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 और बिहार वन नियमावली में अंतविष्ट प्रावधानों के अंतर्गत वृक्षों की अवैध कटाई, पशुओं की चराई, पत्थरों का उत्खनन, आग लगाने की कार्रवाई और अतिक्रमण करना, जैसे वन अपराध छः महीने की न्यूनतम अवधि के लिए कारवास जिसे दो वर्ष बढाया जा सकता है या एक हजार रुपये के न्यूनतम जुर्माना जिसे पाँच हजार रुपये तक बढाया जा सकता है या दोनों के साथ दण्डनीय हैं। ये अपराध नष्ट किये गये और हटाये गये वन उत्पाद के मूल्य और क्षति के लिए क्षतिपूर्ति (अर्थदण्ड) की वसूली से समन किया जा सकता हैं। क्षतिपूर्ति की दर के निर्धारण के लिए कोई विशेष मान देय विहित नहीं किये गये हैं। विकल्प में, अपराधियों के विरुद्ध अदालत में छः महीने से तीन वर्ष के अंदर मुकदमा चलाया जा सकता है। जहाँ अपराधी अनुमार्गणीय नहीं है, मामले को अंससूचित माना जाता है और पायी गयी सामग्री को नजदीकी बिक्री केन्द्र में बिक्री हेतु लाया जाता है।

9.02.02 संगठनात्मक ढाँचा

शीर्ष स्तर पर विभागाध्यक्ष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) है और वे समग्र रूप से वन प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें छः कार्यकारी मुख्य वन संरक्षकों और छः क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों का सहयोग प्राप्त होता है। कुशल प्रबंधन और नियंत्रण के उद्देश्य से विभाग 23 वन अंचलों में विभाजित है और प्रत्येक अंचल वन संरक्षक के प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत है। अंचलों को 112 प्रमण्डलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक प्रमण्डल का प्रभारी वन प्रमंडल पदाधिकारी होता है। वन प्रमण्डल वन क्षेत्रों में विभाजित है जिनका प्रभारी वन क्षेत्रपदाधिकारी होते है। क्षेत्र हलकों में विभाजित हैं जिनका प्रभारी वन पाल होते हैं। हलका क्षेत्र और प्रमण्डल के स्तरों पर हुए आपराधिक मामले वन पदाधिकारी द्वारा निपटाये जाते हैं।

9.02.03 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वन अपराध के मामलों में उचित लेखा विधि और जब्त हुई सम्पत्ति का संवैधनिक एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत हुए निष्पादन का पता लगाने हेतु 1992-93 से 1997-98 की अवधि के 36 प्रमण्डलों, जहाँ वन अपराध मामले हुए, में से 16 प्रमण्डलों* में पंजीकृत मामलों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच जनवरी और जुलाई 1999 के मध्य की गयी।

* चतरा उत्तरी, चतरा दक्षिणी, देवघर, धनबाद, धालभूम, दुमका, गया, गया वनरोपण, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग पश्चिमी, कोडरमा, लातेहार, मुंगेर, राँची पश्चिमी और शाहाबाद।

नमूना जाँच के परिणाम अनुवर्ती कडिकाओं में प्रकाश में लाये गये हैं:-

9.02.04 विशिष्टतायें

61.22 लाख रुपये मूल्य के उत्पाद की हानि 167 मामलों के 3 वन प्रमण्डलों द्वारा अपराधियों के विरुद्ध क्षति प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गये।

[कंडिका 9.02.05.(i)]

2326 वन अपराध मामले, जिनमें 393.61 लाख रुपये निहित थे, काल वाधित हो गये।

[कंडिका 9.02.05.(ii)]

9 वन प्रमण्डलों में, 413.41 लाख रुपये मूल्य के जब्त किये गये वन उत्पाद का क्रमिक क्षय हुआ।

[कंडिका 9.02.05.(क)]

नष्ट होने वाले जब्त वन उत्पादों का निष्पादन नहीं होने के फलस्वरूप 57.90 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 9.02.05.(ख)]

वन भूमि से खनिजों के अनाधिकृत खनन के फलस्वरूप 141.25 लाख रुपये का राजस्व उद्ग्रहण नहीं हुआ।

[कंडिका 9.02.05.(ग)]

5 वन प्रमण्डलों में, अज्ञात अपराधियों द्वारा 82851 पेड़ों की अवैध कटाई कर ले जाने के कारण 102.16 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

[कंडिका 9.02.06.(क)(i)]

अपराध मामलों के निष्पादन में विलम्ब के कारण जब्त/अधिहरण किये गये वाहनों के गुण ह्रास के फलस्वरूप 483.19 लाख रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

[कंडिका 9.02.07.(i)]

9.02.05 अदालत में विचाराधीन अपराध मामले

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के धारा 52(2) के अंतर्गत, सम्पत्ति जब्त करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी सम्पत्ति पर ऐसा चिह्न लगायेगा जो दर्शाये कि वह जब्त की गयी है और वह जितनी जल्दी हो, ऐसी जब्ती का प्रतिवेदन जिसके कारण जब्ती की गई क्षेत्राधिकार में आने वाले दण्डाधिकारी को अपराध की जाँच हेतु देगा।

1992-93 और 1997-98 की अवधि के मध्य 16 वन प्रमण्डलों* से सम्बंधित विभिन्न अदालतों में

* चतरा उत्तरी, चतरा दक्षिणी, देवघर, धनबाद, धालभूम, दुमका, गया, गया एफोरेस्टेशन, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग पश्चिमी, कोडरमा, लातेहार, मुंगेर, राँची पश्चिमी और शाहाबाद।

विचाराधीन लंबित मामलों की स्थिति जैसा कि विभाग से प्राप्त हुआ, नीचे दी गयी है :-

वर्ष	अदालत में पड़े मामलों का पूर्व शेष	प्रमण्डल द्वारा वर्ष में अदालत में भेजे गये मामले	कुल	अदालत द्वारा वर्ष में निष्पादित मामले	शेष	कुल मामलों की संख्या से निष्पादित मामलों का प्रतिशत
1992-93	10723	2545	13268	970	12298	7
1993-94	12298	2972	15270	666	14604	4
1994-95	14604	2634	17238	720	16518	4
1995-96	16518	3174	19692	1628	18064	8
1996-97	18064	2254	20318	2665	17653	13
1997-98	17653	2853	20506	1178	19328	6
कुल		16432		7827		

छः वन प्रमण्डलों (धालभूम, दुमका, गया, गिरिडीह, कोडरमा और लातेहार) में 1992-93 और 1997-98 के मध्य 3418 अपराध मामले अदालतों द्वारा निष्पादित किये गये परंतु अपराध पंजी के उचित रख-रखाव नहीं होने के कारण निष्पादित मामलों में जब्त हुए वन उत्पादों के परिमाण और मूल्य की जानकारी नहीं हो सकी और इस प्रकार यह निश्चित नहीं हो सका कि उन मामलों में निहित वन उत्पादों का बिक्री हुआ या नहीं।

अपराध मामलों का तैयार नहीं होना/ तैयारी में विलंब होना

(i) 3 वन प्रमण्डलों (धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा) में 61.22 रुपये मूल्य के 167 मामलों में (फरवरी 1993 और मार्च 1999 के मध्य) विभिन्न किस्मों के वृक्ष हटाये गये जिसके अपराध मामलों के प्रतिवेदन वन क्षेत्रों द्वारा तैयार नहीं किये गये।

(ii) 13 वन प्रमण्डलों* में 1992-93 से 1996-97 के मध्य की अवधि के 393.61 लाख रुपये निहित 2326 अपराध मामले काल बाधित हो गये, जिसमें 301.28 लाख रुपये निहित 1727 मामले क्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा प्रमण्डलों में 10 से 35 महीने विलम्ब से प्रस्तुत किये गये।

(iii) 6 वन प्रमण्डलों** में 1992-93 से 1996-97 की अवधि से संबंधित 122 मामले न तो समर्पित किये गये और न अदालत में भेजे गये फलस्वरूप 15.92 लाख रुपये का राजस्व अवरुद्ध हुआ।

(क) प्रमण्डलों की परिरक्षा में रखे गये वन उत्पादों का अपकर्ष

प्र.मु.व सं., बिहार के अनुदेश (फरवरी 1989) में अनुसार प्रमण्डलों में पड़े जब्त वन उत्पाद जिनसे संबंधित मामले अदालत द्वारा निष्पादित किये जा चुके हों तथा राज्यसात करने का आदेश प्राप्त हो चुके हों की बिक्री विभागीय कार्य प्रणाली के अनुसार होगी या संबंधित राज्य व्यापार प्रमण्डलों में बिक्री हेतु हस्तांतरित किये जाएंगे ताकि और अधिक गुण ह्रास या क्षय होने से बचा जा सके। वन प्रमण्डलों के सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारियों को भी आदेश निर्गत किया गया (जुलाई 1996) कि उन मामलों में जिनमें छः महीने से अधिक होने पर भी अदालत द्वारा

* चतरा उत्तरी, चतरा दक्षिणी, धनबाद, धालभूम, दुमका, गुमला, गया, हजारीबाग पश्चिमी, कोडरमा, लातेहार, मुंगेर, राँची पश्चिमी और शाहाबाद।

** धालभूम, दुमका, गुमला, लातेहार, राँची पश्चिमी और शाहाबाद।

निर्णय नहीं लिया गया है, उसकी त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी और विचाराधीन मामलों के अंतर्गत जब्त किये गये वन उत्पाद को छोड़ने का अदालत से अनुरोध करेगा। अदालत की अनुमति से जब्त उत्पाद की बिक्री होगी और उद्ग्रहित राशि को अदालत के पक्ष में या स्टेट बैंक सावधि जमा लेखा में जमा होगा।

(i) प्र. मु. वन सं. के अनुदेशों का अनुपालन किसी भी प्रमण्डल में नहीं हुआ और जब्त किये गये उत्पाद न तो बेचे गये और न ही राज्य व्यापार प्रमण्डलों में हस्तांतरित किये गये। यहाँ तक कि विचाराधीन मामलों की समीक्षा भी नहीं की गयी और त्रैमासिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किये गये और न ही विचाराधीन मामलों में जब्त वन उत्पादों को छोड़ने का सम्बंधित अदालत से अनुरोध ही किया गया।

413.41 लाख रुपये मूल्य के (चतरा दक्षिणी : 19.03 लाख रुपये, देवघर : 4.68 लाख रुपये, गयाः 257.84 लाख रुपये, गिरिडीहः 10.59 लाख रुपये, हजारीबाग पश्चिमीः 17.29 लाख रुपये, कोडरमाः 43.65 लाख रुपये, मुंगेरः 10.46 लाख रुपये, राँची पश्चिमीः 10.23 लाख रुपये और शाहाबादः 39.64 लाख रुपये) जब्त उत्पादों की न तो बिक्री की गयी और न संबंधित राज्य व्यापार प्रमण्डलों को हस्तांतरित ही किया गया।

वन उत्पाद 1992-93से 1997-98 तक अनिष्पादित पड़े हुए थे, जैसा कि नीचे दिया गया है :-

वर्ष	खम्भा (संख्या)	टिम्बर		खैर की लकड़ी				विविध लकड़ी (क्विंटल)	बांस (संख्या)	जलावन की लकड़ी			लकड़ी का कोयला (बोरा)	साल बोटा टोना (संख्या)
		संख्या	घन मीटर	संख्या	क्विंटल	घन मीटर	ट्रक/ ट्रेलर			बोझा	बैल गाड़ी	घन मीटर		
1992-93	17551	4260	55.0476	698	0.00	--	--	80	6264	1113	578	--	--	--
1993-94	13172	3768	22.4504	2868	50.0	4.574	--	--	16505	477	270	-	200	1
1994-95	19462	1449	20.8490	2466	120.0	10.1003	5	--	3407	206	61	35.98	157	54
1995-96	28529	1680	19.6913	13534	594.8	25.4557	1	--	2566	83	151	16.00	17	69
1996-97	23061	1489	16.5817	29974	830.0	--	2	--	295	77	139	--	--	148
1997-98	17946	280	11.6350	5997	761.0	49.00	3	--	425	16	85	--	13	128
कुल	119721	12926	146.2550	55537	2355.8	90.130	11	80	29462	1972	1284	51.98	387	410

खुले स्थान में दीर्घकाल तक संचयन और प्राकृतिक क्षय के कारण उत्पाद का शीघ्र अपकर्षण निश्चित था।

की गयी कार्रवाई के उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।

(ii) 5 वन प्रमण्डलों* में यह देखा गया कि 1991-92 और 1997-98 के मध्य इमारती लकड़ी खम्भे, जलावन आदि जब्त किये गये 98.73 लाख रुपये मूल्य के 1183 मामले अनिष्पादित रह गये। इसके फलस्वरूप 98.73 लाख रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(ख) नष्ट होने वाले जब्त वन उत्पादों का निष्पादन नहीं होना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 58 और मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची के अनुदेश (मई 1959) के अंतर्गत नष्ट होने वाले वन उत्पादों यथा केन्दु पत्ता, अवैध रूप से विनिर्मित कत्था आदि के अपराध अभियोजन मामलों को शीघ्र और प्राकृतिक क्षय से बचाने हेतु अदालत से अनुमति लेकर नीलामी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र निष्पादित कर देना हैं।

* चाईबासा दक्षिणी, धालभूम, दुमका, गया वनरोपण और लातेहार।

7 वन प्रमण्डलों में यह देखा गया कि 1991-92 से 1997-98 की अवधि में 57.90 लाख रुपये मूल्य के नष्ट होने वाले निम्नलिखित उत्पाद अनिष्पादित पड़े हुए थे जैसा कि नीचे दिया गया है :-

वर्ष	प्रमण्डलों के नाम	तरल कत्था			कत्था बिस्कुट			केन्दु पत्ता	
		मामलों की संख्या	परिणाम कि.ग्रा. में	मूल्य	मामलों की संख्या	परिणाम कि ग्रा में	मूल्य	बोरा	मूल्य
1991-92	शाहाबाद	--	--	--	--	--	--	514	514000
1992-93	गया वनरोपण	--	--	--	2	35	11000	--	--
	कोडरमा	1	108	10800	5	210	11150	--	--
	राँची (पश्चिमी)	--	--	--	--	--	--	320	66000
1993-94	गया वनरोपण	1	115	7000	4	135	23000	--	--
	कोडरमा	2	213	26100	10	3957	556950	--	--
	शाहाबाद	--	--	--	--	--	--	217	163355
1994-95	गया वनरोपण	--	--	--	1	7.5	3500	--	--
	कोडरमा	4	325	21250	5	1636	260950	--	--
	शाहाबाद	--	--	--	--	--	--	43	43000
1995-96	गया वनरोपण	--	--	--	1	85	34000	--	--
	कोडरमा	3	145	7500	4	185	61000	--	--
1996-97	गया वनरोपण	--	--	--	--	--	--	--	--
	कोडरमा	4	590	76500	6	250	83900	--	--
1992-93 से 1997-98	चतरा (द.)	10	5812	406871	10	10804.590	2539078	--	--
	गया	10	3172	190320	10	2225	445000	--	--
	हजारीबाग (पश्चिमी)	10	989	55412	10	797	172970	--	--
	कुल		11469	801753		20327	4202498		786355

प्रमण्डलों द्वारा वैसे वन उत्पादों जिनका जीवन समय के साथ-साथ समाप्त हो गया के निष्पादन हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप 57.90 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(ग) वन-भूमि से खनिजों के उत्खनन के कारण राजस्व का अवरुद्ध होना

10 वन प्रमण्डलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1992-93 से 1997-98 की अवधि में खनिजों के अवैध उत्खनन के 611 मामले उद्घटित हुए, जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है :-

प्रमंडल का नाम	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		कुल
	मामले की संख्या	मूल्य	मामले की संख्या	मूल्य	मामले की संख्या	मूल्य	मामले की संख्या	मूल्य	मामले की संख्या	मूल्य	मामले की संख्या	मूल्य	
	(लाख रुपये में)												
चतरा दक्षिणी	--	शून्य	2	0.048	4	0.11	15	1.49	21	1.46	5	0.09	3.20
शाहाबाद	7	0.36	13	0.41	37	20.71	18	6.01	--	शून्य	21	48.93	76.43
देवघर	6	0.31	14	0.59	10	0.29	6	0.39	3	0.23	1	0.10	1.92
गया	50	23.96	21	1.00	9	0.23	14	0.79	2	0.38	10	0.50	26.86
गिरीडीह	17	0.18	16	0.40	8	0.25	19	2.13	12	1.17	14	1.71	5.84
मुंगेर	--	शून्य	--	शून्य	11	2.14	7	0.80	--	शून्य	38	3.44	6.38
गया वनरोपण	6	0.22	5	0.31	4	0.10	4	0.05	2	0.04	3	0.03	0.74
हजारीबाग पश्चिमी	--	शून्य	--	शून्य	--	शून्य	--	शून्य	6	1.68	26	3.38	5.06
दुमका	10	1.01	24	1.53	--	शून्य	3	0.27	--	शून्य	--	शून्य	2.80
धालभूम	4	0.48	10	1.33	18	4.06	17	2.90	26	2.18	12	1.09	12.02
कुल	100	26.52	105	5.62	101	27.89	103	14.83	72	7.14	130	59.27	141.25

उपर्युक्त मामलों में 538848 घनफुट पत्थर, 12630 घनफुट पत्थर के टुकड़े, 20650 घनफुट शिलाखण्ड, 16800 घनफुट मोरम, 44 क्विंटल और 26 ट्रैक्टर अबरख, 4000 घनफुट मिट्टी, 211000 घनफुट स्लेट पत्थर, 14 बोरे कोयला आदि खनिजों का वन भूमि से उत्खनन हुआ और जब्त कर प्रमण्डलों में रखे गये।

किसी वन प्रमण्डल अधिकारी द्वारा अदालत से खनिजों को बिक्री के लिए छोड़ने हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 141.25 लाख रुपये का राजस्व अवरुद्ध हुआ।

9.02.06 अवैध कटाई और तस्करी

अवैध कटाई और तस्करी की रोकथाम के लिए सरकार ने अनुदेश (अगस्त 1990) निर्गत किया कि किसी भी वन में अवैध कटाई की घटना होने के 24 घण्टे के अंदर छापा मारने और अपराधियों को हिरासत में लेने एवं मुकदमा चलाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाया जाएगा।

10 वन प्रमण्डलों के अपराध अभिलेखों की जाँच -पड़ताल के क्रम में 1992-93 और 1997-98 के मध्य अवैध कटाई एवं चराई के मामलों को देखा गया जैसा कि नीचे की तालिका में दर्शाया गया है :-

प्रमण्डलों के नाम	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96			1996-97			1997-98			मूल्य (लाख रुपये में)
	अवैध कटाई	अवैध चराई	अपराध प्रतिवेदन का अभाव	अवैध कटाई	अवैध चराई	अपराध प्रतिवेदनों का अभाव	अवैध कटाई	अवैध चराई	अपराध प्रतिवेदनों का अभाव	अवैध कटाई	अवैध चराई	अपराध प्रतिवेदनों का अभाव	अवैध कटाई	अवैध चराई	अपराध प्रतिवेदनों का अभाव	अवैध कटाई	अवैध चराई	अपराध प्रतिवेदन का तैयार नहीं होना	कटाई चराई
चतरा दक्षिणी	--	--	--	--	--	--	अप्राप्त	2	--	अप्राप्त	--	--	अप्राप्त	--	--	अप्राप्त	3	--	3.52 +2.88
देवघर	99	8	--	93	20	--	135	8	--	151	--	--	150	6	--	56	--	--	12.43 +6.34
धालभूम	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	8	--	--	8	--	--	3	--	-- +3.15
दुमका	--	--	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	--	5	--	-- +1.64
गया	--	6	--	--	7	--	--	12	--	--	5	--	--	5	--	--	4		-- +8.27
गया वनरोपण	--	22	--	--	4	--	--	11	--	--	16	--	--	12	--	--	1	--	-- + 15.19
गिरिडीह	--	--	--	--	9	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	9	--	-- + 7.83
हजारीबाग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7	329	--	19	269	--	133	28.04 + शून्य
मुँगेर	अप्राप्त	1	--	अप्राप्त	--	--	अप्राप्त	2	--	अप्राप्त	7	--	अप्राप्त	1	--	अप्राप्त	--	--	26.44 +2.70
लातेहार	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	अप्राप्त	--	--	31.73 +--
कुल	99	37	--	93	46	--	135	39	--	151	39	7	479	36	19	325	25	133	102.16 +48.00

(क) (i) 5 वन प्रमण्डलों (चतरा दक्षिणी, देवघर, हजारीबाग पश्चिमी, मुंगेर और लातेहार) में अपराधियों द्वारा विभिन्न किस्मों के 83258 वृक्षों को अवैध रूप से काट कर हटा दिया गया, जिसमें से 407 टुकड़े को लातेहार प्रमण्डल द्वारा जब्त कर लिया गया। उपर्युक्त घटना के कारण सरकार को 102.16 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(ii) 8 वन प्रमण्डलों* में 222 मामलों में पौधे चरा दिये गये जिसके फलस्वरूप 48 लाख रुपये की हानि हुई।

(iii) हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल में, वन भूमि में अवैध कटाई, अवैध खनन और अवैध अतिक्रमण के 159 प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रमंडल को भेजे गए किन्तु न तो अपराध प्रतिवेदन तैयार किये गए और न राजस्व की हानि को प्राकलित ही किया गया। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी।

(ख) यह देखा गया (जनवरी 1997) कि बिहार से उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों को ले जाते 17.25 लाख रुपये मूल्य की खैर लकड़ी से भरे 9 ट्रकों को रास्ते में इलाहाबाद में जब्त (सितम्बर 1996 और जनवरी 1997 के मध्य) किया गया। चूँकि वैध अनुज्ञापत्र और अन्य कागजात नहीं थे, विभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, इलाहाबाद द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में आपराधिक मामले दायर किये गये। तस्करों की खोज या मामलों को आगे बढाने के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गये जबकि अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार में कई जाँच चौकियाँ हैं। इस प्रकार, विभाग वाहनों और वन उत्पादों को जब्त करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप सरकार को 17.25 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

9.02.07 अधिहरण/जब्त किये गये वाहनों के निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 के साथ पठित बिहार संशोधन अधिनियम 1990 की धारा 52 अ और 52ब के अंतर्गत जहाँ यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वन उत्पाद से संबंधित वन अपराध हुआ है, ऐसे उत्पाद के साथ उस अपराध में व्यवहार में लाये गये वाहन को वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा किया जा सकता है और अधिहरण की तिथि से 30 दिनों का समय अपील की अनुमति देने के बाद सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जा सकता है।

(i) प्र.मु.व.सं., बिहार के कार्यालय की लेखा परीक्षा (नवम्बर 1998) के क्रम में यह देखा गया कि 1991-92 और 1997-98 के मध्य वन प्रमण्डल पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न वन अपराध मामलों में एक बड़ी संख्या में जब्त किये गये वाहन विभिन्न प्रमण्डलों में पड़े हुए थे। क्षेत्रबार ब्यौरे निम्न हैं:-

क्रमांक	क्षेत्र के नाम	ट्रक	कार/जीप	मेटाडोर/टाटा 407/ मिनी बस	ट्रैक्टर	स्कूटर /मोटर साईकिल	कुल
1.	सिंहभूम	30	3	1	--	--	34
2.	पलामू	61	6	--	18	--	85
3.	राँची	102	1	13	--	--	116

* चतरा दक्षिणी, देवघर, धालभूम, दुमका, गया, गया वनरोपण, गिरिडीह और मुंगेर।

4.	मुजफ्फरपुर	14	1	2	--	--	17
5.	हजारीबाग	151	21	5	20	12	209
6.	पटना	67	11	--	6	--	84
	कुल	425	43	21	44	12	545

चूँकि जब्त किये गये वाहन, प्रकृति के प्रकोप से अरक्षित छोड दिये गए, वाहनों के मूल्य, यदि नीलाम नहीं हुए, समय के बीतने के साथ घटते ही जाएंगे। विभाग द्वारा जब्त वाहनों का प्राक्कलित मूल्य 483.19 लाख रुपये संगणित किया गया है।

(ii) नमूना जाँच से उद्‌घटित हुआ 10* वन प्रमंडलों के अभिलेखों की उपर्युक्त क्षेत्रों में जब्त किये गये 545 वाहनों में से 145 वाहन (ट्रक, जीप, कार/भान, टेम्पों, मेटाडोर, ट्रैक्टर, डम्पर, मोटर साइकिल और स्कूटर) वन प्रमण्डल अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से अधिहरण कर लिए गये थे और शेष बचे 400 जब्त वाहनों के मामले, विभिन स्तरों पर अपीलों में पड़े हुए थे। अधिहरण किये गये वाहनों की सुरक्षित जमा राशि निर्धारित कर नीलामी द्वारा निष्पादन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

(iii) शाहाबाद वन प्रमण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 1999) उद्‌घटित हुआ कि 13 वाहन मार्च 1993 और दिसम्बर 1997 के मध्य अधिहरण किये गये। मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा जमा राशि निर्धारित किये जाने के बाद वन प्रमण्डल पदाधिकारी सासाराम ने निविदा आमंत्रित किया। 8 वाहनों के मामले में यह देखा गया कि निविदाकार द्वारा दिये गये मूल्य सुरक्षित जमा राशि के 66 प्रतिशत और 165.2 प्रतिशत के मध्य था।निविदा के परिणाम प्र.मु.व.सं., बिहार, राँची द्वारा (अप्रैल1998) सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग को भेजा गया। तत्पश्चात् सरकार ने अन्य प्रमंडलों के सभी अधिहरण किये गए वाहनों की नीलामी से बिक्री हेतु विस्तृत प्रस्ताव की मांग की (नवम्बर 1998)। तथापि, आवश्यक सूचनायें/प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत नहीं किये गये (जून 1999)। चूँकि वाहनों को वर्षों खुली जगह में रखा गया, प्रकृति के प्रभांव के कारण वाहनों के मूल्य में ह्रास हुआ। समय बीतने के कारण वाहनों के मूल्य, यदि तत्परता से नीलाम नहीं हुए तो घटते जाएंगे। वाहनों के निष्पादन में विभाग की असफलता के फलस्वरूप 5.98 लाख रुपये का राजस्व की वसूली नहीं हुई।

9.02.08 पारगमन अनुज्ञापत्रों के निर्गमन से राजस्व की हानि

बिहार वन नियमावली के नियम 10.8 (ब) (5) के अंतर्गत, सभी क्षेत्रों को किसी भी इमारती लकड़ी को गोदाम (डिपो) से लदान होने पर प्रपत्र 'अ' में तीन प्राप्तियों में पारगमन अनुज्ञापत्र बनाना आवश्यक है। मूल प्रति क्षेत्र द्वारा रख ली जायेगी और अनुज्ञापत्र की दो प्रतियों को इमारती लकड़ी के खरीददार को सुपुर्द कर देना है। सभी इमारती लकड़ी का लदान प्रमाण पत्र में सही माप अभिलेखित करना और लकड़ी बाहर निर्यात करने के पूर्व उस पर निर्यात दायित्व हथौड़े से अंकित करना क्षेत्र का दायित्व है।

लातेहार वन प्रमण्डल की अपराध पंजी की छानबीन के क्रम में यह देखा गया (मई 1999) कि चँदवा क्षेत्र में सर्वश्री किशोरी आरा मिल, कामता चॉदवा के विरुद्ध इमारती लकड़ी की अवैध कटाई और अवैध व्यापार से सम्बंधित 16 आपराधिक मामले पंजीकृत किये गये थे (अप्रैल 1998)। उपर्युक्त सभी मामलों में इमारती लकड़ी जब्त नहीं की जा सकी थी। जाँच में यह पता

* चतरा दक्षिणी, धालभूम, दुमका, गया, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग पश्चिमी, कोडरमा, लातेहार और शाहाबाद।

चला कि अक्तूबर 1996 और मार्च 1997 के मध्य पारगमन अनुज्ञापत्र और लदान प्रमाणपत्र के बीच 85.9477 घन मीटर का अंतर था। लदान प्रमाण पत्र के अनुसार अधिक मात्रा का परिवहन हुआ और जैसा कि प्रमण्डल द्वारा प्राक्कलित किया गया विभाग को 15.04 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। क्षति की भरपाई के लिए प्रमण्डल द्वारा न तो उत्तरदायित्व ही निर्धारित किया गया और न कोई कार्रवाई की गयी।

9.02.09 जब्त/अधिहरण किये गये वन उत्पाद की भण्डार पंजी का रख-रखाव नहीं होना

समीक्षा हेतु चुने गये प्रमण्डलों के अभिलेखों की छान-बीन से पता चला कि अधिकतर प्रमण्डलों में जब्त/अधिहरण किये गये वन उत्पाद की भंडार-पंजी का रख रखाव नहीं होता था। परिणामस्वरूप भंडार में पड़े हुए उत्पाद की वास्तविक स्थिति की जाँच लेखापरीक्षा में नहीं हो सकी। नमूना जाँच किये गये किसी भी प्रमण्डल में जब्त उत्पाद का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)

9.03 राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना और वन भूमि का अनधिकृत विचलन

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत, राज्य सरकार या कोई प्राधिकारी किसी भी वन या उसके भाग को, बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के, गैर-वानिकी उद्देश्यों में उपयोग के लिए विचलित नहीं कर सकता है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत, वन भूमि का गैर वानिकी उद्देश्य के लिए विचलन के मामले में उपयोग करने वाले एजेंसी से वन भूमि का वर्तमान शुद्व मूल्य और क्षतिपूरक वनरोपण का मूल्य वन उत्पाद की कीमत के रूप में क्षतिपूर्ति उद्ग्रहित की जाती है पुनः क्षतिपूरक वानिकी के लिए व्यवहार करने वाली एजेंसी द्वारा वन विभाग को समतुल्य भूमि भी हस्तांतरित की जानी है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी पोराहट वन प्रमण्डल, चाईवासा की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1998) कि चाईवासा जिला में सिंचाई विभाग द्वारा सोनुआ जलाशय योजना के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन करते हुए, बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के 26.6 हेक्टेयर वन भूमि का विचलन किया गया। तथापि, वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने 26.6 हेक्टेयर के लिए 266 लाख रुपये के बदले 24 हेक्टेयर के लिए 217.83 लाख रुपये की माँग सृजित की (अक्तूबर 1993)। व्यवहार करने वाली एजेंसी द्वारा मात्र 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया (नवम्बर 1996)। इसके फलस्वरूप 264 लाख रुपये का भुगतान नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, व्यवहार करने वाली एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वानिकी हेतु भूमि का स्थानांतरण भी नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 1998) वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने संशोधित माँग सृजित की और वर्ष 1999 में 45.88 लाख रुपये (आंशिक) का संग्रहण भी किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

ख. जल दर

9.04 सूदकर के देर से तैयार करने के कारण माँग का सृजन देर से किया जाना

जल दरों के निर्धारण के लिए विहित प्रक्रिया में विभिन्न औपचारिकतायें आवश्यक है जैसे सिंचित भूमि की विवरणी की तैयारी, कृषक-वार विस्तृत मापी की तैयारी (खसरा) आदि।

सूदकर की तैयारी मुख्य एवं महत्वपूर्ण चरण है। जल दरों की वसूली के लिए खरीफ एवं रबी के लिए क्रमशः 99 दिन एवं 68 दिन की समय सूची विहित की गयी है। किसी भी स्थिति में जल दरों का संग्रहण खरीफ के लिए 31 जनवरी और रबी के लिए 31 मई से आगे नहीं जाना चाहिए।

नहर सिंचाई प्रमण्डलों, जयनगर, मधुबनी और जल प्रमण्डल हाजारीबाग में संधारित सूदकर पंजी की नमूना जाँच से परिलक्षित हुआ (नवम्बर 1996/जनवरी 1998) कि विहित समय सूची के अनुसार न तो सुदकर तैयार किये गये और न समय पर माँग सृजन एवं राजस्व-संग्रहण हेतु राजस्व प्रमण्डलों को प्रेषित कये गये। इसमें एक से चौदह महीने का विलम्ब देखा गया।

सूदकर की तैयारी में विलंब और राजस्व प्रमण्डलो को देर से भेजे जाने के फलस्वरुप माँग का सृजन समय पर नहीं हुआ और 23.33 लाख रुपए के राजस्व के उद्ग्रहण में विलंब हुआ ।

कार्यपालक अभियंता, कमला नहर प्रमण्डल, जयनगर, मधुबनी ने किये गये विलम्ब को स्वीकार किया (अप्रैल 1999) और कहा कि वर्ष 1996-97 के दौरान उस स्तर पर कोई सूदकर लम्बित नहीं था और कि विगत वर्षों के सूदकर का देर से जमा होने के सम्बंध में जाँच की जायेगी। जल प्रमण्डल, हजारीबाग ने कहा (अगस्त 1998) कि अमीन की देर से प्रतिनियुक्ति के कारण, सूदकर समय से तैयार नहीं किया जा सका। प्रमण्डल का उत्तर युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि सूदकर तैयार करने के लिए अमीनों की देर से प्रतिनियुक्ति की सही तिथि नहीं बता सके। आगे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2000)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (नवम्बर 1998 और जनवरी 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

9.05 जल शुल्कों/दरों का गलत दरों से लागू होना

खरीफ और रबी फसलों के लिए 14 नवम्बर 1995 के प्रभाव से क्रमशः 70 रु. और 60 रु.प्रति एकड़ की दर से जलदरों को संशोधित और निर्धारित किया गया।

तीन राजस्व प्रमण्डलों (आरा, बक्सर और मोहनिया) के अभिलेखों की वर्ष 1995-96 (मात्र रबी) और वर्ष 1996-97 और 1997-98 (खरीफ और रबी दोनों) की नमूना जाँच के क्रम में देखा गया (जनवरी 1999) कि संशोधित दरों पर जल दरों के निर्धारण नहीं होने के कारण सरकार को 4.47 लाख रुपये के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

इसे बताये जाने पर (जनवरी 1999) विभाग ने लेखा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 1999) और कहा कि संशोधित माँग सृजित की जायेगी। आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 1999); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2000)।

ग. पुलिस प्राप्तियाँ

9.06 पुलिस प्राप्तियाँ

9.06.01 प्रस्तावना

पुलिस विभाग की प्रधान प्राप्तियाँ मुख्यतः पुलिस बल की अन्य सरकारों, केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों और व्यक्तियों को आपूर्ति से पुलिस बल पर हुए खर्चे की वसूली गयी राशि, राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा उद्ग्रहित शुल्कों, जुर्माना और जब्तियाँ, लोक परिवहन अधिनियम और आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत प्राप्तियाँ, तथा विविध प्राप्तियाँ यथा नहीं चलने लायक सरकारी वाहनों और बिना दावा वाले अधिहरण किये सामानों की बिक्री राशि और सड़क पर यातायात में बाधा डालने वाले भग्न नहीं चलने लायक और भग्न टूटे हुए वाहनों को हटाने पर हुए खर्च की वसूली की राशि होती हैं। विभाग की प्राप्तियाँ मुख्य लेखा शीर्ष '0055 पुलिस' में आकलित होती हैं।

9.06.02 संगठनात्मक ढाँचा

गृह (आरक्षी) विभाग के सम्पूर्ण नियंत्रण के अंतर्गत, आरक्षी महानिदेशक (आ.म.नि.) विभागाध्यक्ष होते हैं जो आरक्षी महानिरीक्षकों और सहायक महानिरीक्षकों (मुख्यालय में) आरक्षी महानिरीक्षक, आरक्षी उप-महानिरीक्षक और वरीय आरक्षी अधीक्षकों (व.आ.अ.) आरक्षी अधीक्षक (आ.अ.) क्रमशः मण्डलों, क्षेत्रों और जिलों के प्रभारी का सहयोग प्राप्त होता है।

सरकारी रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) और राज्य के बाहर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति से प्राप्य पुलिस लागत की राशि के निर्धारण और संग्रहण का दायित्व डी.जी.पी. पर होता है जबकि जिले के अंदर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति से प्राप्य राशि का निर्धारण एवं संग्रहण का दायित्व जिले के एस.एस.पी./एस.पी. पर होता है।

9.06.03 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

एस.एस.पी/एस.पी. के 17* कार्यालयों (57 में से) के साथ सरकारी रेलवे पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस तथा पुलिस महानिदेशक के कार्यालयों के वर्ष 1993-94 से 1997-98 से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच दिसम्बर 1998 और जुलाई 1999 के मध्य की गयी। समीक्षा विभाग की माँग और

* आरा, बोकारो, भागलपुर, चाईबासा, छपरा, डाल्टेनगंज, धनबाद, देवघर, दरभंगा, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और राँची।

संग्रहण की प्रणालियों की कुशलता एवं उपयुक्तता को देखने के उद्देश्य से विशेष कर पुलिस बलों की अन्य सरकारों, अर्द्ध सरकारी संगठनों, निजी निकायों और व्यक्तियों के लिए प्रतिनियुक्तियों से वसूलनीय और वसूली गयी पुलिस व्यय की राशि के लिए की गयी।

9.06.04 राजस्व की प्रवृत्तियाँ

1993-94 से 1997-98 तक 5 वर्षों की अवधि में बजट अनुदान और वास्तविक प्राप्तियाँ इस प्रकार थीं-

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	वृद्धि (+) ह्रास (-)	प्रतिशत
	(लाख	रुपये	में)	
1993-94	318.01	527.23	(+) 209.22	66
1994-95	354.85	167.02	(-)187.83	53
1995-96	377.51	200.91	(-)176.60	47
1996-97	394.32	168.80	(-)225.52	57
1997-98	402.50	199.86	(-)202.64	50

भिन्नता के कारण यद्यपि माँगे गये (फरवरी और मई 1999), विभाग द्वारा अभी तक अनुत्तरित है। विभाग वर्ष 1993-94 से 1997-98 की पुलिस लागत की राशि वसूलनीय, वसूली गई और अंतशेष संबंधित पूर्ण सूचनायें प्रस्तुत नहीं कर सका। निदेशालय स्तर पर बकाये की वसूली के अनुश्रवण का कोई तंत्र नहीं था। तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 1993-94 की प्राप्तियों में वृद्धि 'अन्य प्राप्तियाँ' में वृद्धि के कारण थी और 1994-95 से 1997-98 की अवधि में कमी रेलवे से कम प्राप्तियों या प्राप्तियाँ नहीं होने के कारण थी।

9.06.05 विशिष्टतायें

वर्ष 1985-86 से 1997-98 की स.रे.पु. लागत से संबंधित 3922.70 लाख रुपये की राशि जो रेलवे से वसूलनीय थी, वसूली नहीं हुई।

[कंडिका 9.06.06(i)]

एस.आर.पी. पटना, धनबाद, जमालपुर और मुजफ्फरपुर से संबंधित वर्ष 1996-97 से 1997-98 के लिए स.रे.पु. लागत का रेलवे का हिस्सा 1427.53 लाख रुपये की माँग का सृजन नहीं हुआ।

[कंडिका 9.06.06(ii)]

स.रे.पु. लागत का रेलवे से संबंधित हिस्सा 49.69 लाख रुपये के लिए माँग का सृजन नहीं हुआ।

[कंडिका 9.06.06(iii)]

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के विरुद्ध सृजित माँग में 105.77 लाख रुपये की कम माँग सृजित की गयी।

[कंडिका 9.06.06(iv)]

रेलवे से 201.62 लाख रुपये के अवकाश वेतन और पेंशन अंशानुदान का दावा नहीं किया गया।

[कंडिका 9.06.06(v)]

मई और सितम्बर 1996 की अवधि में 20 कम्पनियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आसाम सरकार से वसूलनीय 315.60 लाख रुपये की पुलिस लागत बिना वसूली के रह गयी।

.[कंडिका 9.06.07]

41 संगठनों से वसूलनीय 343.78 लाख रुपये की पुलिस लागत की राशि की माँग का सृजन नहीं हुआ।

[कंडिका 9.06.08(i)(क)]

मार्च 1993 से फरवरी 1998 की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस बल (विशेष शाखा) के लिए वसूलनीय 50.48 लाख रुपये पुलिस लागत की राशि की वसूली हेतु माँग का सृजन एवं संग्रहण नहीं हुआ।

[कंडिका 9.06.08(i)ख)]

18 मामलों में 102.11 लाख रुपये की पुलिस लागत की राशि का अवनिर्धारण हुआ।

[कंडिका 9.06.08(ii)]

1993-94 से 1997-98 की अवधि में अनधिकृत व्यक्तियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 78.91 लाख रुपये की पुलिस लागत वसूलनीय थी।

[कंडिका 9.06.09]

9.06.06 रेलवे से सरकारी रेलवे पुलिस (स.रे.पु.) की लागत के हिस्से की वसूली नहीं होना

सरकारी लेखा नियम, 1990 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1979 से प्रभावी, स.रे.पु. की लागत को 50:50 के आधार पर राज्य सरकार और रेलवे के मध्य बाँटना है बशर्ते रेलवे की स्वीकृति से स.रे.पु. की संख्या का निर्धारण हो। नियम का आगे प्रावधान है कि रेलवे के हिस्से की राशि को गणना करने के उद्देश्य से आरक्षी महानिरीक्षक के स्तर तक सभी पदाधिकारियों और पर्यवेक्षक कर्मचारियों, बशर्ते वे पूर्ण रूप से केवल स.रे.पु. के प्रभार में हो सहित स.रे.पु. के बेतन और सभी प्रकार के भत्ते के लेने पर विचार का रेलवे के हिस्से की गणना करते समय पेंशन प्रभारों को भी सम्मिलित करना है।

(i) आरक्षी महानिदेशक के अभिलखों से उदघटित हुआ कि 1985-86 से 1997-98 के वर्षों से सम्बन्धित रेलवे से वसूलनीय 4320.29 लाख रुपये स.रे.पु. की व्यय राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा था जैसा कि नीचे दिया गया हैं : -

एस.आर.पी. के नाम	रेलवे के नाम	माँग की अवधि	माँग की राशि (लाख रुपये में)
पटना	पूर्वी रेलवे	1992-93 से 1995-96	583.47
जमालपुर	पूर्वी रेलवे	वही	348.80
धनबाद	पूर्वी रेलवे	वही	254.73
जमशेदपुर	दक्षिण पूर्वी रेलवे	1992-93 से 1997-98	708.48
मुजफ्फरपुर	उत्तरपूर्वी रेलवे	1992-93 से 1996-97	945.20
कटिहार	उत्तर पूर्वी रेलवे	1985-86 से 1997-98	764.60
	उत्तर सीमांत रेलवे	1986-87 से 1997-98	715.01
		कुल	4320.29

इसमें से रेलवे ने 397.59 लाख रुपये का भुगतान किया (1998-99) और बकाये के 3922.70 लाख रुपये शेष रह गये। ऐसे भारी बकाये की अवधि तथा संचयन उचित कार्रवाई और अनुश्रवण में कमी को दर्शाता है। यह भी देखा गया कि दावों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तत्परता और उचित ढंग से पेश नहीं किया गया, जैसा कि दृष्टांतस्वरूप नीचे दिखाया गया हैं :-

क्रमांक	रेलवे का नाम जहाँ से राशि देय थी	एस.आर.पी. कार्यालय का नाम	माँग की अवधि	राशि (लाख रुपये में)	माँग पत्र निर्गत करने की तिथि
1.	पूर्वी रेलवे	पटना, जमालपुर और धनबाद	1992-93 से 1995-96	1187.00	17.5.97
2.	दक्षिण पूर्व रेलवे	जमशेदपुर	1992-93	75.85	3.12.94
3.	वही	वही	1993-94 से 1995-96	318.95	25.4.97
4.	वही	वही	1996-97 से 1997-98	313.68	26.8.98
5.	उत्तर पूर्व रेलवे	मुजफ्फरपुर	1992-93 से 1995-96	711.77	3.9.97
6.	उत्तर सीमान्त रेलवे	कटिहार	1992-93	66.81	30.6.94

इसके कारण रेलवे द्वारा भुगतेय 3922.70 लाख रुपये का राजस्व अवरुद्ध रहा।

जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया (अक्तूबर 1999), भुगतान नहीं होने का मुख्य कारण स.रे.पु. में वर्तमान तादाद के आधार पर दावों/प्राकलनों का होना था जबकि रेलवे को केवल स्वीकृत बल के लिए भुगतान करना स्वीकार्य था। आगे यह भी कहा गया कि बहुत सारे पद ऐसे थे जो अस्थायी रूप से स्वीकृत थे परंतु स्थायी आधार पर कार्यरत थे तथा सरकार द्वारा प्रतिधारण आदेश निर्गत नहीं किये गये थे और रेलवे बल प्रतिधारण आदेश उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान का बकाया रखे था।

यह उत्तर विभाग और सरकार के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है।

(ii) यह भी देखा गया कि वर्ष 1996-97 और 1997-98 के लिए रेलवे आरक्षी अधीक्षक, पटना, धनबाद, जमालपुर और मुजफ्फरपुर की स्थापनाओं से संबंधित रेलवे के विरुद्ध 4320.29 लाख रुपये की माँगों में 1427.53 (2855.06 लाख रुपये के व्यय का 50 प्रतिशत) सम्मिलित नहीं किया गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :-

वर्ष	रे.आ.अ. द्वारा रे. आ.पु. पर किये गये खर्च (लाख रुपये में)				कुल	रेलवे का 50 प्रतिशत हिस्सा
	पटना	धनबाद	जमालपुर	मुजफ्फरपुर	(लाख रुपये में)	
1996-97	401.63	215.00	249.84	-----	866.47	433.23
1997-98	663.15	279.97	326.56	718.91	1988.59	994.30
कुल	1064.78	494.97	576.40	718.91	2855.06	1427.53

इसे रेलवे के विरुद्ध की गयी कुल माँग में सम्मिलित नहीं किया गया जबकि संबंधित रेलवे आरक्षी अधीक्षकों द्वारा निदेशालय में खर्च के ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये थे।

(iii) राज्य सरकार और रेलवे के मध्य व्यय की राशि के हिस्से के दावों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ (जनवरी और मार्च 1999) कि रेलवे के विरुद्ध माँग सृजित करते समय आरक्षी

उप-महानिरीक्षक (रेलवे) पटना और राँची तथा आरक्षी महानिरीक्षक (रेलवे) बिहार से संबंधित स्थापनाओं में वेतन और भत्ते की राशि को लेखा में नहीं लिया गया। वर्ष 1993-94 से 1997-98 के लिए उपर्युक्त तीनों स्थापनाओं से संबंधित कुल राशि 99.38 लाख रुपये संगणित की गयी जिसमें 49.69 लाख रुपये रेलवे से प्राप्य थे। इसके लिए इस आधार पर माँग सृजित नहीं की गयी, जैसा कि सहायक महानिरीक्षक (प्रशासन) द्वारा कहा गया (फरवरी 1999) कि म. नि. और उ.म.नि के पदों को रेलवे की स्वीकृति से नहीं रखा गया था और 4 रेलवे क्षेत्रों में कोई भी उनकी उनकी स्थापना पर हुए खर्च के भुगतान हेतु तैयार नहीं थे। रेलवे की सहमति के बिना इन स्थापनाओं के सृजन के कारण 49.69 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(iv) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (दण्डाधिकारी जाँच दल, कटिहार को छोड़कर) से संबंधित रेलवे आरक्षी अधीक्षक, कटिहार द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये खर्च के ब्यौरे के अनुसार कुल खर्च 283.78 लाख रुपये (134.90 लाख रुपये +148.88 लाख रुपये) के विरुद्ध निदेशालय ने माँग सृजित करते समय 72.24 लाख रुपये (21.22 लाख रुपये + 51.02 लाख रुपये) ही लेखा में लिया जिसके फलस्वरूप 211.54 लाख रुपये सम्मिलित नहीं हो सका। इस प्रकार, 50 प्रतिशत रेलवे के हिस्से का 105.77 लाख रुपये की माँग कम सृजित की गयी। तथापि, लेखापरीक्षा के आधार पर 141.89 लाख रुपये के लिए संशोधित माँग की गयी (नवंबर 1999)।

(v) 4 रे.आ.अ[*]. के अभिलेखों से उद्घटित हुआ (जनवरी और जुलाई 1999 के मध्य) कि सरकारी रेलवे पुलिस पर हुए 50 प्रतिशत खर्च की पूर्ति के दावे की संगणना के समय, जैसा कि सरकारी लेखा नियम, 1990 में प्रावधान है, पेंशन प्रभारों की लागत राशि को लेखा में नहीं लिया गया। वर्ष 1993-94 से 1997-98 की अवधि में सरकारी रेलवे पुलिस के वेतन पर हुआ कुल खर्च 2016.22 लाख रुपये था जिसपर अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान की 20 प्रतिशत राशि (11% + 9%) 403.24 लाख रुपये होती है। 403.24 लाख रुपये में से 50 प्रतिशत राशि 201.62 लाख रुपये रेलवे से वसूलनीय थी। आरक्षी महानिदेशालय द्वारा सृजित माँग में पेंशन प्रभार सम्मिलित नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर (जनवरी और जुलाई 1999 के मध्य), रेलवे पुलिस अधीक्षक धनबाद ने कहा (जनवरी 1999) कि पेंशन प्रभारों को दावों में सम्मिलित किया जा रहा है और माँग सृजित करने हेतु मुख्यालय को सूचित किया जा रहा है। अन्य रेलवे पुलिस अधीक्षकों ने कहा (जनवरी और जुलाई 1999 के मध्य) कि मुख्यालय के निर्देश और नियमों के प्रावधानों की जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। आगे का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2000)।

9.06.07 बिहार सैन्य पुलिस के राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस व्यय का नहीं वसूला जाना

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को सितम्बर 1995 में परिचालित निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति की मांग करने वाले राज्य को सशस्त्र पुलिस बटालियन पर होने वाले खर्चे का प्रति बटालियन 50 लाख रुपये प्रति तिमाही की सीमा तक त्रैमासिक आधार पर औपबंधिक रूप से प्रतिपूर्ति करनी चाहिए जिसे लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वास्तविक

[*] धनबाद, जमालपुर, कटिहार और मुजफ्फरपुर।

बकाये के विरुद्ध समायोजित की जोयगी। उपर्युक्त निर्णय के अनुसार संबंधित तिमाही की समाप्ति/लेखापरीक्षित आँकड़ों की प्राप्ति होने के एक महीने के भीतर भुगतान करना है।

आसाम सरकार के अनुरोध पर 23 मई से 19 सितम्बर 1996 की अवधि में बिहार सैन्य पुलिस की 20 कंपनियों की आसाम में प्रतिनियुक्ति से संबंधित माँग की नमूना जाँच में देखा गया (जनवरी 1999) कि विभाग द्वारा दिसम्बर 1997 में 315.60 लाख रुपये की माँग का सृजन किया गया जिसका भुगतान नहीं हुआ (जनवरी 2000)। भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय की शर्तों के अंतर्गत विभाग द्वारा दावा तत्परता से नहीं किया गया था।

9.06.08 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की राशि की माँग का नहीं सृजित किया जाना/कम सृजित किया जाना

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 13 के साथ पठित बिहार आरक्षी हस्तक, 1978 के नियम 527 और 999 के अंतर्गत पुलिस लागत भुगतान करने पर पुलिस गारद और दलों को भारत सरकार के विभाग, सिंचाई विभाग, नदी घाटी योजनाओं, राज्य विद्युत परिषद या राज्य और केन्द्र सरकार के लोक क्षेत्रों के वाणिज्यिक उपक्रमों, निजी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों को दिया जा सकता है। बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 1000(क) के अनुसार राशि की गणना सकल प्राक्कलित वेतन और भत्ते, पेंशन और अवकाश वेतन के लिए अंशदान, आग्नेयास्त्र एवं पोशाक आदि, वेतन की राशि पर 8 प्रतिशत की दर से सम्भावित यात्रा भत्ते, 10 प्रतिशत की दर से आकस्मिकतायें तथा भवन और नावों के निर्माण या भाड़े पर होने वाले आवश्यक प्रभारों को ध्यान में रख कर करना है। पुनः, आरक्षी विभाग, बिहार सरकार, के निर्गत (सितम्बर 1982) अनुदेशों के अनुसार पुलिस लागत राशि की माँग वर्ष की शुरु होनेवाली अवधि में पूरे वर्ष के लिए तैयार करनी है और उसका भुगतान संबंधित पक्ष को एक महीने के भीतर करना है।

(i) (क) 14 जिलों के व.आ.अ./आ.अ.* और बिहार सैन्य पुलिस के 1 समादेष्टा के अभिलेखों की नमूना जाँच से उदघटित हुआ कि मार्च 1993 और फरवरी 1998 के मध्य पड़ने वाले विभिन्न अवधि में 41 स्थापनाओं की सुरक्षा हेतु पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी थी परंतु पुलिस लागत की माँग न तो निर्धारित की गई और न ही सृजित की गयी। वेतन (औसत), भत्ते, अंतरिम सहायता आदि की दरों के आधार पर निर्धारण/सृजन नहीं करने में निहित पुलिस लागत की कुल राशि 343.78 लाख रुपये संगणित की गयी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :-

क्रमांक	स्थापना	स्थापना की संख्या	निहित अवधि	उदग्रहणीय पुलिस लागत (लाख रुपये में)
1.	केन्द्र सरकार	4	1.3.93 और 28.2.98 के बीच	28.57
2.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	6	वही	127.11
3.	बैंक	28	वही	149.33
4.	राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	2	वही	13.34
5.	अन्य	1	वही	25.43
	कुल	41		343.78

* बोकारो, भागलपुर, चाईबासा, छपरा, देवघर, दरभंगा, डाल्टेनगंज, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और राँची।

उपर्युक्त 41 मामलों में से 14 मामले, जिनमें प्रत्येक में 10 लाख रुपये से अधिक का मूल्य निहित है, के ब्यौरे नीचे दिये गये है :-

क्रमांक	कार्यालय के नाम	कार्यालय के नाम जहाँ प्रतिनियुक्ति की गयी	बल	प्रतिनियुक्ति की अवधि	निर्धारणीय पुलिस लागत (लाख रुपये में)
1.	व.आ.अ., पटना	पटना हवाई अड्डा	1 निरीक्षक 6 हवलदार 20 आरक्षी	1.3.1993 से 28.2.1998 तक	65.67
2.	वही	भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना	1 निरीक्षक 1 हवलदार 6 आरक्षी	1.4.1995 से 28.2.1998 तक	14.53
3.	व.आ.अ., राँची	राँची हवाई अड्डा	2 हवलदार 13 आरक्षी	1.3.1993 से 28.2.1998 तक	37.25
4.	वही	नालंदा सेरामिक्स, राँची	1 हवलदार 4 आरक्षी	1.3.1993 से 28.2.1998 तक	12.47
5.	वही	भारतीय स्टेट बैंक, राँची	1 हवलदार 4 आरक्षी	1.3.1993 से 28.2.1998 तक	12.47
6.	वही	ओरमाँझी थ्रेड फैक्टरी, ओरमाँझी	1 हवलदार 9 आरक्षी	1.3.1993 से 28.2.1998 तक	25.43
7.	आ.अ., बोकारो	भारतीय स्टेट बैंक, बोकारो	1 हवलदार 4 आरक्षी	1.3.1993 से 28.2.1998 तक	12.47
8.	आ.अ., चाईवासा	आकाशवाणी आदित्यपुर, चाईवासा	1 हवलदार 4 आरक्षी	1.3.1993 से 28.2.1998 तक	11.64
9.	आ.अ., मुजफ्फरपुर	भारतीय स्टेट बैंक, मुजफ्फरपुर	2 हवलदार 8 आरक्षी	1.3.1993 से 28.2.1998 तक	24.95
10.	आ.अ., दरभंगा	भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा	1 हवलदार 4 आरक्षी	1.3.1993 से 28.2.1998 तक	12.47
11.	आ.अ., छपरा	भारतीय स्टेट बैंक, छपरा	1 हवलदार 4 आरक्षी	1.1.1994 से 28.2.1998 तक	10.75
12.	वही	पंजाब नेशनल बैंक, छपरा	1 हवलदार 4 आरक्षी	1.1.1994 से 28.2.1998 तक	10.75
13.	आ.अ., धनबाद	सी.बी.आई., आवास	1 हवलदार 4 आरक्षी	1.3.1993 से 28.2.1998 तक	11.64
14.	बी.एम.पी.-3, गोविन्दपुर, धनबाद	डी.भी. सी.मैथन (पंचेत)	1 निरीक्षक 3 अवर -निरीक्षक 13 हवलदार 55 आरक्षी 4 भृत्य	1.5.1995 से 5.11.1995 तक	23.06
	कुल				285.55

माँग का निर्धारण नहीं होना मुख्यतः रक्षित कार्यालयों और व.आ.अ./आ.अ.के कार्यालयों के मध्य समन्वय की कमी थी।

(ख) आरक्षी अधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना से संग्रहित सूचना के आधार पर मार्च 1993 से फरवरी 1998 की अवधि के दौरान पटना, राँची और गया हवाई पत्तनों की सुरक्षा हेतु विशेष शाखा के कुल मिलाकर 18 पुलिस कर्मियों (3 निरीक्षक, 8 अवर निरीक्षक, 5 सहायक अवर -निरीक्षक और 2 हवलदार) प्रतिनियुक्त थे। कुल वसूलनीय पुलिस लागत की राशि, जिसकी माँग हवाई-पत्तन प्राधिकारियों के विरुद्ध सृजित नहीं की गयी, 50.48 लाख रुपये हुई।

(ii) 8 व.आ.अ./आ.अ. के कार्यालयों* और एक बी एम पी समादेष्टा (बोकारो) के कार्यालयों में यह देखा गया कि 5 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस लागत की राशि की माँग सृजित करते समय 1993-94 से 1997-98 की अवधि के लिए मँहगाई भत्ते में 10.15 लाख रुपये की कम माँग सृजित की गयी। इसके अतिरिक्त, 9 बैंक, 4 केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और 1 केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम में प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों की लागत की राशि विभाग द्वारा 1 मार्च 1989 को लागू दरों पर संगणित की गयी जोकि समय-समय पर भत्तों (मँहगाई भत्ता सहित) की दरों में संशोधन के बाद भी संशोधित नहीं की गयी। परिणामतः 1993-94 तथा 1997-98 के मध्य की अवधि से संबधित पुलिस लागत के लिए 91.96 लाख रुपये की कम माँग का सृजन हुआ। इस प्रकार, कुल 102.11 लाख रुपये की माँग कम सृजित हुई।

9.06.09 अनधिकृत व्यक्तियों को सुरक्षा गारद का प्रावधान

आरक्षी अधीक्षक एक महीने तक के लिए मुख्यालय (आरक्षी) के उसी माह में अनुमोदन की शर्त पर अधिकृत व्यक्तियों (मंत्रियों, सांसदों और राज्य विधान मंडल के सदस्यों) के अलावे अन्य के लिए भी सुरक्षा गारद की व्यवस्था कर सकता है। पुनः, अनधिकृत व्यक्तियों को सुरक्षा गारद का प्रावधान पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 13 के अंतर्गत प्रतिनियुक्त माना जायेगा और इस प्रकार पुलिस लागत वसूलनीय है।

6 जिलों** में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (जून/जुलाई 1999) कि व्यक्तिगत सुरक्षा गारद के रूप में 52 भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों, भूतपूर्व विधान परिषद सदस्यों, राजनीतिक नेताओं, व्यवसायियों एवं अन्य को, जो अधिकृत नहीं थे, 1 अवर निरीक्षक, 7 हवलदार और 53 आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति की गयी। 1993-94 से 1997-98 की अवधि में प्रावधान की गयी वाहिनी पर 78.91 लाख रुपये की राशि निहित थी जो सम्बंधित व्यक्तियों से वसूलनीय थी।

इसे बताये जाने पर आ.अ., भोजपुर और दरभंगा ने कहा (जून/जुलाई 1999) कि मुख्यालय (आरक्षी) से अनुदेशों की प्राप्ति के बाद कार्रवाई की जायेगी। आ.अ., हजारीबाग ने सूचित किया (सितम्बर 1999) कि 8.28 लाख रुपये की माँग सृजित कर दी गयी है (सितम्बर 1999)। शेष 3 आ.अ. से उत्तर, यद्यपि माँगे गये थे (अगस्त 1999), किंतु प्राप्त नहीं हुए है (जनवरी 2000)।

* धनबाद, गया, हजारीबाग, जमशेदपुर, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और राँची।

** भोजपुर, चाईबासा, दरभंगा, देवघर, हजारीबाग और जमशेदपुर।

मामला विभाग और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 1999); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2000)।

राँची
दिनांक 1 0 MAR 2000

(के.के.श्रीवास्तव)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- II
बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली
दिनांक 2 4 MAR 2000

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

©
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
2000

मूल्य : रु० 65/-